लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 19, शुक्रवार 7 अप्रैल, 1972/18 चैत्र, 1894 (शक)
No. 19, Friday, April 7, 1972/ Chaitra 18, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
301	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और अन्तरिम सहायता	Further Interim Relief to Central Government Employees ...	2—5
302	त्रिवेन्द्रम से मद्रास जाने वाले इण्डियन एयरलाइन्स के विमान को कोयम्बतूर में रोक लिया जाना	Indian Airlines Flight from Trivandrum to Madras Terminated at Coimbatore ...	5—6
304	पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली में बनाये गये होटल	Hotels constructed in Delhi by the Department of Tourism ...	6—7
305	फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर बकाया आयकर	Arrears of Income-Tax Against Film Actors and Actresses ...	7—9
306	सोने का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Gold ...	9—11
308	पत्रकारों के बीमे की व्यवस्था	Insurance Cover for Pressmen ...	11
311	उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री द्वारा व्यक्त किये गये विचार	Views Expressed by Finance Minister Re. Nationalisation of Industries ...	12—13
314	नये मार्गों पर विमान सेवाएं चालू करना	Introduction of Air Services on New Routes ...	13—14
317	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि का नाम निर्देशन	Nomination of an employee Representative to the Board of Directors of International Airports Authority ...	15
318	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना	Foreign Exchange Remittances by Foreign Oil Companies ...	15—17

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

319 राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा अमरीका को पंच कार्डों का विक्रय — Selling of Punch Cards by NCAER to USA ... 17—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

303 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तिगत किसानों को ऋण दिया जाना — Advancing of Loans by Nationalised Banks to Individual Farmers ... 18

307 हल्दिया उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य — Construction work at Haldia Fertiliser Project ... 19

309 तेल की खोज हेतु संयुक्त उद्यमों के लिए नाइजीरिया के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिखाई गई रुचि — Interest Shown by Nigerian Delegation for Joint Ventures for Oil Exploration 19

310 आंध्र प्रदेश में आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे — Raids by Income Tax Authorities in Andhra Pradesh ... 19

312 जापानी मुद्रा येन के पुनर्मूल्यन का भारत के ऋण पर प्रभाव — Impact of Revaluation of Japanese Yen on India's Debt ... 20

313 मैसर्स हिन्दुस्थान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क और केन्द्रीय बिक्री का अपवंचन — Evasion of Excise Duty and Central Sales Tax by M/S Hindustan Aluminium Corporation Ltd. 20

315 भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन को मिले चंदे पर आयकर से विमुक्ति — Grant of Exemption from Payment of Income Tax on Donations Received by Indian Olympic Association ... 20—21

316 आयुध कारखानों में असैनिक वस्तुओं के उत्पादन की योजना — Scheme for production of Civilian Items in Ordinance Factories 21

320 किरकी स्थित रक्षा संयन्त्र का आधुनिकरण — Modernisation of Defence Plant at Kirkee 21

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

2126 अमरीकी सहायता द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं — Projects financed by American Aid ... 22

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2128	विदेशी विमान यात्रा एजेंसियों की ओर जाने वाले भारतीय पर्यटन यातायात को रोकने के लिए कार्य-वाही	Steps to check the Diversion of India Based Traffic to Foreign Air Travel Agencies ...	22
2129	एयर इण्डिया की जम्बो तथा अन्य विमान सेवाओं के लाभ को बढ़ाने के उपाय	Steps to Increase the Profitability of Jumbo and other Services of Air India ...	23
2130	पर्यटन यातायात के विकास पर विदेश यात्रा कर लगाने का प्रभाव	Impact of Imposition of Foreign Travel Tax on Growth of Tourist Traffic ...	23—24
2131	सशस्त्र सेना मुख्यालय में अनुसूचित जाति । अनुसूचित जाति के कर्म-चारियों का प्रतिनिधित्व	Representation of S.C./S.T. on Staff in Armed Forces Headquarters ...	24—25
2132	सशस्त्र सेना के मुख्यालय में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से एसिस्टेंटों की सीधी भर्ती पर रोक	Ban on Direct Recruitment of Assistants through UPSC in Armed Forces Headquarters ...	25
2133	केरल भूतपूर्व सैनिकों से अभ्यावेदन	Representation from Ex-Servicemen of Kerala ...	25
2134	केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में पोनमुडी स्थान का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Ponmudi in District Trivandrum (Kerala) as a Tourist Centre ...	25—26
2135	भारत और ब्रिटेन के बीच भ्रमण के लिए सस्ते किराए	Cheap Excursion Fares between India and U.K. ...	26
2136	केरल में कोवलम तट पर्यटन केन्द्र परियोजना	Kovalam Beach Resort Project in Kerala ...	26—27
2137	टैलो की कमी	Shortage of Tallow ...	27
2138	भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान	Payment of Interim Relief to the Employees of India Tourism Development Corporation ...	27
2139	जमशेदपुर और दिल्ली के बीच विमान सेवा	Air Connection between Jamshedpur and Delhi ...	27—28
2141	सेना में वार्षिक भर्ती के आँकड़े	Statistics of Annual Recruitment to the Army ...	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
2142 प्राइराट्स फस्केट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited	... 28—29
2143 पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को भागने में सहायता करने के आरोप में फरीदपुर (उत्तर प्रदेश में कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons in Faridpur (Uttar Pradesh) for helping Pakistani POWS to escape	... 29
2144 पश्चिम बंगाल में गोयंका ग्रूप आफ कम्पनीज के विरुद्ध जाँच	Enquiry against Goenka Group of Companies in West Bengal	29
2145 राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States	... 29—30
2146 कोजीकोड में सम्पदा शुल्क के सहायक नियन्त्रक की गिरफ्तारी	Arrest of Assistant Controller of Estate Duty in Kozhikode	30
2147 पाकिस्तान को विदेशों द्वारा दिए गये हथियार	Arms supplied to Pakistan by Foreign Countries	30
2148 घायल युद्धबन्दियों को वापस पाकिस्तान भेजना	Repatriation of Wounded Prisoners of War to Pakistan.	31
2149 मारे गए सैनिकों के परिवारों तथा विकलांग हुए सैनिकों को सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता	Preference in Government and non. Government Services to Families of Soldiers killed and to those disabled	... 31—32
2150 विशाखापत्तनम में रूस को नौसैनिक सुविधाएं	Naval Facilities to Soviet Union in Visakhapatnam	32
2151 श्री ई० एन० मंगत राय, आई०सी० एस० विशेष सचिव, पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Shri E.N. Mangat Rai, ICS Special Secretary to Petroleum Ministry	... 32—33
2152 आइलैंड ग्राऊंड, मद्रास में रक्षा भवन समूह	Defence Building Complex on Inland Grounds, Madras	... 33
2153 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल द्वारा सुझाई गई विशेष पर्यटक मुद्रा विनिमय दर	Special Tourist Exchange Rate Recommended by United Nations Development Programme Team	33
2154 रात्रि के समय विमान सेवाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सुविधायें	Facilities to Passengers Travelling in Night Service Planes	34

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2155	रात्रि में हवाई यात्रा करने वालों से कम किराया लेने सम्बन्धी निर्णय	Decision to Charge less Fare from Passengers Undertaking Air Journey at Night ...	34
2156	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव	Proposal to Amend the Reserve Bank of India Act ...	34
2157	पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए नये रास्ते	New Avenues of Importing Petroleum Products ...	34—35
2158	सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों से गैर सरकारी व्यक्तियों का निकाला जाना	Exclusion of non-officials from the Boards of Directors of Public Undertaking	35
2159	भारत से विदेशी कम्पनियों का चला जाना	Pulling out of Foreign Companies from India ...	35—36
2160	भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तान को अमरीकी हथियार दिया जाना	Supply of U.S. Arms to Pakistan just before Indo-Pak War	36
2161	श्रम सम्मेलन	Labour Conference	36
2162	युद्ध बन्दियों का नेपाल भागना	Escape of P.O.Ws to Nepal	37
2163	संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ नियंत्रण बोर्ड की नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट	Report of the U.N. International Narcotics, control Board on drug abuse .	37—38
2164	कृषि पुनर्वित निगम द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए सहायता	Aid by Agricultural Refinance Corporation for agricultural purposes ...	38—39
2165	रत्नाकर शिपिंग कम्पनी	Ratnakar Shipping Company	39
2166	फोर्ड फाउन्डेशन के अन्तर्गत परियोजनाएं	Projects under Ford Foundation ...	39—40
2167	दानेदार चीनी के प्रशुल्क में वृद्धि	Rise in tariff value of Crystal Sugar	40
2168	एक नये प्रकार की कीटनाशक औषधि का उत्पादन	Manufacture of a new kind of Pesticide ...	40—41
2169	परिवहन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता	World Bank aid for Transportation Projects ...	41—42
2170	पाइपलाइन जांच आयोग की नियुक्ति की वैधता	Validity of appointment of Pipeline Enquiry Commission	42

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ट/Pages
2171	सिल्चर इम्फाल सड़क को सभी ऋतुओं में चलने वाली सड़क बनाना	Silchar Imphal Road as all weather Road ...	42—43
2172	राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के अधिकारियों द्वारा धन का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of funds by the officials of NCAER ...	43
2173	सरकारी उपक्रमों के बारे में सरकारी उपक्रम ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of Bureau of Public Enterprises on Public Undertakings ...	43
2174	सरकारी संस्थानों को हुआ लाभ अथवा हानि	Profit or losses incurred by Public Undertakings ...	43—44
2175	मध्य प्रदेश में 'सी' श्रेणी के नगर	'C' Class Cities in Madhya Pradesh	44
2176	गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की योजना	Scheme for increasing production of Chemical Fertilizers in Gujarat Rajasthan and Madhya Pradesh ...	44
2177	मध्य प्रदेश में अफीम की खेती	Cultivation of opium in Madhya Pradesh ...	44—45
2178	इन्दौर दिल्ली और इन्दौर बम्बई के बीच अतिरिक्त विभाग सेवाएं चालू करने सम्बन्धी निर्णय	Decision on Introduction of Additional Air Services between Indore-Delhi and Indore-Bombay	45
2179	युद्धबन्दियों की डाक का आदान-प्रदान	Exchange of P.O.Ws' Mail	46
2180	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ऋण दिया जाना	Loans advanced by Nationalised Banks for Industrial Purposes	46
2181	रबी की फसल के लिए रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को ऋण	Loans to Farmers for purchase of Chemical Fertilizers for Rabi Crop	46—47
2182	रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए व्यक्तिगत किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan given to Individual Farmers by Nationalised Banks for purchase of Chemical Fertilizers ...	47
2183	भारत पर विदेशी कर्जा	India's Foreign Debt ...	47
2184	राजनीतिक दलों पर बकाया आयकर	Arrears of Income tax against Political parties ...	47

अता० प्र० संख्या S Nos.			
2185	पूर्ण स्वदेशी सामग्री के साथ विजयंत टैंकों का निर्माण	Production of Vijayanta Tanks with Full Indigenous Material ...	47—48
2186	फरवरी 1972 में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायु सेना के विमान	Crash of IAF Planes in February, 1972	48
2187	सरकारी उपक्रमों में साम्य और अधिमान शेयर जारी करना	Issue of Equity and Preference Shares by Public Undertakings	48
2188	भारत स्थिति विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ एवं लाभांश राशि का स्वदेश भेजना	Repatriation of Proofs and Dividends by Foreign Firms in India ...	49
2189	विदेशी सहायता के बन्द होने का उर्वरकों के उत्पादन पर प्रभाव	Impact of Stoppage of Foreign Aid on the Production of Fertilizers	49
2190	निषिद्ध माल का जब्त किया जाना	Seizure of Contraband Goods ...	49—50
2191	पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर के तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज	Exploration for Oil in North-West and North-East of shore areas	51
2192	विदेश यात्रा कर लगाने के पश्चात् एयर इण्डिया को हुई हानियाँ	Losses suffered by Air India after Introduction of Foreign Travel Tax ...	51
2193	एल्यूमिनियम तथा अन्य उत्पादों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Aluminium and other Products ...	51
2194	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks	52
2195	प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं में आयात प्रतिप्रस्थापन	Import Substitution in Defence Items ...	52
2196	चट्टानों की खुदाई के विषय में वैस्टिंगहाउस द्वारा अन्वेषण	Westinghouse Research on Rock Excavation	52—53
2197	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Himachal Pradesh ...	53
2198	बिहार को ऋण	Loan to Bihar ...	53—54
2199	पश्चिम जर्मनी से आर्थिक सहायता	Economic Aid from West Germany ...	54—55
2200	सोने तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of Gold and other Articles ...	55

अता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

2201	मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी द्वारा अखबारी कागज की रद्दी की बिक्री से प्राप्त राशि का अन्य कार्यों में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में जाँच	Enquiry into Diversion of Funds Accrued from Sale proceeds of News Print Waste by M/s Bennett Coleman and Company ...	55—56
2202	नागर विमानन विभाग के वरिष्ठ तकनीकी और परिचालन अधिकारियों का स्थानांतरण	Transfers of Senior Technical and Operational Officers of Civil Aviation Department ...	56—57
2203	अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की मांगे	Demands by Akhil Bhartiya Swarnakar Sangh ...	57—58
2204	बकाया आयकर	Arrears of Income Tax	58
2205	श्री एम० के० के० नायर, भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच	C.B.I. Enquiry against Shri M.K.K. Nair former Managing Director Fertilizers and Chemicals Travancore Limited	58
2206	सुगन्धित तेल पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व	Revenue from Excise Duty on Perfumed Oil	58
2207	सशस्त्र सेना मुख्यालय में अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित करना	Confering of Seniority on Scheduled Caste Employees vis-a-vis others in Armed forces Headquarters	59
2208	अमरीका को ऋण का भुगतान	Repayment of Debt Liabilities toUSA ...	59—60
2209	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अमरीका से सहायता	Aid from USA during Fourth Five Year Plan ...	60—61
2210	राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के लेखा खातों में अनियमिततायें	Irregularities in Account Books of N.C.A.E.R ...	61
2211	कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों और कृषकों को ऋण देना	Loan to Small Traders and Agriculturists by Nationalised Banks in Cooch Behar and Jalpaiguri ...	61—62

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2212	केरल को ऋण और अनुदान	Loans and Grants to Kerala ...	62
2213	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा के भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध मामला	Case against Former Manager of London Branch of the Central Bank of India ...	62—63
2214	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चित्रकूट, राजापुर और कालिंजर का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Chitrakoot, Rajapur and Kalinjar in Banda District (Uttar Pradesh) as Tourist Centres	63
2215	उत्तर प्रदेश के बरुआ नाला (बांदा जिला) में मिट्टी का तेल पाये जाने की सम्भावना	Possibility of Kerosene Oil Deposit in Barua Nullah (Banda District) in Uttar Pradesh ...	63
2216	कृषि और लघु उद्योगों को ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया और शर्तों में रियायतें	Relaxations in procedure and conditions for grant of loan to Agriculture and Small Scale Industries ...	63—65
2217	पैट्रोलियम और पैट्रोलियम के उत्पादों की उपलब्धता और मांग	Availability and Requirement of Petroleum and its Products ...	65
2218	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुई के बदले में ऋण की सीमा का बढ़ाया जाना	Raising of advance limit against cotton by Reserve Bank of India ...	65—66
2219	राज्य सरकारों द्वारा युद्ध पीड़ितों के पुनर्वास के लिये किये गये उपाय	Measures by State Government for Rehabilitation of war Victims ...	66—67
2220	दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विशेषज्ञों की बैठक	Meeting of International Meteorological experts in Delhi ...	67
2221	हैदराबाद में निकासी गृहों का बार बार बन्द होना	Frequent closing of clearing houses at Hyderabad ...	67—68
2222	बिहार में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Bihar ...	68
2223	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रतिभूति विनियमों में छूट देना	Relaxation in Security regulations by Reserve Bank of India ...	68—69
2224	व्यापार गृहों की और करों की बकाया राशि	Arrears of taxes against big business houses ...	69
2225	पटना स्थित आय कर कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Income Tax Office, Patna ...	69

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2226	छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में संशोधन	Amendment to Cantonment Board Act, 1924	69
2227	केरल में कम्पनियों का परिसमापन	Liquidation of Companies in Kerala	69—71
2228	जीवन बीमा निगम द्वारा न निबटाया गया दावा	Unsettled LIC claim	71
2229	नागर विमानन विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Civil Aviation Department	71—72
2230	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते	Various allowances to Central Government Employees	72
2231	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा बातचीत और निपटारा करने के लिए एक तन्त्र की रचना करना	Creation of a Machinery for negotiation and Settlement by International Airports authority	72—73
2232	नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के सम्बन्ध में समझौता	Agreement on the revision of Pay scales of Staff in Civil Aviation Department	73
2233	केरल में कोवलम समुद्र तट का विकास	Development of Kovalam Beach in Kerala	73
2234	भारत द्वारा विदेशों से लिए गये ऋण को लौटाने की तारीखों में परिवर्तन करने के लिये विश्व बैंक से अनुरोध	Request to World Bank for Rescheduling of India's Foreign Debt Liabilities	73—74
2235	विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजना	Remittances by Indians Living Abroad	74
2236	विश्व बैंक से ऋण	Loans from World Bank	75
2237	सेना के इंजीनियरों द्वारा बंगला देश में सड़क रेल और नदी संचार व्यवस्थाओं का बहाल किया जाना	Restoration of Road, Rail and River Communications in Bangla Desh by Army Engineers	75—76
2238	इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड	Indian Oxygen Limited	76—77
2239	इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड	Indian Oxygen Ltd.	77
2240	त्रिपुरा में तेल की खोज	Oil Exploration in Tripura	77

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
2241	मैसर्ज स्मिथ स्टेनस्ट्रीट कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के भविष्य के बारे में निर्णय	Decision on future of Messers Smith Stainstreet Company Limited, Calcutta ...	77—78
2242	मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने सम्बन्धी दल	Study Team or Drought Conditions in Madhya Pradesh ...	78
2243	बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि	Increase in Credits Advanced by Banks ...	78
2244	केरल में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Defence Production Unit in Kerala ...	79
2245	अमरीकी सहायता	U. S. Aid ...	79
2246	राजनीतिक पीड़ितों, हरिजनों और अपंग सैनिकों को इण्डियन आयल कम्पनी की एजेंसियां देना	Allotment of I. O. C. Agencies to Polititcal Sufferers, Harijans and Disabled Soldiers ...	79
2247	एक व्यक्ति अथवा फर्म को दी जाने वाली इण्डियन आयल कम्पनी की एजेंसियों की संख्या पर रोक	Ban on Number of I. O. C. Agencies Allotted to an Individual or Firms ...	80
2248	आयकर विभाग में श्रेणी एक और दो के अधिकारियों के बीच भेद को समाप्त करना	Abolition of distinction between officers of class I and II caders in Income tax Department ...	80
2249	हल्दिया उर्वरक परियोजना के चालू हो जाने पर विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of foreign exchange on commissioning of Haldia Fertiliser Project ...	80—81
2250	आयुध कारखानों में उत्पादन में वृद्धि	Increase in production in Ordinance Factories ...	81
2251	विदेशी कम्पनियों द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित उद्योगों में पूंजी लगाना	Investment by Foreign Companies in Industries located in Bihar and West Bengal ...	81—82
2252	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार के किसानों को दिया गया ऋण	Money advanced by Nationalised Banks to farmers of Bihar ...	83
2253	बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending applications for loan from Nationalised Banks in Bihar ...	83
2254	कोर्ट मार्शल ला का पुर्नमूल्यांकन करने के लिए प्रस्ताव	Proposal for reappraisal of court Martial Laws ...	83—84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
2255 विदेशी सहायता	Foreign Aid	... 84—85
2256 तस्करों के जहाजों को पकड़ने के लिए आवश्यक जहाजों सम्बन्धी समिति	Committee on crafts required for Interception of Smugglers' Vessels	... 85—86
2257 मन्दसौर को 'सी' श्रेणी का नगर घोषित करना	Declaration of Mandsaur City as 'C' Class	86
2258 हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, लुनाबेडा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of SC/ST employees in H. A. L. Lunabeda	.. 86
2259 केरल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण	Loans given by IFC for setting up of Industries in backward Areas of Kerala	87
2260 मध्य प्रदेश में बकाया करों की वसूली	Recovery of Arrears of Tax in Madhya Pradesh	87
2261 जीवन बीमा निगम द्वारा मध्यप्रदेश को विकास के लिए प्राथमिकता देना	Decision to Accord priority for development to Madhya Pradesh by LIC	.... 87—88
2262 रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा जमा की गई राशि से अधिक निकाली गई राशि का भुगतान	Clearance by States of overdrafts on R. B. I.	88
2263 पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुन्देलखण्ड का विकास	Development of Bundelkhand for attracting Tourists	88
2264 त्रिपुरा में तेल के समन्वेषण में प्रगति	Progress in Exploration of Oil in Tripura	... 88—89
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	... 89—94
अमरीका में भारतीय छात्रों को तंग किये जाने का समाचार	Reported harassment of Indian students in USA	89—94
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	... 89—94
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	89—94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
सभा पटल रप रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	... 94—96
राष्ट्रपति का सन्देश	Message from President	97
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	97
छावनी (भाटक नियन्त्रण विधियों का विस्तारण) संशोधन विधेयक	Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Amendment Bill	97
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As Passed by Rajya Sabha ...	97
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills ...	97
लोक-लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	97
तेईसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन	Twenty-third and Twenty-seventh Reports ...	97—98
सभा का कार्य	Business of the House	98
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee ...	99
राष्ट्रीय केडेट कोर सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श समिति	Central Advisory Committee for National cadet Corps ...	99
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377	99
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 66 वें प्रतिवेदन के बारे में टकरू आयोग के समक्ष सरकारी वकील का कथित वक्तव्य	Reported Statements of Government counsel before Takru Commission regarding 66th Report of Committee on Public Undertakings ...	99—102
महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक	Administrators-General (Amendment) Bill	...102—105
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	102
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ...	102
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee ...	103
श्री के० बालदण्डायुतम	Shri K. Baladhandayutham ...	103
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan ...	103
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya ...	104
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 ...	105
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	...105—106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन विधेयक)	Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill ...	106
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	106
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	... 106—107
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	107
श्री इसहाक सम्भाली	Shri Ishaq Sambhali	... 107—108
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	108
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	... 108—109
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	110
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	110
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions ...	110
ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report ...	110
औद्योगिक सम्बन्ध और श्रम नीति के बारे में संकल्प	Resolution Re-Industrial Relations and Labour Policy	110
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	111
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	... 111—112
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	112
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	113
श्री पी० के० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	... 113—114
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	... 114—115
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	... 115—116
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	... 116—117
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	... 117—118
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	... 118—121
साम्प्रदायिक अर्द्ध-सैनिक संगठनों के बारे में संकल्प	Resolution re. Communal Para Military Organisations ...	122
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri I. J. Malhotra ...	122
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	123

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1972/18 चैत्र, 1894 (शक)
Friday, April 7, 1972 / Chaitra 18, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

निधन-सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सैयद नौशेरअली के दुःखद निधन की सूचना देनी है। उनका निधन 6 अप्रैल, 1972 को, 80 वर्ष की आयु में ढाका, बंगला देश में हुआ। सैयद नौशेर अली वर्ष 1950-52 के दौरान अस्थायी संसद् के सदस्य थे। वे वर्ष 1937-46 तक अविभाजित बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे और वर्ष 1937-38 के दौरान बंगाल सरकार में मन्त्री भी रहे। वे वर्ष 1943-46 तक बंगाल विधान सभा के सदस्य भी रहे।

वे प्रभावशाली संसद्शास्त्री, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अध्यक्ष थे और हृदय से राष्ट्रवादी थे।

हमें अपने मित्र की मृत्यु पर गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि सभा उनके सन्तप्त परिवार को शोक संदेश भेजने में मेरा साथ देगी।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मन्त्री, गृहमन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सैयद नौशेरअली के निधन पर मैं भी आपके साथ शोक प्रकट करती हूँ। जैसा कि आपने उल्लेख किया, वह अविभाजित बंगाल की एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थे।

मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि उनके सन्तप्त परिवार को हमारे गहरे शोक और सहानुभूति संदेश भेज दें।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : श्री सैयद नौशेरअली की मृत्यु पर मैं अपने दल की ओर से शोक प्रकट करता हूँ। मेरा उनसे निजी सम्बन्ध था। उनका सावजनिक जीवन महान था। उनका कृषक अभियान अथवा किसान अभियान से सम्बन्ध था और वह इस अभियान के प्रमुख नेता थे।

वह अविभाजित बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजित करने के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। इसी कारण वह पूर्व पाकिस्तान में न रहकर कलकत्ते में रहे। वह प्रगतिशील मुसलमान थे और उनका सार्वजनिक जीवन महान था।

उनके निधन से जनता को भारी हानि हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे शोक तथा संवेदन संदेश उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सैयद नौशेरअशी की दुःखद मृत्यु पर मैं अपने दल की ओर से शोक-संतप्त परिवार के प्रति दुःख प्रकट करता हूं। जैसा कि मेरे अन्य मित्रों में उल्लेख किया, वह बहुत पुराने राजनीतिक नेता थे और देश में राजनीतिक कार्यकर्ता अनेक पीढ़ियों तक याद रखेंगे। वह काफी लम्बे समय से बीमार थे। हम जब उनके सम्पर्क में आये तब उनमें आश्चर्य-जनक बल और शक्ति थी और उनकी भावना और विचार बहुत दृढ़ थे। जो उन्हें जानते हैं उन्हें अध्यक्ष के रूप में उनका रिकार्ड याद रहेगा। अध्यक्ष के रूप में उनकी निष्पक्षता और स्पष्टवादिता प्रसिद्ध थी।

उनका न केवल संसदीय और विधान सभा की राजनीति से सम्बन्ध था बल्कि उनका सम्बन्ध जनता के अभियान, विशेषकर बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से था।

अपने दल की ओर से मैं शोक प्रकट करता हूँ और आप से निवेदन करता हूं कि हमारी सम्वेदना संतप्त परिवार तक पहुँचा दें।

मेरे विचार से उनका काफी बड़ा परिवार है और शायद उनमें से अधिकांश इस समय बंगला देश में रह रहे हैं। आशा है आप हमारा सम्वेदन संदेश और सहानुभूति उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा देंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I express my sorrow on behalf of my party on the sad demise of Sayed Nausherali. I had the opportunity to see him several times along with Dr. Shyama Prasad Mukerjee, He was a true nationalist and he never accepted the Partition on Communal basis. We had lost a great public worker. Please convey our Condolences and sympathies to the members of the beraved family.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शोक प्रकट करने के लिए कुछ समय तक मौन खड़े रहें।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for short whihe.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और अन्तरिम सहायता

*301 **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि और तीसरे वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट देने में विलम्ब को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और अन्तरिम सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) ; वेतन आयोग की दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत 1 अक्तूबर 1971 से मंजूर की गई थी, जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत 228 हो गया था। आयोग ने उस रिपोर्ट में कहा है कि अब आगे की समीक्षा की जरूरत तभी होगी जब सूचकांक का औसत 238 पर पहुंच जाय। अन्तिम उपलब्ध आंकड़े जनवरी 1972 के हैं, जिसमें 12 महीने का औसत सूचकांक केवल 231·50 है।

तथापि, वेतन आयोग अपना कार्य यथासम्भव शीघ्र समाप्त करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है।

Shri Ishwar Chaudhry : The Planning Minister has expressed his concern over the rising prices. The Finance Minister and the Prime Minister have also expressed their views. There are no two opinions that the people have to face great difficulty as a result of it. I want to know whether a report published in the newspapers, that the Pay Commission would submit its report in 1973, was correct ?

In reply to this the hon. Minister stated that the position was not like that and the report would be submitted very soon. I want to know the exact date by which the report is likely to be submitted.

श्री के० आर० गणेश : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने बताया है कि उसने प्रेस में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि प्रतिवेदन 1973 तक तैयार हो जायेगा। जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, आयोग ने यह कहा है कि वह प्रतिवेदन को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए अब यथासम्भव कार्यवाही कर रहे हैं। यद्यपि उसने यह उल्लेख किया है कि उनके लिए इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि उक्त प्रतिवेदन को अन्तिम रूप कब दे दिया जायेगा।

Shri Ishwar Chaudhry : It has been stated here that the report will be published very soon. It is clear that the prices have increased tremendously but their impact on the common people has not been assessed properly. Taking all these things into consideration, I want to know whether the Government is going to consider to pay an interim relief within a month or two and if not, what is the difficulty in taking an early decision in this matter ?

श्री के० आर० गणेश : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय मन्त्री के वक्तव्य से अब यह स्पष्ट है कि मूल्य बढ़ रहे हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है कि वेतन आयोग कब प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। क्या सरकार सदन को इस बात का आश्वासन देगी कि वेतन आयोग की सिफारिशें भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगी, कम से कम वेतन आयोग की नियुक्ति की तिथि से तो वे प्रभावी होंगी ?

श्री के० आर० गणेश : इन मामलों में वेतन आयोग स्वयं सोच-विचार कर कोई तिथि निर्धारित करेगा जब से उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये। प्रतिवेदन को जब अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और जब उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तब सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री ए० पी० शर्मा । यदि वेतन आयोग किसी विशेष तिथि से सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सिफारिश करता है तो क्या ऐसा किया जायेगा ?

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : यह बात वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मन्त्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि वेतन आयोग ने स्वयं इस बात का खण्डन किया है और कहा है कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रतिवेदन वर्ष 1973 में प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

आशय यह है कि प्रतिवेदन वर्ष 1973 से पूर्व किसी समय प्रस्तुत किया जायेगा । यह बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि '1973 में नहीं' का अर्थ है '1973 से पहले' । [अन्तर्बाधाएं] क्या मन्त्री महोदय को पता है कि सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है क्योंकि गत दो-तीन महीनों में मूल्य सूचकांक 228 हो गया है और मूल्य और भी बढ़ते जा रहे हैं । अतः क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे वेतन आयोग जुलाई 1972 से पहले ही अपना प्रतिवेदन दे दे ताकि उसे क्रियान्वित किया जा सके । बहुत से कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर सेवा निवृत्त होने वाले हैं । मुझे डर है कि यदि उसका प्रतिवेदन 1972 से बाद आया तो ये लोग वेतन आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित न हो पायेंगे । मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ ।

श्री के० आर० गणेश : मैं यह संकेत पहले ही दे चुका हूं कि वेतन आयोग का कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत है । किन्तु वह अपनी सिफारिशें सरकार को यथा सम्भव शीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है । जहां तक माननीय सदस्य के अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, उन्हें मालूम है कि अन्तरिम सहायता गत अक्तूबर में ही दी गई थी और मूल्य सूचकांक में भी केवल तीन अंकों की वृद्धि हुई है । तत्सम्बन्धी विद्यमान सूत्र के अनुसार जब तक मूल्य सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि नहीं होगी तब तक और अन्तरिम सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । क्या वेतन आयोग 1973 में प्रतिवेदन नहीं देगा, इसका उत्तर नकारात्मक दिया गया है । मैं इसका सीधा उत्तर चाहता हूँ । सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि वेतन आयोग 1972 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा । क्या सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन 1972 में प्रस्तुत कर दे ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर दे सकते हैं ।

श्री के० आर० गणेश : जो विचार सभा में और सभा से बाहर व्यक्त किये गये हैं, वेतन आयोग उनसे अवगत है । संयुक्त परिषद की बैठक में यह प्रश्न कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया था और यह निश्चय किया गया था कि उनके विचारों को वेतन आयोग को भेज दिया जायेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मूल्य सूचकांक में 10 अंकों की वृद्धि होने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राहत दी जाती है । इससे राज्य सरकारों को बड़ी कठिनाई होती है । क्या केन्द्रीय

सरकार राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से बातचीत करके कोई ऐसा सूत्र बनायेगी जिससे 10 अंकों की वृद्धि पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में स्वतः ही वृद्धि हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यावही के लिए एक सुझाव है ।

श्री ज्योतिमय वसु : मूल्य सूचकांक में 10 अंकों की औसतन वृद्धि होने पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाता है किन्तु क्या यह सच है कि निर्वाह-व्यय में वृद्धि का निर्धारण करने हेतु आँकड़े एकत्र करने का जो तरीका और प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में अनेक शिकायतें की गई हैं । अतः इन आंकड़ों को एकत्र करने वाले तंत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० आर० गणेश : इस प्रश्न का भी मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर भी यह सच है कि वेतन आयोग उस सूत्र के बारे में अध्ययन कर रहा है जिसके आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए । अब यह इस वेतन आयोग पर निर्भर करता है कि वह गजेन्द्रगडकर आयोग या दास आयोग वाले आधार को ही अपनाता है अथवा कर्मचारी संगठनों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए कोई नया आधार बनाता है । यही कारण है कि कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी गई है, महंगाई भत्ता नहीं । हां, महंगाई भत्ते के आधार के प्रश्न पर वेतन आयोग इस समय विचार कर रहा है ।

त्रिवेन्द्रम से मद्रास जाने वाले इण्डियन एयरलाइन्स के विमान को कोयम्बतूर में रोक लिया जाना

*302. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1971 को त्रिवेन्द्रम से मद्रास जाने वाले इण्डियन एयरलाइन्स के विमान को कोयम्बतूर में ही रोक दिया गया था ;

(ख) क्या यात्रियों ने शिकायत की थी कि पायलट शराब के नशे में था;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 30 दिसम्बर को इण्डियन एयरलाइन्स ने कोयम्बतूर तथा बंगलौर से होते हुए कोचीन से मद्रास के लिए होने वाली उड़ान संख्या आई० सी-504 को कोयम्बतूर पर रद्द कर दिया गया था ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) और (घ) : जी, हाँ । विभागीय जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप विमानचालक को कारण बताने के लिए कहा गया है कि क्यों न उसे कारपोरेशन की सेवा से हटा दिया जाए ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, hon. Minister has said that the pilot has been served with a show cause notice as to why he should not be removed from service of the Corporation. May I know whether he has been suspended pending a decision in this matter ?

Dr. Karan Singh : Yes, Sir.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : जिस दोष के लिए विमानचालक के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किया जा रहा है, उसके अतिरिक्त क्या विमान बिल्कुल ठीक है ?

डा० कर्ण सिंह : विमान बिल्कुल ठीक है ।

***304. Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be **pleased to state** :

(a) the cost of each of the hotels constructed so far in Delhi by the Department of Tourism indicating the dates on which these hotels were constructed; and

(b) the expenditure incurred by Government on their maintenance and the profit earned by each of them during 1970-71 and 1971-72 ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : भारत पर्यटन विकास निगम जो कि सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उद्यम है, दिल्ली में पांच होटल परिचालित कर रहा है । इनका वर्ष 1970-71 का वित्तीय कार्य-निष्पादन इस प्रकार है :–

होटल का नाम	लाभ/हानि (लाख रुपयों में)
अशोक होटल	18.71
जनपथ होटल	10.88
रणजीत होटल	4.00 (हानि)
लोधी होटल	1.95 (हानि)

अकबर होटल ने उस वर्ष कार्य करना आरम्भ नहीं किया जिस वर्ष से यह प्रश्न सम्बन्धित है । यह जनवरी, 1972 में चालू हुआ ।

Shri M. C. Daga : My question was about the cost incurred on these hotels for which no reply has come from the Hon. Minister. It may be same art not to give the reply. My question was whether the profit from these hotels excludes the losses of past years or it is the balance sheet of that year ?

Dr. Karan Singh : The original question of the Hon. Member was :

"The cost of each of the hotels constructed so far in Delhi by the Department of Tourism"

Now the Department of Tourism has not constructed any hotel in Delhi. These hotels were not even constructed by the corporation. All the four hotels were transferred by the W.H.S. Ministry. Therefore, the question of any information with us regarding cost does not arise, instead we have to invest more on them. We have no doubt taken the Akbar Hotel on rent from the N.D.M.C. The hon. members are aware of the fact that we place our report on the table of the House every year which contains the descriptions of the functioning of the hotels. I have stated hotel-wise the expenditure and profit etc. for the year 1970-71 as desired by the hon. member vide past (b) of the original question.

Shri M. C. Daga : I had asked whether the profit excludes the loss of past years or it is an account of the same year ?

Dr. Karan Singh : It is for the year for which you had asked. The hon. member can satisfy himself by going through this original question.

Shri M. C. Daga : Is it a profit excluding the losses of the past years or the profit of the same year ?

Dr. Karan Singh : The question asked by you has been replied.

Shri M. C. Daga : May I know whether the Hotel Survey Committee have surveyed these hotels and, is so, whether it has submitted any report ?

Dr. Karan Singh : The Hotel Survey Committee undertakes the survey of all hotels in India and that Committee also surveyed these hotels and made star rating according to their merits.

Shri M. C. Daga : What reasons were assigned by them for the losses ?

Dr. Karan Singh : It is not the duty of the Committee to point out the reasons for losses, it only makes star rating according to the merits. I can explain every thing in an hour's time if the hon. member accompanies me to the hotel.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से मैं जान पाया हूं कि रणजीत होटल घाटे में चल रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके कारण क्या हैं और घाटे को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : विचाराधीन वर्ष के दौरान रणजीत और लोदी होटलों में घाटा हुआ है, इसके दो अथवा तीन कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि लोदी और रणजीत होटलों को मूलत: होटल चलाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। ये एक प्रकार के होस्टल थे, जिन्हें हम ने लिया। इनके ढाँचे में निर्माण सम्बन्धी त्रुटियां हैं। दूसरा कारण यह है कि इन होटलों के लिये निर्माण, आवरण और पूर्ति मंत्रालय को बहुत किराया देते हैं। प्रश्पखनिक कार्यकुशलता बढ़ाने, आवश्यक हो तो अधिक धन लगाने, तथा इन्हें ठीक ढंग मे चलाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि प्रतिकूल कारणों के बावजूद भी कुछ समय में इन होटलों से लाभ होने लगेगा।

फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर बकाया आयकर

*305. **श्री अम्बेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नाम और पते क्या हैं जिन पर आय कर बकाया है और प्रत्येक पर अलग-अलग कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जिन फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में, (असम, नागपुर, जयपुर, कानपुर और आन्ध्र प्रदेश के आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों को छोड़ कर) 29-2-1972 को 10,000 रु० से अधिक आयकर की बकाया वसूली के लिए पड़ी थी उनके बारे में अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रखे गए विवरण पत्र में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1678/72]**

जिन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में, कर-निर्धारण असम, नागपुर, जयपुर कानपुर और आन्ध्र प्रदेश के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में हुआ, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Shri Ambesh : May I know when this information will be made available to the House ?

श्री के० आर० गणेश : हम यथा संभव शीघ्र जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इस के लिये तो विभिन्न आयुक्तों के बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्रित करने होगे और इस में कुछ समय लगेगा क्योंकि इन की संख्या काफी बड़ी होगी।

Shri Ambesh : I think the Department does not want to give each information and they want to shield it. That is why, it is being delayed. To my knowledge these facts are very well available but are being held up for some reasons. Would you ensure that all the facts are made available to the House at the earliest ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने कदाचित सभा पटल पर रखा गया पत्र नहीं पढ़ा है । उसमें बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से 62 नाम हैं जहां अधिकाँश अभिनेता तथा अभिनेत्रियां रहती हैं । अन्य स्थानों के बहुत छोटे अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों से प्राप्त थोड़ी मात्रा में वसूल किये गये कर की राशि बताने में कोई कठिनाई नहीं है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Would the arrears of income-tax be recovered from those actor and actresses who have done propoganda-work in the Congress candidates ?

Mr. Speaker : Order, order :

Shri Jagannath Rao Joshi : I want to know whether strict action to recover arrears would also be taken against those who worked hard for election & propoganda ?

Mr. Speaker : The hon. Member knows that if some one does some work for him, naturally he would be some how soft to him.

श्री अण्णासाहिब गोटाखिण्डे : कुछ व्यक्तिगत मामलों में बकाया कर की राशी सात से 12 लाख रुपये तक है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह राशि कब से बकाया है ।

अध्यक्ष महोदय । उन्होंने कहा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

श्री० के० आर० गणेश : उन सभी 62 करदाताओं की विस्तृत जानकारी देना मेरे लिये संभव नहीं है जिनकी ओर कर की बकाया राशि है । हाँ, मैं उनके बारे में जानकारी दे सकता हूं जिनकी ओर एक लाख या इससे अधिक रुपये बकाया है । यह एक बड़ी सूची है.....

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री एस० ए० कादर : खड़े हुए

Mr. Speaker : What is your interest ?

Shri S. A. Kadar : I have no relation with the actors and actresses. I have to ask this,

पैदा की गई विवरणियों के आधार पर ये कर-राशि बकाया हैं । क्या सरकार को मालूम है कि जब अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये जाते हैं तो यह धन सफेद होता है और इसके अतिरिक्त धन काले धन के रूप में जाता है । ये राशियां भी बहुत बड़ी राशियां होती हैं । क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है । क्या सरकार को इनकी जानकारी है, यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच करने को तैयार है ?

श्री के० आर० गणेश : सिने संसार के इस कदाचार से सरकार पूरी तरह परिचित है । इस संबंध में अनेक लोग पकड़े गये हैं और अनेक मामलों में मुकद्दमा चलाया जा रहा है । बल्कि हाल ही में बहुत बड़ी मात्रा में धन पकड़ा गया था । सरकार इसके लिये पूरी तरह तैयार है । ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये सरकार के पास पूरी व्यवस्था है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे खुशी है कि सरकार अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से आय कर की बकाया राशि वसूल कर रही है । क्या कुछ अभिनेता तथा अभिनेत्रियां अपने साथियों की

प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के लिये उनके विरुद्ध झूठी शिकायतें भी कर रहे हैं ताकि वे स्वयं सिने-बाजार में स्थान पा सकें, और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों ने सरकार से यह भी तर्क किया है कि उन्हें भी संसदसदस्यों के समान रियायतें मिलनी चाहियें क्योंकि संसदसदस्य भी तो राजनैतिक अभिनेता होते हैं ? (व्यवधान) मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाये कि क्या अभिनेता तथा अभिनेत्रियां अपने साथियों की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के लिये आयकर विभाग से उनकी झूठी शिकायतें कर रहे हैं, यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कल्पना पर आधारित प्रश्न है और बड़ा ही सामान्य है ।

—व्यवधान—

सोने का चोरी छिपे लाया जाना

*306. **श्री निम्बालकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय दर पर तथा हमारे देश में प्रचलित दर पर, अलग-अलग, अनुमानत: कितने मूल्य का सोना चोरी छिपे भारत में लाया गया ; और

(ख) भारत के बाहर सोने का मूल्य चुकाने की तस्कर व्यापारियों की कार्य प्रणाली क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत में प्रत्येक वर्ष चोरी छिपे लाये जाने वाले सोने के मूल्य का अनुमान लगाने के कोई विश्वसनीय साधन नहीं हैं ।

भारत से बाहर तस्कर-निर्यात किये जाने वाले माल के लिये, जिसमें सोना भी शामिल है, अदायगी करने के लिये तस्कर-व्यापारियों की कार्यप्रणाली, अनधिकृत रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा में अदायगी करना है, जो मुख्यतया इस प्रकार प्राप्त की जाती है :–

(i) देश के अन्दर भेजी जाने वाली रकमों को अनधिकृत जरियों से भेजना ,

(ii) चांदी, नशीले पदार्थों तथा पुरावशेष जैसे सामान का भारत से तस्कर-निर्यात,

(iii) भारत में आने वाले पर्यटकों से अनधिकृत रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, तथा

(iv) निर्यात का न्यून बीजकांकन तथा आयात का अधिबीजकांकन करना ।

श्री निम्बालकर : सरकार ने भारत में सोने की तस्करी को रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं। क्या ये उपाय पर्याप्त हैं, और यदि नहीं, तो सरकार तस्करों से किस प्रकार निपटना चाहती है ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही विस्तृत प्रश्न पूछा है । समय पर हम संसद को बताते रहे हैं कि सरकार अपनी व्यवस्था को मजबूत करती आ रही है । भारत में सोने की तस्करी को रोकने के लिये प्रशासनिक, वित्तीय तथा कानूनी उपाय किये गये हैं । हमारे देश की सीमायें बहुत विस्तृत होने के कारण इन तस्करों को उचित समय पर पकड़ना बड़ा कठिन काम है । पहले सोने की तस्करी मंत्रीगण करते थे क्योंकि अपने विभिन्न प्रकार से सामान के रूप में अथवा जहाजों द्वारा सोना ले आते थे । परन्तु कुछ केंद्रों के स्थापित हो जाने से जहां कि सोने

की तस्करी काफी आडम्बरपूर्ण हो गई है, बहुत तेज चलने वाले यान देश के विभिन्न भागों में आने लगे हैं। सरकार तीव्रगामी यान रखने तथा अन्य समुचित व्यवस्था करने पर विचार कर रही है।

श्री निम्बलाकर : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पाकिस्तान के साथ पिछली लड़ाई के दौरान तस्करी बहुत कम हो गयी थी। आय सीमा रेखा की भली प्रकार चौकीदारी की जाये तो तस्करी बहुत ही कम हो सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री के० आर० गणेश : सरकार ने एक समिति गठित की है और आधुनिक करीकों से की जा रही तस्करी को रोकने के हेतु किसी प्रकार के यत्न के बारे में समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और ज्योंही कोई निर्णय होगा, हम सीमाशुल्क गुप्तचर विभाग तथा एन्फोर्समैंट विभाग को आवश्यक यान उपलब्ध करा देंगे।

श्री एस० बी० गिरि : देश में सोने की तस्करी को रोकने में सरकार की असफलता को देखते हुए क्या सरकार देश में स्वर्ण नियंत्रण आदेश को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है। यह प्रश्न सोने की तस्करी से संबंधित है, स्वर्ण नियंत्रण आदेश से नहीं।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि सीमाशुल्क अध्ययन दल ने इस मामले की जांच की थी और कुछ प्रकार के यान रखने तथा अन्य प्रकार के उपायों की सिफारिश की थी ? इन सिफारिशों को अभी तक कार्यन्वित नहीं किया गया है, और इस लिये सोने की तस्करी दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। क्या सरकार उन सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहती है ?

श्री के० आर० गणेश : इन सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री डी० एन० तिवारी : इस दल ने अपना प्रतिवेदन 3 वर्ष पूर्व पेटा किया था।

श्री के० आर० गणेश : उस पर विचार किया जा रहा है

श्री ज्योतिमय बसु : 28-7-1971 को श्री गणेश ने आधे घण्टे की चर्चा के उत्तर में कहा था कि भारत में प्रतिवर्ष 170 करोड़ रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के तथा 400 करोड़ रुपये भारतीय मूल्य के सोने आदि की तस्करी होती है जबकि सीमाशुल्क विभाग हर वर्ष लगभग आधे करोड़ रुपये के मूल्य का ही सोना पकड़ पाता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में सोने के क्रय के प्रमुख स्रोत क्या हैं ? क्या रुपया कम अथवा अधिक बीजक बनाकर प्राप्त किया जाता है ? क्या आप बतायेंगे कि मदनगोपाल कौल के प्रतिवेदन-जैसा भी निकृष्ट यह प्रतिवेदन है–के अतिरिक्त सरकार इन कदाचारों को समाप्त करने के लिए जोकि कम बीजक अथवा अधिक बीजक द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, क्या सशक्त कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो स्वर्ण-तस्करी के बारे में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें कम या अधिक बीजक भी बनाये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह तो एक तरीकाकार हैं।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैं पहले ही अपने उत्तर में कह चुका हूँ, कम-बीजक तथा अधिक-बीजक द्वारा विदेशी-मुद्रा के गबन से ही सोने की तस्करी में धन लगाया जा रहा है। सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था और उसके प्रतिवेदन को सभा पटल पर भी रख दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सारा प्रतिवेदन एक बकवास है, मैंने आपको कारण बताये थे। इस दल ने तो गवाहों की जांच भी नहीं की।

श्री के० आर गणेश : इस अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इसमें जो भी उपचारात्मक उपाय बताये गये हैं, उनको क्रियान्वित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुख्तियार सिंह मलिक–अनुपस्थित। श्री बीरेन्द्र सिंह राव–अनुपस्थित-की बेकारिया।

पत्रकारों के बीमे की व्यवस्था

*308. **श्री वेकारिया**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दंगों तथा अन्य जोखिम के समाचार देने वाले पत्रकारों के लिए विशेष बीमे की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री वेकारिया : हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि ने उपद्रव वाले क्षेत्रों में अथवा जोखिम पूर्ण कार्य करने वाले पत्रकारों और सम्वाददाताओं के लिए एक ऐसी ही विशिष्ठ बीमा-योजना का समर्थन किया है। हमारे सरकारी प्रतिनिधि ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है, तो क्या सरकार ऐसी एक योजना को निकट भविष्य में क्रियान्वित करेगी अथवा नहीं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमारे प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने प्रयास किया था कि मानवीय अधिकार आयोग इस प्रथा को स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं कि कोई एक देश इसे क्रियान्वित करले। प्रयास यह था कि मानवीय अधिकार आयोग इस बात को सिद्धांततः मान ले और कोई मार्गदर्शीय निर्देश निर्धारित करे। यह एक देश द्वारा स्वीकृति की बात नहीं बल्कि इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा बनना है। अतः भारत इस सम्बन्ध में अगवाई कर रहा है, ताकि आयोग इसे स्वीकार कर ले।

अध्यक्ष महोदय : श्री दामानी—अनुपस्थित

श्री सूर्यनारायण—अनुपस्थित

श्री जगन्नाथ राव जोशी !

Views Expressed by Finance Minister Re. Nationalisation of Industries

***311. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Nihar Laskar :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether he had stated in public meetings during the month of February, 1972 that many important industries would be nationalised after Elections to the State Assemblies were over; and

(b) if so, the industries proposed to be nationalised and action proposed to be taken in this regard ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) मैंने, फरवरी में, सार्वजनिक सभाओं में अपने कुछ भाषणों में, कांग्रेस दल द्वारा अपनाये गये कार्यक्रम के आशयों की व्याख्या करते हुए यह कहा था कि समाजवाद की ओर बढ़ने के उपाय के रूप में साधनों को जोरदार ढंग से जुटाने, अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन करने तथा समान वितरण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आगमी वर्षों में बीमार मिलों को हाथ में लेने और कुछ प्रमुख उद्योगों को सरकार के नियन्त्रण में लाने की आवश्यकता पड़ सकती है । सामान्य बीमा तथा कोक खनन उद्योग का प्रबन्ध पहले ही हाथ में लिया गया है । सरकार ने अभी हाल ही में इण्डियन कापर कारपोरेशन का प्रबन्ध भी अपने हाथ में ले लिया है जो इस देश में तांबा उत्पादन करने वाला एक मात्र संस्थान है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know whether making of policy statements in election compaign is not a kind of threat to other parties ? We want that elections should be free and fair. May I know whether such statements in election days are not against fair polls ?

अध्यक्ष महोदय : सम्पूर्ण विश्व में ऐसी ही प्रक्रिया है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know whether such a clarification or socialism in election days that the Government would take over cotton trade and certain important industries is not against an atmosphere of free and fair poll.

Shri Yeshwantrao Chauhan : I think the way in which you want the elections to be conducted, there should not be made any statement. Each one should keep quiet.

Shri Jagannath Rao Joshi : The Hon. Minister has said that industries are to be nationalized with a view to mobilizaion of resources, more production, and equitable distribution of turn over. But as our experience of last years goes, the Hon. Minister has also accepted it that there has been a net loss of Rs. 3 crores by way of turn over in an investment of Rs. 29 crores to 4500 crores since first five year plan to date. This clarifies, as regards mobilization of resources, nationalization has been a failure, as regards production, the target of 6 million bonns by the end of second five year plan has not so far been achieved. In the same way we find that distribution has not been equitable. May I know whether all these three objects for which industries were recommended to be nationalized, have not been defeated ?

Shri Yeshwantrao Chauhan : The objects have not been defeated. Had it been so the party to which the hon. Member belongs could have emerged victorious. People have accepted our views and it is for this reason that our party has won the elections.

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, sir, is it a proper reply ? Is there no corruption and no loss because of their win ? What does all this mean ?

श्री निहार लास्कर : क्या सरकार देश के प्लास्टिक उपभोक्ता उद्योग को अपने हाथ में लेने जा रही है ? मन्त्री महोदय ने कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के विषय में कहा है, क्या वह बतायेंगे कि वे उद्योग कौन-कौन से हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने जो भाषण दिये हैं, आप उनके बारे में कोई सूचना चाहते हैं । यदि आप किसी विशिष्ट उद्योग के विषय में पूछना चाहते हैं, तो उत्तर देना कठिन होगा क्योंकि इस प्रश्न पर प्रत्येक उद्योग के गुण-दोषों के अनुसार निर्णय किया जाता है । मैंने जो वक्तव्य दिया है, प्रश्न उसी सदर्भ में पूछा गया है । जिस संदर्भ में मैंने वक्तव्य दिया है, उसकी व्याख्या भी मैंने की है । यह बताया है कि यह औद्योगिक विकास तथा सरकार की सामाजिक नीति के सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी की नीति का सामान्य प्रतिपादन है । इसमें, कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीयकरण आवश्यक है परन्तु ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रीयकरण के लिए ही राष्ट्रीयकरण करेंगे । यदि आवश्यक समझा जायेगा तो राष्ट्रीयकरण किया जायेगा, अनावश्यक समझा जायेगा तो नहीं ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मन्त्री महोदय ने संकटग्रस्त मिलों तथा संकटग्रस्त उद्योगों के विषय में कहा है । छोटी कार बनाने वाले उद्योग का प्रस्ताव अभी तक अनिर्णीत पड़ा है । जहाँ तक मोटर गाड़ी तथा कार बनाने वाले उद्योग का प्रश्न है अम्बेसेडर कार बनाने वाले हिन्दुस्तान मोटर्स उद्योग संकटग्रस्त है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उसी ढंग से विशिष्ट उद्योग की बात कह रहे हैं ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यह संकटग्रस्त उद्योग समझा जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हिन्दुस्तान मोटर्स का राष्ट्रीयकरण करेगी ।

श्री ज्योतिमय बसु : सम्पूर्ण कार उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात क्यों नहीं कहते ।

अध्यक्ष महोदय : कार उद्योग मूल प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता । यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यह भी देश का एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अलग से प्रश्न किया जा सकता है ।

श्री जी० विश्वनाथन : भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य मण्डल संघ के एक सम्मेलन में प्रधान मन्त्री के संयुक्त क्षेत्र के समर्थन को दृष्टि में रखते हुए मैं वित्तमन्त्री से इस विषय में जानकारी चाहता हूँ । प्रधानमन्त्री संयुक्तक्षेत्र का समर्थन करती हैं, वित्तमन्त्री राष्ट्रीयकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र का, क्या दोनो में मतभेद है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नहीं, दोनों ही समाधान हो सकते हैं ।

नये मार्गों पर विमान सेवाएं चालू करना

***314 श्री के० मालन्ना :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या देश में वर्ष 1972-73 के दौरान और अधिक विमान सेवाएं चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये सेवाएं किन-किन मार्गों पर कब तक चालू हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री डा० कर्ण सिंह : (क) और (ख)

तिरुपति को वर्तमान वर्ष के दौरान मद्रास, हैदराबाद तथा बंगलौर से जोड़ने का प्रस्ताव है।

श्री के० मलन्ना : क्या बंगलौर और हसन होते हुए दिल्ली से मंगलौर तक विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० कर्ण सिंह : हसन के लिए हमारी कोई विमान सेवा नहीं है अतः इस समय वहां के लिए सेवा आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक मंगलौर का प्रश्न है, एक अन्य मार्ग से इण्डियन एयरलाईन्स के विमान वहाँ जाते हैं।

श्री के० मलन्ना : क्या बंगलौर हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव है।

डा० कर्ण सिंह : बंगलौर का हवाई अड्डा बहुत बड़ा हवाई अड्डा है और बहुत सी विमान सेवाओं से सम्बद्ध है। यदि माननीय सदस्य टर्मिनल बिल्डिंग की बात पूछना चाहते हैं, तो यह मामला विचाराधीन है।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : क्योंकि देश में विमान यातायात क्षमता बहुत अधिक है इसलिए महत्त्वपूर्ण तीर्थयात्रा केन्द्रों तथा पर्यटन महत्त्व के केन्द्रों को विमान सेवा से सम्बद्ध करके इसका पूरा उपयोग उठाया जा सकता है। क्या सरकार ने इस आशय से कोई योजना तैयार की है कि इन क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ा जाये ताकि इन स्थानों को देखने में यात्रियों को सुविधा हो तथा माल परिवहन से शुल्क भी प्राप्त हो सके।

डा० कर्ण सिंह : देश में विमान सेवा के विस्तार का सामान्य प्रश्न पर निरन्तर विचार किया जा रहा है। यातायात क्षमता तथा तीर्थाटन केन्द्र जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण पहलू भी है आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या नयी विमान सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करते समय उस मार्ग विशिष्ट के आस-पास विमान सेवा की व्यवस्था पर भी विचार किया जाता है जिस मार्ग विशेष पर किसी विशिष्ट निश्चित विमान सेवा में कोई बाधा आ जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न नयी विमान सेवा आरम्भ करने के विषय में है उनके रद्द किये जाने के विषय में नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य ; किसी विशिष्ट सेवा अथवा किसी विशिष्ट विमान के फेल हो जाने पर घोषणा द्वारा आकाश में ही यह बताया जाता है कि विमान की मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण विमान डमडम हवाई अड्डे पर वापस जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं। परन्तु मूल प्रश्न से जो नयी सेवायें आरम्भ करने के विषय में हैं, यह प्रश्न कहां उठता है ?

श्री एच० एम० पटेल : क्या नई सेवायें आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व, मन्त्री महोदय वर्तमान उपलब्ध सेवाओं को अधिक सक्षम बनाने की संभावना पर विचार करेंगे।

डा० कर्ण सिंह : दोनों ही बातों पर विचार किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि का नाम निर्देशन

*317. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया है जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण विधेयक, 1971 पर चर्चा के दौरान उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : मामले पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

Maulana Ishaq Sambhali : May I know how the nomination is proposed to be made and the time by which the consideration on it will be completed.

Dr. Karan Singh : As regards nomination, it is evident that the nomination will be made to the Board of Directors. As you know air ports have been taken over by the corporation from 1st April. Only six or seven days have passed, the matter is being considered. I hope we would be able to decide the matter very soon.

Maulana Ishaq Sambhali : May I know why it is not being considered that name is recommended by the employees instead of nomination ?

Dr. Karan Singh : It is a policy matter which is not only concerned with this Ministry but with a number of industries. This is not the policy of the Government that the representative of the employees should be an elected member. The policy is that the Government should take initiative in their hands and take a decesion after broad examination. It is not possible that the representative is elected by the employees since it creates many other things.

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना

* 318. **श्री भोगेन्द्र झा,** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों में विदेशी तेल कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)

गत तीन वर्षों के अन्तर्गत प्रमुख विदेशी तेल कम्पनियों अर्थात् बर्मा-शैल, एस्सो तथा काल-टैक्स द्वारा बाहर भेजे गए धन का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

		1969	1970	1971
(i)	सेवाओं, रायल्टी, फीसों तथा विदेश में कार्यालय संबन्धी व्यय के कारण	128	77	44

(ii)	लाभांश/मुनाफों, विदेशी ऋणों की अदायगी तथा ब्याज के कारण	692	955	470
(iii)	कच्चे तेल तथा उत्पादों के आयात पर तटीय भाड़ों आदि के कारण	7371	6232	8935

बाहर भेजे गये इस प्रकार के धन के लिए कम्पनी/भेजने वाले/ नियोजकों के अनुसार, अधिकृत डीलरों आदि को सामान्य रूप से दी गई इजाजत के अन्तर्गत स्टाफ के सदस्यों में से प्रत्येक द्वारा भेजे गए धन अथवा लिये गये छुट्टी के वेतन के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या कम से कम उस समय तक तक के लिये जब हमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई है विदेशी मुद्रा की बड़ी-बड़ी राशियों को विदेश भेजा जाना पूर्णतया बन्द करने का विचार है।

श्री एच.आर. गोखले: धन राशियां तेल शोधन करारों की शर्तों के अनुसार विदेश भेजी जाती हैं जिन्हें कुछ विशेष मदों के सम्बन्ध में सरकारी आश्वासन प्राप्त होते हैं। देश में तकनीकी ज्ञान की वृद्धि को देखते हुये मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि इंजीनियरो तथा तकनीकी सेवाओं, रायलटी तथा लाईसेंसों के शुल्क के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के रूप में धनराशियों के भेजे जाने में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आवश्यक ज्ञान स्वदेश में ही उपलब्ध है। इसी कारण से सरकार ने विदेशी मुद्रा बाहर भेजने के मामलों की जांच पड़ताल करनी आरम्भ कर दी है। विदेशी मुद्रा के बाहर भेजे जाने से पूर्व मामले को अन्तिम स्वीकृति के लिये मत्रालय भेजने के विषय में रिर्ज़व बैंक ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है। जहां तक संभव हो सके, बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या विदेशी कम्पनियों से कहा जायेगा कि वे अपने लाभ तथा अन्य निधियों को उद्योगों के विस्तार में देश में ही लगायें और विदेश नहीं भेजें ? यदि वे इसस सहमत नहीं होती हैं तो क्या सरकार इन तीनों विदेशी तेल कम्पनियों को अपने अधिकार मे लेने की बात सोच रही है जिससे उसके द्वारा विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना सदैव के लिये बन्द किया जा सके।

श्री एच० आर० गोखले : इसी लिये मैंने आरम्भ में ही यह बताया था कि कुछ विशिष्ट मदों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना चल रह करारों के अनुकूल है। अतः उन विशेष मदों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा बाहर भेजने के लिये आवश्यक है। साथ ही····· ।

श्री भोगेन्द्र झा : अशोधित तेल के मूल्य के सम्बन्ध में करारों में कई बार परिवर्तन किये गये हैं। क्या हम इनका राष्ट्रीयकरण करके विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना सदैव के लिये समाप्त नहीं कर सकते ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं अपने शब्दों को फिर एक बार दोहराता हूँ कि जब तक इन करारों को तोड़ा नहीं जाता तब तक विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना पूर्णतया बन्द नहीं किया जा सकता। इसे कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन करारों को क्यों न तोड़ दिया जाये।

श्री बी० के० दास चौधरी : इन करारों की अवधि कब समाप्त होगी और सरकार का विचार इस सम्पूर्ण मामले पर कब पूनर्विचार करने का है।

श्री एच० आर० गोखले : इन करारों की अवधि समाप्त होने की तिथि इस समय मुझे ज्ञात नहीं है । परन्तु सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि क्या अशोधित तेल की मूल्य वृद्धि रोकने के विचार से करारों में कुछ परिवर्तन किये जायें तथा विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा जाना रोका जाये ।

श्री राजा कुलकर्णी : तेल कम्पनियों द्वारा आरक्षित राशि को पूँजी मानकर बहुत अधिक लाभांश देने की पद्धति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री एच० आर० गोखले : यह प्रश्न केवल तेल कम्पनियों से ही सम्बन्धित नहीं है और वास्तव में मूल प्रश्न से यह उठता भी नहीं है ।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अमरीका को पंच कार्डों का विक्रय

* **319 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संकलित भारतीय अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी सांख्यिकीय आंकड़ों को दर्शाने वाले पंचकार्ड अमरीकी सरकार को बेचने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आय सम्बन्धी अखिल भारतीय सर्वेक्षण का काम मार्च, 1969 में अपने हाथ में लिया था । संविदा की शर्तों के अनुसार, जो इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ किया गया था, अन्तिम अदायगी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को पंचकार्डों के एक सेट सहित अन्तिम रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने पर ही की जानी थी । अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा प्रायोजित सभी अनुसधान परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह बात समान रूप से लागू होती है । इन कार्डों में दी गयी आधारभूत तथ्य-सामग्री परिषद् की रिपोर्ट में पहले से प्रस्तुत निष्कर्षों के अलावा अन्य कोई बड़े निष्कर्ष नहीं निकलेंगे । इन कार्डों में केवल नमूना सर्वेक्षण सम्बन्धी तथ्य-सामग्री है जिससे जानकारी की पहचान तथा स्रोत का पता नहीं चलता । एक अनुसंधान संगठन की हैसियत से परिषद् की यह नीति रही है कि प्रामाणिक विद्वानों को अनुसंधान कार्य के लिये तथ्य-सामग्री, स्रोत को प्रकट किये बिना इस रूप में उपलब्ध की जाय ।

(क) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सम्पूर्ण स्थिति अस्त-व्यस्त है, वित्तीय अनियमिततायें, अयोग्य अधिकारियों की सनक तथा इच्छानुकूल योग्य कर्मचारियों की छंटनी, काकटेल पार्टियों में परिषद् के धन का अपव्यय, सोमानी प्रकाशन के साथ चोरी छिपे किये गये कपटपूर्ण करार तथा दिल्ली में अपने मकान उपलब्ध होते हुये भी किराया भत्ता लेना आदि सभी विप्लवकारी स्थिति के प्रतीक हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् को अब तक वर्षवार कितनी सहायता दी गई है; योग्य, कुशल कर्मचारियों की छंटनी के क्या कारण हैं; और क्या संघ की मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप पूछते हैं कि वर्षवार कितनी धन राशि दी गयी है। आप मूल प्रश्न में ही यह बात पूछ सकते थे जिस से मंत्री महोदय उत्तर के लिये तैयार होकर आते। यदि उत्तर मंत्री महोदय के पास है तो ठीक है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच करायेगी, जिसके सम्बन्ध में अभ्यावेदन पहले ही प्रधान मंत्री को दिया जा चुका है, और महानिदेशक सहित भ्रष्ट अधिकारियों को निलम्बित करेगी *।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अधिकारी का नाम नहीं लिया जाना चाहिये। यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं नाम वापस लेता हूँ केवल महानिदेशक ही कहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों के लिये सदन में एक प्रक्रिया निश्चित की जाती है। श्री दशरथदेव आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री दशरथ देव : मंत्री महोदय ने बताया है कि पंचकार्डों में जानकारी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। फिर अमरीका इन पंचकार्डों को प्राप्त करने पर इतना अधिक बल क्यों दे रहा है। क्या सरकार को पता नहीं है कि अमरीकी लोग हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तोड़ फोड़ करने के लिये इन कार्डों का प्रयोग कर रहे हैं और यदि हाँ, तो इन बातों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन बातों को रोकना एक दूसरा ही प्रश्न है जिस पर सदैव विचार किया जा सकता है। परन्तु मुझे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तोड़ फोड़ तथा पंचकार्डों के बीच कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। मेरे विचार से दोनों बातों में कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः क्या ऐसी कोई जानकारी दी जाती है अथवा नहीं, इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Advancing of Loans by Nationalised Banks to Individual Farmers

*303. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India has issued instructions to the nationalised banks not to advance loans to individuals farmers;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the reasons for issuing the instructions ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) :

(a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

---

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हल्दिया उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य

*307. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले उर्वरक कारखाने का निर्माण, जिसके साथ एक सोडा ऐश का तथा एक मेथानाल का कारखाना भी होगा, निर्धारित अवधि से पीछे चल रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल की खोज हेतु संयुक्त उपक्रमों के लिए नाइजीरिया के प्रति निधिमंडल द्वारा दिखाई गई रुचि

*309. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या हाल ही में नाइजेरिया का जो प्रतिनिधिमंडल भारत आया था उसने अपने देश में तेल की खोज करने के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने अथवा भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) नाइजीरिया के चार-सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी, 1972 में भारत का दौरा किया और आपसी हितों, जिसमें तेल के अन्वेषण में भारत द्वारा नाइजीरिया को सहायता दिया जाना सम्मिलित था, पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया था । किन्तु प्रतिनिधिमंडल ने तेल अन्वेषण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा भारत के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा था ।

आंध्र प्रदेश में आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे

*370. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त मंत्री** आंध्र प्रदेश में आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापों के बारे में 3 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2689 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में की गई जाँच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जाँच-पड़ताल अभी भी जारी है । निर्धारितियों को, उनके विरुद्ध चलाये गये मामलों की पैरवी करने का अवसर देने के बाद कानून सम्मत सभी प्रकार की कार्यवाही की जायगी ।

अतारांकित प्रश्न सं० 2689 के उत्तर में क्रम सं० 33 पर उल्लिखित व्यक्ति का जहां तक सम्बन्ध है, तलाशियों से कोई कर-अपवंचन प्रकट नहीं हुआ । जहां तक क्रम सं० 34 में उल्लिखित व्यक्ति का संबंध है, इस संबंध में और आगे पूछताछ करने के बाद यह पाया गया कि धन निर्धारिती के पुत्रों का था न कि निर्धारिती का । पुत्रों के मामलों में समुचित कार्यवाही की जा रहा है ।

जापानी मुद्रा "येन" के पुनर्मुल्यन का भारत के ऋण पर प्रभाव

*312. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जापान की मुद्रा 'येन" का पुनर्मूल्यन किया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत पर ऋण का भार बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कितना ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) से, (ग) : अभी हाल में, कुछ देशों द्वारा अपनी मुद्राओं का मूल्य फिर से निर्धारित किये जाने के कारण, जापानी येन का मूल्य, अमरीकी डालर के संदर्भ में 16.88 प्रतिशत तथा रुपये के संदर्भ में 13.43 प्रतिशत बढ़ गया है । रुपये के संदर्भ में जापानी येन के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण, जापान के प्रति भारत की ऋण सम्बन्धी बकाया देनदारी में, रुपयों के रूप में लगभग 47 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी ।

मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क और केन्द्रीय बिक्री कर का अपवंचन

*313. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड अपने एल्यूमिनियम और अन्य उत्पादों की बिक्री पर अपने बीजकों में अनियमित रूप से मालभाड़ा तथा प्रासंगिक व्यय शामिल करके केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर का अपवंचन कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संब्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : एक माननीय संसद सदस्य से हाल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें मैसर्स हिन्दुस्तान एलुमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन किये जाने का आरोप है । सम्बन्धित विभागों द्वारा शिकायत की जांच की जा रही है और जांच के परिणामों को ध्यान में रखकर उपयुक्त कार्यवाही की जायगी ।

भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन को मिले चन्दे पर आयकर से विमुक्ति

*375. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने सरकार से कोई अनुरोध किया है कि उस को व्यापार गृहों तथा अन्य व्यक्तियों से मिले चन्दे पर आय कर देने से छूट दी जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-छ के अन्तर्गत, राहत केवल राष्ट्रीय महत्व की निधियों, धर्मादा निधियों/संस्थाओं, अथवा सार्वजनिक प्रसिद्धि के पूजा-स्थलों अथवा ऐतिहासिक, पुरातत्व सम्बन्धी अथवा कलात्मक महत्व के स्थानों की मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिये विशिष्ट रूप से एकत्रित की जाने वाली निधियों में दिये जाने वाले दानों के सम्बन्ध में ही स्वीकार्य है। क्रीड़ा-संस्थान उपर्युक्त वर्गों में से किसी के भी अन्तर्गत नहीं आते। अतएव, क्रीड़ा-निकायों को दिये जाने वाले दान के सम्बन्ध में धारा 80-छ के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ को दानकर्त्ता के कर-निर्धारण पर नहीं लागू किया जा सकता।

आयुध कारखानों में असैनिक वस्तुओं के उत्पादन की योजना

*316. **श्री पीलू मोदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयुध कारखानों के उत्पादन के एक भाग को असैनिक उपयोग में लाने की एक योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : आर्डनेंस कारखाने मुख्यतया रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। सिविल प्रयोग की मदों के उत्पादन को उस समय हाथ में लिया जाता है जब कि आर्डनेंस कारखानों की उत्पादन क्षमता सेनाओं की मांग को पूरा करने के बाद फालतू हो, तब सिविल उपयोग में आने वाली मदों के उत्पादन के लिए क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। पहले से एक योजना है जिसके अन्तर्गत आर्डनेंस कारखानों को सिविल व्यापार जिसमें अन्य सिविल मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी संस्थान इत्यादि शामिल हैं, से फालतू क्षमता को लाभदायक उपयोग के लिए आदेश लेने की व्यवस्था है।

किरकी स्थिति रक्षा संयंत्र का आधुनिकिकरण

*320. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के कार्यक्रम के भाग स्वरूप किरकी संयंत्र का आधुनिकिकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) तथा (ख) : जी हाँ, सरकार ने किरकी में दो आर्डनेंस कारखानों को लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाने की योजना को संस्वीकृति प्रदान कर दी है। योजना में वर्तमान पुराने सयंत्र को नए संयंत्रों से बदलने/प्रतिस्थापित करने के लिए योजना बनाई गई है जिससे रक्षा रसायनों तथा गोला बारूद सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। परियोजना 1974-75 तक पूर्ण चालू हो जाने की सम्भावना है।

अमरीकी सहायता द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

*2126. **श्री विश्वनाथ भुंभुनवाला :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विभिन्न परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर अत्यधिक अमरीकी सहायता से कार्य हो रहा है और जिन पर सहायता बन्द होने का विपरीत प्रभाव पड़ेगा :

(ख) क्या योजना आयोग ने ऐसी परियोजनाओं के अध्यक्षों को अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

वित्त मन्त्री श्री (यशवन्तराव चह्वाण) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी परियोजना-भिन्न सहायता को केवल अंशत: स्थगित किया है । संयुक्त राज्य अमेरिका ने परियोजनाओं सम्बन्धी ऋण-करारों को स्थगित नहीं किया है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

विदेशी विमान यात्रा एजेंसियों की ओर जाने वाले भारतीय पर्यटन यातायात को रोकने के लिए कार्यवाही

2128. **श्री विश्वनाथ भुंभुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी यात्रा कर लगाने से भारतीय पर्यटन यातायात का एक बड़ा भाग विदेशी विभाग यात्रा एजेंसियों की ओर जा रहा है;

(ख) उक्त कर लगाने के समय से विदेशी विमान यात्रा एजेंसियों द्वारा कितने भारतीय पर्यटक अपनी ओर लिये जा रहे हैं और एक वर्ष पूर्व के इसके अनुरूपी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) विमान किरायों में रियायत करने की घोषणा से उक्त कर के लगाये जाने के परिणाम-स्वरूप हुई वृद्धि को कहां तक निष्प्रभावी बताया गया है और भारतीय पर्यटकों को विदेशी विमान यात्रा एजेंसियों की ओर जाने से रोकने के लिए क्या विभिन्न कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री डा० कर्ण सिंह : (क) विदेशी यात्रा-कर उस अवस्था में लगता है जबकि किराये की अदायगी भारतीय मुद्रा में की जाये और इस तथ्य को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है कि यात्री ने किस एयरलाइन द्वारा यात्रा की; अत: इस कर के परिणामस्वरूप यातायात एयर-इण्डिया से हटकर विदेशी एयरलाइनों को नहीं जाता है ।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और अधिक संख्या में यातायात को आकर्षित करने के लिए एयर-इण्डिया ने कुछ प्रोत्साही किराये प्रदान किये हैं और अब तक उनका परिणाम उत्साहवर्धक रहा है । यात्रा-कर लग जाने से भारत से विदेश यात्रा यातायात पर निरोधात्मक प्रभाव पड़ा है किन्तु अभी इतने जल्दी इसके परिणाम का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

विदेशी एयरलाइनें भारत को और भारत से अपने परिचालन द्विपक्षीय करारों अथवा प्रबंधों के आधार पर परिचालित करती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पारस्परिक आधार पर एयर-लाइनों के लिए न्यायोचित एवं समान अवसरों की व्यवस्था भी होती है ।

एयर इण्डिया की जम्बो तथा अन्य विमान सेवाओं के लाभ को बढ़ाने के उपाय

2129. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया को जम्बो तथा अन्य विमान सेवाएं गत दो वर्षों से भारी घाटे पर चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किराया कम कर दिया है और यदि हां, तो घाटे को कम करने में इससे कहां तक सहायता मिली है;

(ग) भारत में विदेशी विमान यात्रा एजेंसियों द्वारा रियायती टिकटों की बिक्री से कितना घाटा हुआ है; और

(घ) एयर इण्डिया की सेवाओं के लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : एयर इण्डिया ने 1970-71 में 2.70 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और अनुमान लगाया है कि इसे 1971-72 में 4·83 करोड़ रुपये की हानि होगी ।

(ख) एयर इण्डिया ने 1971 के अन्त में कुछ प्रोत्साही किराये चालू किये । यद्यपि इनके प्रभाव का अभी इतनी जल्दी अनुमान लगाना कठिन है, तथापि अब तक इसकी प्रतिक्रिया उत्साह-जनक रही है ।

(ग) यह भी एक सहायक कारण रहा है ।

(घ) एयर इण्डिया व्यय में कमी करने तथा यातायात को बढ़ाने के सतत प्रयत्न कर रहे हैं । कारपोरेशन ने चार्टर परिचालनों के लिए एक पृथक् कम्पनी की स्थापना भी की है ।

पर्यटन यातायात के विकास पर विदेश यात्रा कर लगाने का प्रभाव

2130. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन यातायात के विकास पर अक्तूबर, 1971 में 15 प्रतिशत का विदेश यात्रा कर लगाये जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है :

(ख) इस साधन से अब तक कुल कितना धन वसूल किया गया है : और

(ग) अक्तूबर, 1971 से किरायों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप एयर इण्डिया को कुल कितना घाटा हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सभी विदेश यात्राओं पर, जिनका किराया भारतीय मुद्रा में अदा किया जाता है अथवा देय होता है, विदेश यात्रा कर लगाया गया है । भारत आने वाले पर्यटक अपना किराया विदेशी मुद्रा में देते हैं केवल विरल मामले में कोई पर्यटक भारत में संचित अपनी भारतीय मुद्रा में से किराया अदा करता है । अतः विदेश

यात्रा-कर का भारत आने वाले पर्यटक यातायात पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और अधिक संख्या में पर्यटकों एवं यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एयर-इण्डिया ने कुछ प्रोत्साही किराये प्रदान किये हैं। अब तक इनका परिणाम उत्साहवर्धक रहा है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

2131. श्री चन्द्र शैलानी : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायकों, सहायक सिविल स्टाफ अधिकारियों और सिविल स्टाफ अधिकारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित कोटे से भी कम है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संवर्गों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कोटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सहायक असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर, अयोग्यों को छोड़कर, की जाती है। इन नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों में कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं की गई है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के नियमों के अनुसार 2-3-1968 से सहायक ग्रेड के स्थायी रिक्त पदों के एक अनुपात को 2-3-1968 से प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर नामांकन के द्वारा भरा जाता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए कुल आरक्षित किए गए सीधी भर्ती कोटा के रिक्त स्थायी पदों की संख्या 1968 से1971तक 16 है। इसके आधार पर असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा के परिणाम पर 7 अभ्यार्थियों को नामांकित किया गया था, जिन्हें नियुक्त भी कर दिया गया है, 6 को हाल में नामांकित किया गया है, उन्हें नियुक्त करने की पेशकश की जा रही है। 3 रिक्त स्थानों की कमी को आगे ले जाया जायगा।

असिस्टेंट सिविलियन स्टाफ अफसर : ए० सी० एस० ओ० के पदों को चयन के आधार पर पदोन्नति के द्वारा भरा जाता है। अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि 2-3-1968 से प्रत्येक वर्ष में होने वाले रिक्त स्थानों के एक अनुपात की सीधी भर्ती के द्वारा, संघ-लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के साधार पर भरा जाता है। 1968 से 1971 तक स्थायी रिक्त स्थानों में से अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 स्थायी रिक्त स्थान किए गये हैं। 1969 वर्ष के लिए दो अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों जिन्हें नामांकित किया गया था परिवीक्षाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दिया हैं तथा इन रिक्त स्थानों को आगे ले जाया जा रहा है। 1970 की परीक्षा से एक अनुसूचित जाति तथा दो अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी को नामांकित किया गया है। एक अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर दी है, दूसरे ने पेशकश को मना कर दिया है तथा एक अनुसूचित अभ्यार्थी को नियुक्ति पत्र भेजा गया है। 3 अनुसूचित जाति के तथा एक अनुसूचित जनजाति की कमी को आगे ले जाया जा रहा है।

सिविलियन स्टाफ अफसर : यह क्लास 1 पद है, तथा इसको योग्य विभागीय अभ्यार्थियों के चयन के आधार पर भरा जाता है । अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जब पदोन्नति चयन के आधार पर की जाती है ।

(ख) जैसा ऊपर (क) में कहा है भर्ती करने के लिए रिक्त स्थानों को आगे ले जाया जा रहा है जिससे संघ लोक-सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा के आधार पर और नामांकन किए जाने पर भरा जा सके ।

सशस्त्र सेना के मुख्यालय में संघ लोक सेवा के माध्यम से एसिस्टेंटों की सीधी भर्ती पर रोक

2132. श्री चन्द्र शैलानी : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा मन्त्रालय सशस्त्र सेना के मुख्यालय में, संघ लोक-सेवा आयोग के माध्यम से, एसिस्टेंटो की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं । सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सिविल सेवा नियमों के अनुसार एसिस्टैंट ग्रेड 1970, 1971 मार्च तक 25 प्रतिशत, मार्च 1973 तक 33⅓ प्रतिशत तथा मार्च 1973 के आगे 55 प्रतिशत स्थायी पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं।

केरल के भूतपूर्व सैनिकों से अभ्यावेदन

2133. श्री वयालार रवि : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के भूतपूर्व सैनिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सुझाव पेंशन में वृद्धि करने, केरल राज्य में नौकरियों में अधिक आरक्षण, (पूनर्वास) के लिए राज्य विशेष निधि का औद्योगिक एस्टेंटों के लिए प्रयोग तथा राज्य निधि के लिए प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन से सम्बन्ध में है ।

(ग) सुझावों पर विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में पोनमुडी स्थान का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2134. श्री वयालार रवि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में पोनमुडी स्थान का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने हेतु कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग को इस तरह का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारत और ब्रिटेन के बीच भ्रमण के लिये सस्ते किराये

2135. श्री के० सूर्य नारायण : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** एयर इण्डिया द्वारा लागू किये गए भ्रमण किरायों के बारे में 17 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ब्रिटेन के बीच यातायात की बहुत अधिक संभावनायें होते हुए भी दोनों देशों में आने जाने के लिये सस्ते भ्रमण किराये किन कारणों से लागू नहीं किये गये :

(ख) उन विदेशी विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस मार्ग पर सस्ते भ्रमण किराये लागू कर रखे हैं; और

(ग) क्या विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा ऐसे सस्ते किराये लागू करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संस्था के किराये-ढांचे में भारत और यू० पी० के बीच कुछ रियायती किरायों. जैसे सजातीय वर्ग के लिए किराये (एफिनिटी फेयर) तथा सामुदायिक एक मुश्त भ्रमण किराये (ग्रुप इंक्लुसिव टूर फेयर) की पहले से ही व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, एयर इण्डिया ने एक चार्टर कम्पनी की स्थापना की है जो कि दोनों देशों के मध्य सस्ती चार्टर उड़ानें परिचालित करती है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संस्था द्वारा निर्धारित रियायती किरायों का उपयोग भारत और यू० पी० के मध्य परिचलन करने वाली सभी सदस्य एयरलाइनों को उपलब्ध है। भारत सरकार की अनुमति से चार्टर यात्री उड़ानें भी परिचालित की जा सकती हैं ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संस्था द्वारा निर्धारित किराये सरकार की स्वीकृति के सापेक्ष होते हैं ।

केरल में कोवलम तट पर्यटन केन्द्र परियोजना

2136. श्री रामचन्द्र कडनापल्ली : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोवलम तट पर्यटन केन्द्र परियोजना की क्रियान्वित की प्रगति बहुत धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रगति बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) :

भारत में यह अपने प्रकार की पहली प्रायोजना होने के कारण इस के प्रारम्भिक चरणों में कुछ देर हो गई क्योंकि पूर्ण योजना को बहुत सावधानीपूर्वक तैयार करना था, तथा कुटीरों,

होटल व समुद्रतटीय सेवा केन्द्र के नकशों की बारीकी से जांच करना आवश्यक था। कार्य की गति अब तीव्र कर दी गई है तथा 40 कुटीरों के इस वर्ष और होटल के 1974 तक पूरा हो जाने की आशा है।

टैलो की कमी

2137. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहायता बन्द हो जाने के कारण तेलों और चरबी की सप्लाई कम हो जाने के फलस्वरूप साबुन उद्योग को टैली की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी कमी है और सरकार ने इस विषय में कौन से कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : अमरीकी सहायता के बन्द हो जाने के कारण देश में चर्बी की संभावित कमी की सरकार को जानकारी है और वह (सरकार) चर्बी तथा/अथवा अन्य स्निग्ध पदार्थों एवं तेलों की पर्याप्त मात्राओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में ध्यान दे रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान

2138. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने भी केन्द्रीय सरकार के सेवा सम्बन्धी नियम अपनाये हुए हैं ;

(ख) क्या भारत और पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अभी तक वह अन्तरिम सहायता नहीं दी गई है जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सितम्बर, 1961 से दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने प्रधान कार्यालय; यात्री लाजों, परिवहन यूनिटों और शुल्क-मुक्त दुकानों जैसी कुछ यूनिटों के मामले में केन्द्रीय सरकार के सेवा नियमों को आधार बनाया गया है। होटल आदि जैसे अन्य यूनिटों के मामले में इनके काम की प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए विशिष्ट स्थायी नियमों को अपनाना आवश्यक था।

(ख) और (ग) : निगम के कर्मचारियों को निर्दिष्ट अन्तरिम सहायता प्रदान नहीं की गई क्योंकि निगम ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों से भिन्न वेतन मानों का अपनाने का निर्णय किया है।

जमशेदपुर और दिल्ली के बीच विमान सेवा

2139. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर और दिल्ली के बीच विमान सेवा अभी तक आरम्भ नहीं की गई है;

(ख) क्या उन्होंने अपने पत्र संख्या एम० एस० टी० सी० ए०/6171 दिनांक 4 अगस्त, 1971 के द्वारा यह आश्वासन दिया था कि इण्डियन एयरलाइन्स का विचार अपनी 15 अक्तूबर, 1971 से लागू होने वाली शरद्कालीन समय सूची में राउरकेला-रायपुर-भोपाल से दिल्ली आने वाली विमान सेवा आरम्भ करने का है जिससे दिल्ली से बरास्ता जमशेदपुर कलकत्ता का संपर्क स्थापित हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली जमशेदपुर के बीच किस तिथि तक सीधी विमान-सेवा आरम्भ कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जमशेदपुर कलकत्ता और भोपाल दोनों मार्गों पर दिल्ली से विमान सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है ।

(ख) माननीय सदस्य को सूचना दी गई थी कि 13 अक्तूबर, 1971 से इण्डियन एयर-लाइन्स का दिल्ली से और दिल्ली के लिए संयोजक सेवाओं सहित एक कलकत्ता-जमशेदपुर-रांची-राउरकेला-रायपुर-भोपाल विमान सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । 15 अक्तूबर, 1971 से कलकत्ता-रांची-राउरकेला-रायपुर-भोपाल मार्ग पर सप्ताह में दो बार की सेवा का परिचलन प्रारम्भ कर दिया गया और 15 जनवरी, 1972 से जमशेदपुर को भी इस उड़ान में शामिल कर लिया गया ।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स की जमशेदपुर और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है ।

सेवा में वार्षिक भर्ती के आंकड़े

2141. श्री माधुर्य हालदार : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष राज्य-वार सेना (अधिकारियों) तथा (अन्य वर्गों) में भर्ती के आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है । गत तीन वर्षों में, कमीशन प्राप्त अफसरों के राज्यवार, वर्षवार ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं । इनको संकलित किया जा रहा है तथा सभा के पटल पर रख दिया जायगा ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1679/72]

प्राइराट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड

2142. श्री पी० वेंकटसुब्बया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइराट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में मुख्य कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ARREST OF PERSONS IN FARIDPUR (UTTAR PRADESH) FOR HELPING PAKISTANI POWs TO ESCAPE

2143. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether Government are ware that some persons in Faridpur (Uttar Pradesh) have been arrested on the charge of helping the Pakistani Prisoners of War to escape; and

(b) If so, the names of the persons arrested and the action taken against them by Government ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : Four persons have been arrested. The case against them is under investigation.

पश्चिम बंगाल में गोयंका ग्रुप आफ कम्पनीज के विरुद्ध जांच

2144. श्री ज्योतिमय बसु : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पश्चिम बंगाल में गोयंका ग्रुप आफ कम्पनीज के विरुद्ध कदाचर के आरोपों में की गई जांच में कितनी प्रगति हुई है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्री रामनाथ गोइन्का के विरुद्ध मैसर्स नेशनल कम्पनी लिमिटेड की बाबत एक मामले की केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जाँच की जा रही है । जिस समय यह जांच प्रगति पर थी, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, केन्द्रीय जांच विभाग को प्रथम बार छै सप्ताह के लिए जांच को आगे चालू रखने से रोकते हुए एक पक्षीय अन्तः कालीन निषेधाज्ञा प्रेषित कर दी । इस निषेधाज्ञा को समाप्त करने के पग उठाये गये थे । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, 2 फरवरी 1972 को जाँच पड़ताल को रोकने की याचिका खारिज कर दी, परन्तु इसकी अपील करने के लिए छै सप्ताह का समय प्रदान कर दिया । इसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर कर दी है एवं रोक को पुनः बढ़ा दिया गया है । अतः केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच रुक गई है ।

ऊपर कथित कम्पनी के अलावा पश्चिमी बंगाल में, एक अन्य गोइन्का समूह से सम्बन्धित कम्पनियां भी पंजीकृत हैं, जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जाँच विभाग के पास कुछ परिवादों का पंजीकरण कराया गया है । ये विषय अभी जांच पड़ताल के अन्तर्गत हैं ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2145. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को उसकी योजनाओं के लिए ऋण तथा अनुदानों के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई ।

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य को उसकी योजनाओं के लिए कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ग) उक्त अवधि में वास्तव में कितनी केन्द्रीय सहायता प्रयोग में लाई गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1680/72]

(ग) विद्यमान प्रणाली के अन्तर्गत, राज्यों की राज्यीय आयोजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की अदायगी, उनके द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर उनके अधिकार के अनुसार की जाती है । इस प्रकार, विवरण में दिखाये गये वितरित ऋण और अनुदान राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त करने के अधिकार उपयोग के द्योतक हैं ।

कोजीकोड में सम्पदा शुल्क के सहायक नियन्त्रक की गिरफ्तारी

2146. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा शुल्क के सहायक नियंत्रक को 7 फरवरी, 1972 को कोजीकोड में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक, कोजीकोड गत 5 फरवरी 1972 को 200 रुपये रिश्वत लेने के अभिकथित कार्य में पकड़ा गया ।

(ख) विशेष पुलिस संस्थान ने, एर्नाकुलम के विशेष जज के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । दोषी अधिकारी के विरुद्ध, भ्रष्टाचार-निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (घ) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा 5 (2) के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है । विशेष पुलिस संस्थान मामले की आगे जांच-पड़ताल कर रहा है । इसी बीच, उक्त अधिकारी को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

पाकिस्तान को विदेशों द्वारा दिये गये हथियार

2147. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उन देशों के बारे में जानकारी है जिन्होंने हाल ही के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को हथियार दिये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : सरकार को इस विषय की सूचना है, किन्तु इसका प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) इन पूर्तियों का हमारी सुरक्षा पर तथा रक्षा तैयारी पर होने वाले संघात को समय समय पर पुनरीक्षित किया जाता है ।

घायल युद्ध-बन्दियों को वापस पाकिस्तान भेजना

2148. श्री पी० वेंकटासुब्बाया
श्री एच० एम० पटेल } क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने घायल पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है तथा उनका विवरण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : गम्भीर रूप से रोगी निम्नलिखित 27 पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित कर दिया गया है :—

ए० सी० ओ 5349	लेफ्टि० कर्नल	बशरत अहमद
ए० सी० ओ० 7011	मेजर	एम० आर० के अब्बासी
ए० सी० ओ० 2188	कैप्टन	मोहम्म शरीफ खान
2265677	सिपाही	मोहम्मद करीम
2223437	नायक	नजीर अहमद
27806	सिपाही	दोस्त मोहम्मद
344314	सिपाही	एम रज़ाक
343914	लै० नायक	अदालत खान
2660874	सिपाही	दिलवार खान
2256454	सिपाही	अब्दुल कादिर
1425	सिपाही	गुलाम अली
2243631	सिपाही	मोहम्मद शरीफ
3838689	हवलदार	मोहम्मद रसत
2210129	नायक	वसीर अहमद
102538	सिपाही	बरकत अली
52548	सिपाही	तालीब हुसैन
335471	नायक	मोहम्मद रहीम
2484376	सिपाही	मोहम्मद यूशफ
333836	लैंस नायक	हनीफ
2225848	लैंस नायक	रजा खान
2214872	हवलदार	मोहम्मद हनीफ
2234184	सिपाही	गुलाम नबी
2245553	सिपाही	मेहरबाद शाह
2688020	सिपाही	मन्जूर अहमद
51045	सिपाही	मोहम्मद आलम
9105	सिपाही	मोहम्मद खान
340043	सिपाही	गुल मोहम्मद

PREFERENCE IN GOVERNMENT AND NON GOVERNMENT SERVICES TO FAMILIES OF SOLDIERS KILLED AND TO THOSE DISABLED

2149. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether there is any scheme under consideration of Government to give preference in Government and non-Goverement services to the families of the soldiers killed and to the soldiers disabled during the Indo-Pak war of December 1971; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) :

A statement indicating the various measures taken proposed to be taken for rehabilitation of families of soldiers killed and to the soldiers disabled during the recent war is attached.

Statement

Orders have been issued to the effect that upto 2 members of each of the family of the Defence Forces killed in action may appointed to Class III and Class IV posts in Central offices by direct recruitment without registration at the Employment Exchange and this concession is available to the widows, sons or daughters of the deceased personnel or near relations who agree to support the deceased's family.

To assist the disabled ex-servicemen and the families of ex servicemen killed in action it has been decided that the disabled ex-servicemen shall be accorded the highest available priority, along with retrenched employees of Central Government for the purpose of appointment to Class III and Class IV posts under the Central Government which are filled through employment exchanges. It has also been decided that upto two members of each family of Defence Service personnel killed/severely disabled in action will be given the next lower priority i. e. Priority II. Further, disabled ex-servicemen are also being given preference for absorption against the reserved quota of 10 % of vacancies in Class III posts and 2% of vacancies in Class IV posts. The State Governments have also been requested to adopt the same line of action.

Chief Executives of Public Sector Undertakings have also been requested to make reservation for ex-servicemen and dependents of those killed in action for the posts under them.

It is also proposed to enact legislation to ensure that disabled ex-servicemen along with other disabled, are employed in the public and private sectors against an appropriate quota of vacancies to be reserved for them.

A special organisation has been created to watch and pursue the implementation of these decisions and to ensure that the benefits are actually made available to the entitled persons.

विशाखापत्तनम में रूस को नौसैनिक सुविधाएं

2150. श्री हरि किशोर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस को विशाखापत्तनम में नौसैनिक सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(ख) यदि हां, तो दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ई० एन० मंगत राय, आई० सी० एस० विशेष सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा त्यागपत्र

2151. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ई० एन० मंगत राय, आई० सी० एस० विशेष सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, : हालांकि उन्हें अक्तूबर, 1973 में रिटायर होना है;

(ख) क्या उनके त्यागपत्र का कारण पाइपलाइन के मामले को न्यायिक जांच से सम्बन्धित है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पाइपलाइन जांच में यदि वह उत्तरदायी हों तो वह उससे बच न सकें, क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) श्री ई० एन० मंगत राय, विशेष सचिव, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, ने समय से पूर्व सेवा निवृत्त होने के लिए प्रार्थना की थी और उन्हें 19-2-1972 से सेवा निवृत्त होने की अनुमति दे दी गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आइलैंड ग्राऊण्ड, मद्रास में रक्षा भवन समूह

2152. **श्री वी० मायावन**
श्री दीनेन भट्टाचार्य } : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइलैंड ग्राऊन्ड, मद्रास में भवन निर्माण करने के भारत सरकार के निर्णय का तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) मुख्य मंत्री तमिलनाडु ने अनुरोध किया है कि आइलैंड की पूरी भूमी को खुले स्थान के रूप में मुक्त रखा जाय ।

(ख) एक श्री डी. सारनगन, सदस्य नगर निगम मद्रास ने मद्रास उच्च न्यायालय में आइलैंड ग्राऊंड पर निर्माण के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की है । रिट याचिका के निर्णय होने तक मद्रास उच्च न्यायालय ने आइलैंड पर और आगे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल द्वारा सुझाई की गई विशेष पर्यटक मुद्रा विनिमय दर

2153. **श्री पी० के० देव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1972 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा प्राधिकृत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के उच्चस्तरीय दल ने अपने प्रतिवेदन में विशेष पर्यटक मुद्रा विनिमय का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) सरकार द्वारा सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है ।

Facilities to Passengers Travelling in Night Service Planes.

2154. Dr. Sankata Prasad : Will the minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) Whether the Indian Airlines has decided to accord travel facilities to the maximum number of passengers in their night service planes;

(b) if so, the number of additional passengers to get such facilities; and

(c) the date by which this facility will be provided ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) to (c) : Indian Airlines are considering the feasibility of introducing night services with jet aircraft.

Decision to Charge less Fare from Passengers Undertaking Air journey at Night.

2155. Dr. Sankata Prasad : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Indian Airlines has decided to charge less fare from persons undertaking air journey at night; and

(b) if so, the extent of reduction of fare and the time when the decision would be implemented ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b) : Indian Airlines have always been charging a lower fare on their night airmail services. They are considering the feasibility of operating night services with jet aircraft. Details are yet to be worked out.

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव

2156. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई ऋण नीति बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए नये रास्ते

2157. श्री राजदेव सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छः तेल वाहक जहाज खरीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण लेने हेतु बातचीत करने का निर्णय किया है और इण्डियन आयल कारपोरेशन को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विश्वव्यापी टैंडर मांगने का अधिकार दिया है ; और

(ख) क्या आयात के लिए नये रास्ते बनाने तथा विदेशी तेल कम्पनियों की मांग से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)

(क) और (ख) चार कच्चे तेल के टैंकरों, प्रत्येक 87500 डी डब्ल्यू टी और दो उत्पाद वाहक पोतों प्रत्येक 24,114 डी डब्ल्यू टी, के भारतीय नौपरिवहन निगम द्वारा क्रय के सम्बन्ध में इण्टरनेशनल डिवैलपमैंट एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने, निधियों की उपलब्धि होने पर, 83 मिलियन डालर के ऋण का अनुमोदन किया है। कच्चे तेल के आयात और पेट्रोलियम उत्पादों के तटीय परिवहन के लिए विदेशी पोतों की निर्भरता को कम करने के लिए उपाय अपनाए जा रहे हैं। ये चालू वर्ष में उत्पादों की कमी को पूरा करने हेतु इन (उत्पादों) के आयात के लिए भारतीय तेल निगम के टैण्डर से इन उपायों का संबंध नहीं है।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों से गैर सरकारी व्यक्तियों का निकाला जाना

2158. श्री बयालार रवि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों से गैर-सरकारी व्यक्तियों को निकालने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या फरटीलाइजर्स एण्ड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड के नये निर्देशन बोर्ड में कोई गैर-सरकारी व्यक्ति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार की नीति, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों में सरकार से बाहर के दो या तीन अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य सम्मिलित करने की रही है। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) अधिकाँश सरकारी उद्यमों के बोर्डों से भिन्न, फर्टिलाइजर्स ऐण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अधिकांश सदस्य साधारण शेयरधारियों द्वारा सामान्य बैठक में चुने जाते हैं ; कम्पनी की अन्तर्नियमावली में यह व्यवस्था की गयी है। इस समय, इस प्रकार के सात चुने हुए निर्देशक इनमें से तीन सरकारी कर्मचारी हैं, तीन अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हैं और एक ऐसी कम्पनी का है जिसमें केन्द्रीय सरकार के 50 प्रतिशत शेयर हैं। दो अन्य निदेशक भी हैं ; एक तो अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक है जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है और दूसरा केरल सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।

भारत से विदेशी कम्पनियों का चला जाना

2159. श्री पीलू मोदी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी 1972, के समाचार पत्र "मदरलैंड" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि विदेशी कंपनियां भारत से जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कुछ कम्पनियां, खासकर विदेशी स्वामित्व वाली तेल-शोधक कम्पनियां ऊँची दरों पर लाभांश घोषित करने के लिए अपनी प्राक्षित निधियों में से भारी मात्रा में निकासियां करती रही हैं जिनके परिणामस्वरूप विदेशी प्रेषणाओं में वृद्धि हुई है। सरकार ने कम्पनियों द्वारा ऐसा किए जाने पर अभी तक कोई प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझा है, किन्तु स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

Supply of U. S. Arms to Pakistan just before Indo-Pak War.

2160. Shri R. R. Sharma :
Shri Chintamani Panigarhi : } Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether an American transport plane C-141 unloaded military equipment at Karachi airport on the 29th November, 1971, just five days before the Indo-Pak war; and

(b) if so, the information with Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) Government have seen press report to this effect. The U. S. Government has, however, informed Government of India, both through their Ambassador in New Delhi as also through our Mission in Washington, that no American arms have been supplied to Pakistan in this period.

LABOUR CONFERENCE

2161. Shri M. C. Daga : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether a Conference of Managers of major public sector industries in India, Labour leaders, Scholars and Policy-makers was held in Delhi from 12th to 19th January, 1972;

(b) if so, the object of this Conference and the resolutions passed there at; and

(c) whether a copy thereof would be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Presumbly, the Honourable Member is referring to the Seminar on Participative Mangement in Public Enterprises sponsored by the Shri Ram Centre for Industrial Relations, New Delhi and the Indian Institute of Managment, Calcutta with the help of the Bureau of Public Enterprises, Government of India which was held in New Delhi from January 15 to 19, 1972. The Seminar was attended by managers from public and private sector industries and others interested in labour matters including a few specialists.

(b) The objectives of the Seminar were to :-

(i) promote an understanding of the purpose and importance of workers, participation in mangaement;

(ii) evolve an effective organisational framework for involving workers in the decision-making process;

(iii) learn from the reviews of the working of participative management; and

(iv) identify the steps for preparing managers and thier organisation for effective use of participative forums.

Being an educative Seminar, the question of passing Resolutions does not arise.

(c) Does not arise.

युद्ध बन्दियों का नेपाल भागना

2162. श्री बनमाली पटनायक
श्री पोत्र केव देव } : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 में दो पाकिस्तानी युद्ध बंदी भारत से भाग कर नेपाल चले गये थे ;

(ख) क्या नेपाल सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मामला अभी तक नेपाल सरकार के साथ विचाराधीन है ।

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ नियंत्रण बोर्ड की नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट

2163. श्री ज्योतिमय बसु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले वर्ष इन पदार्थों के दुरुपयोग में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि इससे विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हो जाने की आंशका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास भारत में इन पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1971 की अपनी रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के आम विस्तार पर ध्यान दिलाया है और यह मत व्यक्त किया है कि पिछले कई वर्षों में इस दुरुपयोग की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति नोटिस में आई है वह न केवल चलती आ रही है अपितु स्पष्ट रूप से बढ़ी भी है ।

(ख) भारत का नारकोटिक्स आयुक्त प्रत्येक वर्ष राज्य आबकारी प्राधिकारियों से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तथा आँकड़े प्राप्त करता है और इन रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट में एक अखिल भारतीय स्थिति बतायी जाती है जो आगामी वर्ष की 30 जून तक राष्ट्र संघ के महा सचिव को भेजी जाती है । वर्ष 1971 की रिपोर्ट अभी संकलित होनी है । वर्ष 1970 की रिपोर्ट में बतायी गयी स्थिति से यह पता चलता है कि भारत में नशीले-पदार्थ के दुरुपयोग की समस्या का विस्तार बहुत कम है । इस रिपोर्ट की मुख्य बातें नीचे बतायी गयी हैं :–

(i) 1 अप्रैल 1959 से, औषधि-भिन्न उद्देश्यों के लिये अफीम के उपयोग का पूरी तरह निषेध है । उस तारीख के बाद, रजिस्टर्ड व्यसनियों के लिये डाक्टरी सलाह पर औषधीय अफीम की बहुत थोड़ी मात्रा केवल सरकारी राजकोषों से दी

जाती है। रजिस्टर्ड व्यसनियों की संख्या में अब काफी कमी आ गई है। यह संख्या 1970 में कम होकर 87,945 रह गयी है जब कि वर्ष 1956 में यह 2,09,506 थी।

(ii) अफीम के धूम्रपान पर भी बहुत पहले से पाबंदी लगा दी गयी है। डाक्टरी सलाह पर 30 सितम्बर 1953 तक पूंजीकृत अफीम का धूम्रपान करने वालों को ही, उनके व्यक्तिगत उपभोग के लिए अफीम सप्लाई की जाती है। अफीम का धूम्रपान करने वालों की संख्या वर्ष 1956 में 2,271 थी जो वर्ष 1970 में घट कर 1,452 हो गयी है।

(iii) भारत में चरस के प्रयोग पर काफी पहले से पूर्णतया पाबन्दी लगी है।

(iv) अधिकतर राज्यों में औषधि-भिन्न प्रयोजनों के लिए गांजे के उपयोग पर पाबन्दी लगा दी गयी है।

(V) इस देश में कोका पत्ती को चबाने की आदत विद्यमान नहीं है।

(vi) कोडीन, मारफीन, पैथीडीन आदि जैसे निर्मित नशीले पदार्थों का दुरुपयोग विरले ही पाया जाता है और इनके व्यसन की सीमा नगण्य है।

(ग) नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, दोनों ही स्तरों पर औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बरती जाती है और कठोर निवारक उपाय किये जाते हैं।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये सहायता

2164. श्री ज्योतिमय बसु :
श्री राजदेव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने जून, 1971 के अन्त तक कृषि प्रयोजनों के लिये कुल कितनी सहायता दी थी;

(ख) राज्य-वार कितनी सहायता मंजूर की गई और कितनी दी गयी;

(ग) प्रत्येक राज्य ने कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया; और

(घ) इस सहायता से अब तक प्रत्येक राज्य में कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने जून 1970 तक 89.71 करोड़ रुपये के ऋण बांटे हैं। ऋण पत्र खरीदे है।

(ख) से (घ) : एक विवरण संलग्न है जिसमें जून 1971 तक निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी वित्तीय सहायता की राज्य-वार स्थिति, निगम की वचनबद्धता, निगम द्वारा दी गयी सहायता के साथ पूर्णत: क्रियान्वित की गयी योजनाओं की सख्या और उसके

आधार पर दिये गये ऋणों/खरीदे गये ऋण पत्रों का ब्यौरा दिया गया है। शेष योजनाएं एक समयावधि में कई दोरों में विभक्त की गयी हैं और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०- 1681/72]

रत्नाकर शिपिंग कम्पनी

2165. **श्री अजीत कुमार साहा :**
श्री वीनेन भट्टाचार्य :

क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नाकर शिपिंग कम्पनी ने गत पांच वर्षों से अपने वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षा लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड ने रजिट्रार के पास 31 मार्च, 1970 और 31 मार्च, 1971 की वर्ष समाप्ति पर बोर्ड के प्रतिवेदन, तुलन-पत्र और लाभ, हानि लेखा की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 69-70 के लिए कम्पनी और उसके निदेशकों को त्रुटि सूचनाएं प्रेषित कर दी गई थीं। कम्पनी तथा उसके चार निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 633 (2) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया और न्यायालय ने कथित मुकदमें की सुनवाई तक आदेश दिया कि उनके विरुद्ध वर्ष 69-70 और 70-71 के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाए, रजिस्ट्रार ने उत्तरवर्ती वर्ष 70-71 के लिए त्रुटि-सूचना प्रेषित की थी। किन्तु उच्च न्यायालय के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त कर दिया था।

फोर्ड फाउन्डेशन के अन्तर्गत परियोजनाएं

2166. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फोर्ड फाउन्डेशन को भारत में गतिविधियां जारी रखने के बारे में अपनी अनुमति दे दी है;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि फोर्ड फाउन्डेशन भारत में अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए अपनी परियोजनाएं अधिक से अधिक भारतीयों को सौंपेगा ; और

(ग) फोर्ड फाउन्डेशन किन बड़े क्षेत्रों में सक्रिय है और इस समय वह किन परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : चूंकि फोर्ड फाउन्डेशन भारत में सरकार के साथ किये गये एक करार के अन्तर्गत काम करता है और भारत में उसके क्रिया-कलापों के बन्द किये जाने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है इसलिए सरकार की ओर से भारत में

फोर्ड फाउन्डेशन को उसकी कार्रवाइयों को जारी रखने की अनुमति दिये जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ख) इन परियोजनाओं को भारतीयों के हाथों में सौंपने का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि ये क्रियाकलाप सभी प्रकार से स्थानीय हैं और फाउन्डेशन की ओर से इन्हें वित्तीय सहायता के लिए अनुदानों, विशेषज्ञों, शिक्षावृत्तियों और / अथवा उपकरणों के रूप में जो सहायता दी जाती है वह मूल कार्यों के अनुपूरक के रूप में है। भारत को फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में भारत सरकार और फाउन्डेशन से बीच अब कुछ समय से लगातार बातचीत चलती रही है। इसके परिणामस्वरूप यह तय हुआ है कि फोर्ड फाउन्डेशन भारत में अपने विदेशी कर्मचारियों में पर्याप्त कटौती करने के लिए क्रमबद्ध रूप से कार्यवाई करेगा।

(ग) भारत में फोर्ड फाउन्डेशन के क्रियाकलापों के मुख्य क्षेत्र ये हैं :—

(1) कृषि
(2) शिक्षा
(3) लोक स्वास्थ्य
(4) लोक प्रशासन
(5) परिवार नियोजन

जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) में बताया गया है फोर्ड फाउन्डेशन की सारी सहायता स्थानीय क्रियाकलापों की अनुपूरक मात्र है और किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा नहीं किया जाता।

दानेदार चीनी के प्रशुल्क में वृद्धि

2167. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैक्यूम पैन फैक्टरी में बनाई जाने वाली दानेदार चीनी के प्रशुल्क में हाल में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) 1 मार्च, 1972 से खुली-बीक्री की चीनी के लिए टैरिफ मूल्य 165/- रु० प्रति क्विंटल से बढ़कर 190/– रु० प्रति क्विंटल किया गया था। खुली-बिक्री की चीनी के थोक मूल्यों में हुई पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए यह वृद्धि की गई थी। टैरिफ मूल्य जब भी निश्चित किया जाता है, बाजार मूल्य के रुख के अनुसार किया जाता है।

एक नये प्रकार की कीटनाशक औषधि का उत्पादन

2168. श्री पम्पन गौडा : क्या **पेट्रोलियम और राज्य रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए प्रकार की कीटनाशक औषधी का उत्पादन करने को कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)

(क) और (ख) :- जी हां ! नई कीटनाशक औषधियों, जैसाकि संलग्न सूची में वर्णित है, के निर्माण के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनमें से अधिकांश बड़े स्पैक्ट्रम की औषधियां हैं और चावल, तेल के बीजों, कपास, तथा मूंगफली नाशक जन्तुओं के विरुद्ध प्रयोग करने में लाभदायक हैं । इनसे इंड्रिन जैसी क्लोरीन युक्त कीटनाशी औषधियों, जो फसलों में चिर-स्थायी अवशिष्ट प्रभाव डालती हैं, का प्रतिस्थापन भी हो सकेगा।

विवरण

क्रम संख्या	कीटनाशक औषधि का नाम	अनुमोदित क्षमता (मीटरी टनों में)	योजना की वर्तमान स्थिति
1.	फास्फेमीडोन)	1296	बड़े उपकरणों की स्थापना की जा रही है। उत्पादन के 1972 के दौरान शुरू हो जाने की आशा है।
2.	डी० डी० वी० पी०)		
3.	क्युमैन)		
4.	मोनो-क्रोटोफोस)		
5.	कारब्राइल	2000	बड़े उपकरणों की स्थापना की जा रही है।
6.	वीडीसाइडज़ (नई किस्म)	9540	चार आशय पत्र इस शर्त पर दिए गये हैं कि इन आशय पत्रों की तारीख से 18 महीनों के भीतर संबंधी पार्टी को कम से कम 500 मीटरी टन तकनीकी सामग्री के आयात, सूत्रबद्ध करने तथा बिक्री करने का प्रबन्ध करना होगा इसके बाद ही इनके मूल उत्पादन के लिए लाभप्रद क्षमता की स्वीकृति की जायेगी।
7.	थियोडान	800	संबंधित पार्टी के आशोधित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

परिवहन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक सहायता

2169. श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और इससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अगले पांच वर्षों में विकासशील देशों के लिये लगभग 240 परिवहन परियोजनाओं के लिये लगभग 430 करोड़ डालर ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण में से भारत को कितना ऋण मिलेगा; और

(ग) तथा भारत ने भी कुछ परिवहन परियोजनायें तैयार की हैं, जिनका अनुमोदन विश्व बैंक द्वारा किया गया है और यदि हां, तो विश्व बैंक सहायता से भारत किन-किन परियोजनाओं को स्थापित करने पर विचार कर रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) विश्व बैंक और उससे सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो आसान शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था है, विभिन्न विकासशील देशों में परियोजनाओं के लिए 1972 से 1976 त क की पांच वर्ष की अवधि में परिवहन क्षेत्र के लिए, साधनों के उपलब्ध होने पर, 430 करोड़ अमरीकी डालरों के ऋण देने की योजना बना रहे हैं।

(ख) यह रकम, पांच वर्षों की अवधि के लिए बनायी गयी योजना की सूचक है तथा इसका देशवार विभाजन नहीं किया गया है।

(ग) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, पिछले वर्षों में भारत में परिवहन परियोजनाओं के लिए काफी सहायता देते रहे हैं। इस क्षेत्र का और आगे विकास करने के लिए आवश्यक सहायता को ध्यान में रखते हुए, विश्व बैंक समूह की सहायता के लिए समय-समय पर परियोजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने हाल ही में भारतीय रेलों के लिए 7·5 करोड़ डालर का एक ऋण दिया है। इसके अलावा, हाल ही में इस संघ के कार्यकारी निदेशक मण्डल ने भारतीय नौवहन निगम (शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया) के लिए छः तेल-वाहक जहाज प्राप्त करने के वास्ते 8·3 करोड़ डालरों के एक ऋण का अनुमोदन किया है।

पाइपलाइन जांच आयोग की नियुक्त की वैधता

2170. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि एक सदस्यीय पाइपलाइन जांच आयोग की नियुक्ति की वैधता अनिश्चित है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अधिसूचना में क्या कमियां हैं और उनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से, (ग) : इस मामले की जांच की गई है और सरकार को परामर्श मिला है कि पाइपलाइन जाँच आयोग की वैधता अनिश्चित नहीं है।

सिल्चर-इम्फाल सड़क को सभी ऋतुओं में चलने वाली सड़क बनाना।

2171. श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्चर-इम्फाल सड़क को सभी ऋतुओं में चलने के योग्य बना दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को कब तक आशा है कि यह सभी ऋतुओं में चलने लगेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (ग) : सिल्चर-इम्फाल सड़क का सिल्चर जिरीबम भाग सब ऋतुओं में चलने योग्य सड़क है। जिरीबम-इम्फाल सड़क का भाग जो मणिपुर में पड़ता है उस पर अनुसूची के अनुसार कार्य चल रहा है तथा उसमें कोई विलम्ब नहीं है। सकड़ के 1973-74 के अन्त में पूर्व सब ऋतुओं में चलने योग्य बन जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के अधिकारियों द्वारा धन का कथित दुरुपयोग

2172. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : } क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारी संघ ने प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन भेजा था जिसमें परिषद् के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारी संघ ने "कुप्रबन्ध, अनियमितताओं, पक्षपात और कर्मचारियों की छटनी" के आरोपों वाला जो अभ्यावेदन प्रधान मंत्री के नाम भेजा था वह मिल गया है और मामले पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों के बारे में सरकारी उपक्रम ब्यूरो का प्रतिवेदन

2173. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री एच० एम० पटेल : } क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य पर अपने प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें और टिप्पणियां की हैं और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य सम्भवत: केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य-चालन की वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं जिसे सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है और हर वर्ष बजट सत्र में संसद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इस रिपोर्ट में उपक्रमों के कार्यचालन के वित्तीय परिणामों आदि की समीक्षा की जाती है। 1970-71 की रिपोर्ट छप रही है और आशा है, उसे चालू सत्र में सभा पटल पर रखा जा सकेगा।

PROFIT OR LOSSES INCURRED BY PUBLIC UNDERTAKINGS

2174. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the number of Central Government Industrial Undertakings which have earned profit or incurred losses during the financial year 1971-72; and

(b) the break-up of loss and profit earned by each undertaking ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) : The audited accounts of the Central Government industrial and commercial undertakings for 1971-72 are not yet available, as the companies are allowed a time limit of six months after the end of the year for having the accounts audited and passed.

'C' CLASS CITIES IN MADHYA PRADESH

2175. Dr. Laxminarain Pandey : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the names of the cities in Madhya Pradesh which have been declared as 'C' Class cities during the last two years ;

(b) the criteria adopted by the Central Government for declaring a city a 'C' Class city; and

(c) the number and names of cities in Madhya Pradesh in regard to which demand has been made for their upgradation as 'C' class cities ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Mhow (cantt.), Durg, Damoh, Murwara and Rewa.

(b) Towns with population of 50,000 and above but below four lakhs are classified as 'C' class cities for purposes of grant of house rent allowance.

(c) Representations have been received recently for classification of Chhindwara, Mandsaur and Dewas as 'C' class cities on the basis of 1971 provisional Census figures of population.

SCHEME FOR INCREASING PRODUCTION OF CHEMICAL FERTILIZERS IN GUJARAT RAJASTHAN AND MADHYA PRADESH

2176. Dr. Laxminarain Panday : Will the **Minister of Petroleum and Chemical** be pleased to state :

(a) the names of the places in Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh where chemical fertilizer factories are located;

(b) the kinds of chemical fertilizers produced in the said factories and their annual production; and

(c) whether Government have any scheme under consideration for increasing their production capacity ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) :

(a) & (b) : A statement giving the required information is attached.

[Placed in the Library. Please see No. L. T. 1682-72]

(c) M/s. Adarsh Chemicals and Fertilizers have made an application for expansion of capacity for production of superphosphate from 36,000 tonnes to 54,000 tonnes per annum.

CULTIVATION OF OPIUM IN MADHYA PRADESH

2177. Dr. Laxminarain Pandey : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) Whether opium cultivators in various disitricts of Madhya Pradesh have demanded that they should be paid at the rate of Rs. 900 per kilogram of opium produced by them;

(b) if so, the decision taken by Government thereon; and

(c) the price of opium paid to cultivators at present and the price of opium in the international market ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) (i) The price of opium paid to poppy cultivators is reviewed every year. The price paid to poppy cultivatore for the current (1971-72) crop season ranges between Rs. 80 to Rs. 40 per kilogram at 70° consistence depending on the yield per hectare tendered by them. The schedule of prices paid to cultivators for the opium of 1971-72 crop year is given in the annexure.

(ii) The production and export of opium is under the control of the Government. The prices for sale of opium to the foreign buyers are fixed by the Government from time to time taking into consideration the world demand of opium for medicinal and scientific purposes and prevailing prices for export opium in other countries. The price fixed by the Government of India for sale of opium to the foreign buyers effective from 1st January, 1972 is U. S. dollars 2·40 per unit of anhydrous morphine content in opium of 90° consistency which works out to U. S. dollars 24.00 per kilogram or about Rs. 175 per kilogram at the official exchange rate of one U. S. dollar equivalent to Rs. 7.279 (Indian opium generally contains about ten units of anhydrous morphine).

Statement

Category	Price per kg. at 70° consistence. Rs.
Cultivators who have tendered 50 kgs. or more per hectare.	80.00
Cultivators who have tendered 40 kgs. or more but less than 50 kgs. per hectare.	70.00
Cultivators who have tendered 35 kgs. or more but less than 40 kgs. per hectare.	60.00
Cultivators who have tendered 30 kgs. or more but less than 35 kgs. per hectare.	50.00
Cultivators who have tendered less than 30 kgs. per hectare.	40.00

DECISION ON INTRODUCTION OF ADDITIONAL AIR SERVICES BETWEEN INDORE-DELHI AND INDORE-BOMBAY.

2178. Dr. Laxminarain Pandey : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Delhi-Indore-Bombay air service is operated via Gwalior and Bhopal;

(b) whether the people of these cities have demanded introduction of additional air services between Indore-Delhi and Indore-Bombay; and

(c) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Indian Airlines have not received any request for providing additional capacity on the Indore-Delhi sector. There has, however, been a request for an additional air service on the Indore-Bombay sector.

(c) The Corporation will consider augmentation of the service when the ten HS-748 aircraft now on order are received.

युद्धबन्दियों की डाक का आदन-प्रदान

2179. श्री वरके जार्ज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने किसी तीसरे देश को पाकिस्तान से डाक लेकर युद्ध-बन्दियों को वितरण करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितने डाकपत्रों का आदान-प्रदान हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : सरकार को कोई सूचना नहीं है। तथापि युद्ध-बन्दियों की डाक का आदान-प्रदान अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के द्वारा किया जा रहा है।

LOANS ADVANCED BY NATIONALISED BANKS FOR INDUSTRIAL PURPOSES

2180. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loan advanced by the Nationalised banks from 9th April, 1971 to 31st October, 1971, for industrial purposes;

(b) the share, in terms of percentage, of large, medium, small and cottage industries in the loan; and

(c) the extent to which the policy of encouraging small-scale and cottage industries was followed by the Banks in granting the loans ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) : Data on advances to industries are not availale in the manner desired by the Hon'ble Member. Such information will be collected to the extent possible and will be laid on the Table of the House.

(c) Generally, banks examine loan proposals from small-scale industrial units (including cottage industries) primarily on the basis of the technical feasibility and economic viability of the project. For proper appraisal of proposals, most of the nationalised banks have strengthened their technical cells and/or are depending increasingly on technical consultants for feasibility reports. Most of the nationalised banks have formulated special schemes to finance technician entrepreneurs. By and large, the rate of interest charged on loans to small industries is concessionary; the margins stipulated are generally lower and determined by the resources position of the borrower, third party guarantee is not normally insisted upon. Advance by nationalised banks to small-scale industries (including cottage industries) increased from Rs. 148.1 crores at the end of June, 1969 to Rs. 244.9 crores at the end of October, 1971.

LOANS TO FARMERS FOR PURCHASE OF CHEMICAL FERTILIZERS FOR RABI CROP

2181. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) Whether the Nationalised Banks have not given loans to farmers for purchasing chemical fertilizers for Rabi crop this year;

(b) Whether the policy of not advancing such loans has been adopted in all the States or in a few states only; and

(c) The reasons for adopting such a policy ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The Nationalised Banks provide crop loans which include loans for chemical fertilizers to the farmers for both Khariff & Rabi Crops.

(b) & (c) : Do not arise.

LOANS GIVEN TO INDIVIDUAL FARMERS BY NATIONALISED BANKS FOR PURCHASE OF CHEMICAL

2182. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) The amount given by the Nationalised Banks as loans to the individual farmers for purchasing chemical fertilizers during 1970-71;

(b) The amount of loan already received by the farmers till date; and

(c) The state-wise break-up of the amount so advanced and the amount still to be recovered from them ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwant rao Chavan : (a) to (c) : Date regarding advances are not maintained by banks in such detail as asked for by the Hon'ble Member. However, outstandings of advances granted to farmers by the 14 nationalised banks by way of production finance (which includes advances granted for purchase of chemical fertilizers) as at the end of December, 1971 were Rs. 5160.41 lakhs. (Provisional)

INDIA'S FOREIGN DEBT

2183. Shri M. C. Daga :
Shri Rajdeo Singh : } Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) The total amount of foreign debt against India at present and its break-up-country-wise; and

(b) The amount of interest paid by India thereon every year ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) (a) & (b) : A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in the Library. Please see No. L. T. 1683/72]

राजनीतिक दलों पर बकाया आयकर

2184. श्री अम्बेश : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजनीतिक दलों (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस (संगठन) के अतिरिक्त) के नाम क्या हैं जिन पर आयकर बकाया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अलग-अलग प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : 31-3-72 को, 32 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कांग्रेस (संगठन) को छोड़कर) के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रखी जाएगी। लेकिन, 32 मान्यता प्राप्त दलों में से किसी पर भी 31-10-1971 को आय-कर की कोई बकाया नहीं थी।

पूर्ण स्वदेश सामग्री के साथ विजयन्त टैंकों का निर्माण

2185. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयन्त टैंक के सभी पुर्जों को इस समय देश में ही बनाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो विजयन्त टैंक के कितने प्रतिशत पुर्जे स्वदेशी हैं; और

(ग) विजयन्त टैंक के निर्माण के लिए सभी पुर्जों को देश में बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय विजयन्त टैंक में 68 प्रतिशत के लगभग स्वेदशी अंश हैं।

(ग) अगले तीन वर्षों में स्वदेशी अंश को 85 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। उससे और अधिक आगे बढ़ने के लिए उत्पादन अर्थ-व्यवस्था और उपलब्ध तकनीकी जानकारी पर विचार करना पड़ेगा।

फरवरी 1972 में दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायु सेना के विमान

2186. श्री बेकारिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय : } क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 में भारतीय वायुसेना के चार विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे;

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) फरवरी, 1972 के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों को 5 विमान-दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) प्रत्येक दुर्घटना की छान-बीन के लिए जांच अदालत के आदेश दे दिए गए थे। तीन दुर्घटनाओं के मामले में अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) तीन मामलों में जिनकी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। तथापि इन रिपोर्टों के निष्कर्षों का अध्ययन किया जा रहा है जिससे निवारक अथवा उपचारी कार्यवाही की जा सके।

सरकारी उपक्रमों में सामान्य और अधिनियम शेयर जारी करना

2187. श्री बंकारिया : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता को साम्य और अधिमान शेयर जारी करके कुछ सरकारी उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र योजना के अन्तर्गत लाने का है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। फिर भी केन्द्रीय सरकार के कुछ वर्तमान उपक्रमों में पहले से ही सामान्य शेयर पूंजी के रूप में गैर-सरकारी सहभागिता है जो गैर-सरकारी स्वामित्व वाले संगठनों को हाथ में लेने; सहयोग करार में ऐसी शर्त होने आदि ऐतिहासिक कारणों के फलस्वरूप है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ एवं लाभांश राशि का स्वदेश भेजना

2188. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों ने 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान कितना धन अपने देशों को भेजा; और

(ख) इस धन में से कितनी राशि ऐसी थी जो कि उक्त वर्षों में हुए शुद्ध लाभ पर मिले लाभांश की थी और कितनी ऐसी थी जो लाभांश बढ़ाने हेतु अपूंजीकृत आरक्षित निधि में से निकाली गयी थी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चाह्वण) : (क) 1970-71 और 1971-72 में, भारत स्थित विदेशी फर्मों द्वारा प्रेषित लाभों और लाभांशों की रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1970-71	26·88
1971-72	38·34

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

IMPACT OF STOPPAGE OF FOREIGN AND ON THE PRODUCTION OF FERTILIZERS

2189. Shri Jagannathrao Joshi :
Dr. Laxminarain Pandey : } Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the long and short term schemes for increasing production of fertilizers;

(b) the likely impact of stoppage of foreign aid there on; and

(c) the steps being taken to meet the situation ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) :

(a) The various factors which are found to affect non-attainment of rated capacities in the existing plants have benn identified and appropriate remedial measures have been taken or are being taken with a view to optimising production and a measure of success is already being achieved. Further, additional capacity for fertilizer production is being created both by setting up new projects and by expanding the existing ones, where feasible.

(b) & (c) As a "Core" industry, the fertilizer production programmes are already being accorded high priority in allocation of foreign exchange etc. and the present suspension of US AI D has not affected the pace of implementation of these programmes.

निषिद्ध माल का जब्त किया जाना

2190. श्री राज राज सिंह देव : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन महीनों के दौरान जब्त किए गए निषिद्ध माल की मात्रा और मूल्य क्या है;

(ख) यह माल कहां-कहां पर जब्त किया गया और जिन लोगों से यह माल पकड़ा गया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) निषिद्ध माल के विक्रय और निपटान के लिए क्या प्रक्रिया है; और

(घ) सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान निषिद्ध माल की बिक्री और निपटान से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिसम्बर, 1971 से फरवरी 1972 के महीनों में लगभग 667 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गयी थीं। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पर लगभग 57 लाख रुपये के मूल्य का 679 किलोग्राम सोना, 77 लाख रुपये के मूल्य की 70,000 घड़ियाँ, 11 लाख रुपये के मूल्य के 13,050 किलोग्राम लौंग तथा 13 लाख रुपये के मूल्य की 73 गाड़ियाँ शामिल हैं।

(ख) ये छापे अधिकतर भारत के पश्चिमी तट, नेपाल सीमा, मैसूर तथा तमिलनाडु राज्यों में मारे गये हैं हालाँकि सारे भारत में छुटपुट छापे मारे गये हैं। 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है। पकड़ी गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई भी जारी है।

(ग) जैसा कि परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

(घ) जब्त किये गये माल की बिक्री से वर्ष 1971 में एकत्र की गयी कुल रकम 9 करोड़ 39 लाख रुपये है।

विवरण

जब्त किये गये माल की बिक्री तथा उसके निपटान की कार्यविधि

(i) उपभोक्ता वस्तुएं राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन लि०, नई दिल्ली के माध्यम से बेची जाती हैं तथा सरकार द्वारा नियन्त्रित कुछ कैंटीनों और सहकारी समितियों को भी बेची जाती हैं, जैसे कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०।

(ii) संश्लिष्ट धागे तथा धातु के धागे, इस प्रकार के माल के वास्तविक उपभोक्ताओं को ही सार्वजनिक नीलामियों द्वारा बेचे जाते हैं।

(iii) जब्त किया गया सोना तथा सोने के जवाहरात टकसाल को भेज दिये जाते हैं।

(iv) जब्त की गई मुद्राएं भारत के रिजर्व बैंक में जमा कराई जाती हैं।

(v) वाहन सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय के जरिये बेचे जाते हैं।

(vi) नौकाएं तथा हथियार और गोला-बारूद तस्कर विरोधी कार्य में विभागीय उपयोग के लिए रखे जाते हैं।

(vii) लौंग तथा मसालों का विक्रय मैसर्स राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन लि०, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नियन्त्रित सहकारी समितियों और कैंटीनों को किया जाता है तथा सार्वजनिक नीलामियों द्वारा भी किया जाता है जो आयात कोटा धारियों के लिए ही सीमित रखी जाती है।

पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर के तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज

2191. श्री राज राज सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर के तट-दूर क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार को सुपरिणामों की आशा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच०आर० गोखले): (क) खम्भात की खाड़ी तथा खम्भात की खाड़ी के निकटवर्ती अरब सागर में भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गए हैं। बंगाल खाड़ी की अतटीय क्षेत्रों में इस समय कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) आशा है कि सर्वेक्षित अतटीय क्षेत्र में अनुकूल संरचनाएं विद्यमान् हैं लेकिन वास्तविक व्यधन के पश्चात् ही तेल उपलब्धि के परिणाम ज्ञात हो सकते हैं।

विदेश यात्रा कर लगाने के पश्चात् एयर इण्डिया को हुई हानियां

2192. श्री राज राज सिंह देव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विदेश यात्रा कर लगाये जाने के पश्चात् एयर इण्डिया को कुल कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यद्यपि विदेश यात्रा कर का भारत से होने वाली यात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तथापि इसके कारण होने वाली हानि की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

एल्यूमिनियम तथा अन्य उत्पादों पर उत्पादनशुल्क

2193. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एल्यूमिनियम तथा अन्य उत्पादों पर उत्पादन शुल्क नियमों के अनुसार स्टाकिस्टों के विक्रय मूल्यों पर लगाया जाता है या निर्माताओं के विक्रय मूल्य पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जिन मामलों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी वस्तु पर ऐसी दर से शुल्क लगाया जाता है जो वस्तु के मूल्य पर निर्भर रहती है, उनमें वस्तु का मूल्य अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार निश्चित किया जाता है। एल्युमीनियम तथा उसकी निर्मितियों पर शुल्क मूल्यानुसार आधार पर लगाया जाता है और शुल्क का निर्धारण करने में धारा 4 के उपबंधों के अनुसार मूल्य निश्चित किया जाता है। इन उपबंधों के अधीन मूल्य को थोक नकद मूल्य समझा जायगा जिस पर कारखाने अथवा निर्माण अथवा उत्पादन के स्थान से वस्तु की निकासी के समय उसी किस्म की तथा क्वालिटी की वस्तु बेची जाती है अथवा बेची जाने के योग्य है अथवा यदि उस जगह पर ऐसी वस्तु के लिए कोई थोक बाजार विद्यमान नहीं हैं तो किसी निकटवर्ती स्थान पर बेची जाती है जहां वैसा बाजार विद्यमान हो। जहां ऐसा मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता है वहां मूल्य को ऐसा दाम समझा जाता है जिसके आधार पर उत्पादन के स्थान से उस वस्तु की निकासी के समय निर्माता अथवा उत्पादक द्वारा उस किस्म या क्वालिटी की वस्तु बेची जाती है अथवा बेची जाने के योग्य है। दोनों ही मामलों में, व्यापार-बट्टे तथा देय शुल्क की रकम के संबंध में कटौती मंजूर की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2194. श्री के० मालन्ना :
श्री हरि किशोर सिंह : } क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश में अधिक शाखाए खोलने के लिये अनुदेश जारी किये हैं ;

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद प्रत्येक राज्य में कितनी नई शाखाएं खोली गयी हैं ; और

(ग) वर्ष 1972-73 में कितनी नई शाखाएं खोली जायंगी और वे प्रत्येक राज्य में किस-किस स्थान पर खोली जायंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह था कि वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का जाल बिछा दिया जाय ताकि बैंकिंग सुविधाएं उन क्षेत्रों तथा जनवर्गों को भी उपलब्ध हों जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 19 जुलाई 1969 से लेकर दिसम्बर 1971 के अन्त तक की अवधि में 4047 शाखाएं खोली हैं। इसके फलस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यालयों की संख्या, जो राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय 6633 थी, बढ़कर 1971 के अन्त में 10680 हो गयी।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1684/72]

(ग) शाखा विस्तार सम्बन्धी भावी योजना के अनुसार, आशा है कि 1972 तथा 1973 में लगभग 1500 शाखाएं खोली जायेंगी। इस कार्यक्रम की केन्द्रवार योजनायें उस समय निर्धारित की जायेंगी जबकि अलग-अलग बैंकों की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

प्रतिरक्षा संबंधी वस्तुओं में आयात प्रतिप्रस्थापन।

2195. श्री राज देव सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा संबंधी ऐसी कौन-कौन सी आयातित वस्तुए हैं जिनका स्वदेशी वस्तुओं से प्रतिस्थापन किया जा सकता है अथवा जिनको देश में आसानी से विकसित किया जा सकता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : विभाग ने 12935 मदों के विकास एवं उत्पादन के लिए आर्डर दिए हैं जिनमें से अब तक 5289 मदों की साप्लई हो चुकी है। सूची में नई मदें लगातार जोड़ी जा रही हैं।

ये आंकड़े उन मदों के अतिरिक्त हैं जो आर्डनेन्स कारखानों तथा रक्षा क्षेत्र की सरकारी संस्थानों द्वारा उत्पादित की गई हैं।

चट्टानों की खुदाई के विषय में वेस्टिंगहाउस द्वारा अन्वेषण

2196. श्री राज देव सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वेस्टिंग हाउस रिचर्स लेबोरेटरीज द्वारा चट्टानों की खुदाई के विषय में एक नये तरीके का प्रदर्शन किया गया है जिसमें अत्याधिक उर्जा वाले इलेक्ट्रान बीम का प्रयोग होता है जिससे लागत कम होने तथा ड्रिलिंग एवं सुरंग खोदने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भविष्य में खुदाईयों तथा तेल एवं गैस के लिए ड्रिलिंग करने में इस पद्धति का प्रयोग करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : जिस तकनीक का उल्लेख किया गया है, वह तकनीक अभी प्रारंभिक अनुसंधान अवस्था में बताई गई है और इसके तेल एवं गैस के कुंओं के व्यधन पूर्ण पद्धति के साथ सफलता पूर्वक तुलना करने से पूर्व इस तकनीक का और अनुसंधान एवं विकास कार्य करना आवश्यक होगा। इस तकनीक की वाणिज्यिक उपयुक्तता के सफलतापूर्वक स्थापित होने के पश्चात्, देश में तेल क्षेत्रों में इस पद्धति के प्रयोग के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

BRANCHES OF NATIONALISED BANKS IN HIMACHAL PRADESH

*2197. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) The number of new branches of the nationalised banks opened in Himachal Pradesh during the financial years 1970-71 and 1971-72; and

(b) The amount of loan granted by the various branches of the nationalised banks for stepping up agricultural production during the aforesaid period ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) (a) The number of new offices opened by the nationalised banks in Himachal Pradesh during 1970-71 and 1971-72 (upto 31st January, 1972) was 24 and 9 respectively.

(b) The number of account and amount outstanding in respect of agricultural loans by nationalised banks in Himachal Pradesh as at the end of December 1969, December 1970 and December 1971 is as follows :

	No. of Accounts	Amount outstanding (Rs. lakhs)
December, 1969	17	1.17
December, 1970	50	4.60
December, 1971	79	7.14

Information financial year-wise is not available.

LOAN TO BIHAR

2198. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the Central Government to Bihar State till the end of the financial year 1971-72; and

(b) the general terms and conditions for repayment of these loans and amount of interest outstanding thereon at present ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : Central loans to Bihar outstanding as at the end of November, 1971, amount to Rs. 619.88 crores.

(b) the terms and conditions for repayment of loans advanced to State Governments by the Central Government are indicated in the Statement attached.

As at the end of November, 1971, no amount was outstanding as interest from Bihar Government on Central loans.

STATEMENT

Terms and conditions of loans advanced to State Governments by the Central Government

(A) Loans sanctioned from 1-4-1969

Purpose	Period	Interest rate (per cent) per annum. (Effective)
1. Block loans for State Plans)	15 years	$4\frac{3}{4}$
2. Other Plan Loans)		
3. Small Savings loans	25 years in 20 annual equal instalments commencing from the 6th year.	$4\frac{3}{4}$
4. Loans for natural calamities	10 years.	$4\frac{3}{4}$
5. Loans for purchase of fertilisers	6 months.	$4\frac{3}{4}$
6. Loans for relending (Rehabilitation loans etc.)	Upto 25 years	Rate varies with reference to the object and the period.
7. Special Loan assistance to cover gap in resources.	Recoverable in 10 annual instalment from 1974-75.	$4\frac{3}{4}$
8. Other non-Plan loans	Terms and conditions vary with reference to the purpose.	

(B) Loans sanctioned upto 31-3-1969

1. Major Irrigation and Power Projects loans.	Upto 30 years	$5\frac{1}{2}$
2. Miscellaneous Development loans (utilised for other irrigation and power projects, development of industries etc.)	10 years	$5\frac{1}{4}$
3. Loans for natural Calamities.	10 years	$5\frac{1}{4}$
4. Housing Schemes.	25 to 30 years.	$5\frac{1}{2}$
5. Small Savings loans.	10 years.	$5\frac{1}{4}$
6. Loans for purchase of fertilizers.	6 months	$3\frac{3}{4}$
7. Rehabilitation loans.	Upto 20 years.	$5\frac{1}{2}$
8. Loans for clearance of overdrafts	Upto 5 years.	$4\frac{1}{2}$ upto 4 years $4\frac{3}{4}$ for 5 years.

पश्चिम जर्मनी से आर्थिक सहायता

2199. श्री पीलू मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के उस दल के साथ जो हाल ही में भारत आया था, भारत को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर बातचीत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का सारांश क्या है ; और

(ग) इस बातचीत के परिणामस्वरूप चौथी योजना के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराय चह्वाण) : (क) से (ग) : जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार की ओर से भारत को 1971-72 के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर-दिसम्बर, 1971 में भारत आया था। बातचीत के बाद 2 दिसम्बर, 1971 को कुल 61.02 करोड़ रुपये (2700 लाख ड्यूश मार्क) की वित्तीय सहायता के लिए एक अन्त: सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सहायता 1971-72 के वर्ष के लिए है और यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास तथा चौथी पंचवर्षीय आयोजना के कार्यान्वयन के संबंध में उपलब्ध की गई है। जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार भारत को वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता देती है

जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने चौथी आयोजना के गत तीन वर्षों में भारत को 79000 लाख ड्यूश मार्क (178.54 करोड़ रुपये) की सहायता दी।

सोने तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी

2200. श्री भोला मांझी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में गत वर्षों की तुलना में भारत में सोने की तस्करी में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस अवधि में अन्य वस्तुओं की तस्करी की क्या स्थिति रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : यद्यपि देश में चोरी-छिपे लाये जाने वाले सोने के मूल्य का अनुमान लगाने के लिये कोई विश्वसनीय जरिये नहीं हैं तथापि कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1971-72 में भारत में चोरी-छिपे लाये गये सोने की मात्रा कम हो गयी है।

(ख) तथा (ग) : कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान के बीच संबंधों के बिगड़ने की वजह से पश्चिमी तट पर नौसेना प्राधिकारियों द्वारा अधिक सतर्कता बरती जाने के कारण वर्ष 1971-72 में देश में सोने का तस्कर आयात कम हो गया था। विदेशों में सोने के मुक्त बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाना एक दूसरा कारण दिखाई देता है। इन रिपोर्टों से कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि दूसरी वस्तुओं के तस्कर व्यापार में कोई खास परिवर्तन हुआ है।

मैसर्स वैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी द्वारा अखबारी कागज की रद्दी की बिक्री से प्राप्त राशि का अन्य कार्यों में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में जांच

2201. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि मैसर्स वैनेटकोलमेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड की अखबारी कागज की रद्दी की बिक्री से प्राप्त राशि शान्ति प्रसाद जैन तथा उनके अन्य सम्बन्धियों के निजी खातों में जमा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : सरकार ने अप्रैल, 1963 में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत कम्पनी के कार्यकरण की जाँच का आदेश दिया था। उस जाँच पड़ताल में साथ-साथ इसका भी स्पष्टीकरण किया गया कि कम्पनी के अखबारी कागज की रद्दी की बिक्री से 17.14 लाख रु० को, जिसका श्री शान्ति प्रसाद जैन और दूसरे निदेशकों द्वारा दुरुपयोग किया गया था, लेखा-बहियों में नहीं लिखा गया। उपलब्ध सामग्री के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 388 ख के अन्तर्गत उस समय के निदेशक सर्वश्री एस० पी० जैन, जी० सी० जैन, ए० पी० जैन, एवं कम्पनी के मुख्य प्रबन्धक श्री पी० के० राय के विरुद्ध भूतपूर्व कम्पनी न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन पत्र में, न्यायाधिकरण से इस उपपति की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई थी ; कि ये व्यक्ति इस कम्पनी अथवा किसी अन्य कम्पनी में निदेशक अथवा प्रबन्ध से सम्बन्धि किसी भी पद की धारण करने के उपयुक्त नहीं है। कम्पनी के उचित प्रबन्ध के लिये, 30 सितम्बर, 1964 को भूतपूर्व कम्पनी न्यायाधिकरण के समक्ष, धारा 398 के अन्तर्गत भी एक याचिका दायर की गई थी। जुलाई, 1967 में कम्पनी न्यायाधिकरण के उन्मूलन हो जाने पर, ये दोनों मामले उच्च न्यायालयय, बम्बई के लिये हस्तांतरित कर दिये गये थे। धारा 398 के अन्तर्गत मामला, बम्बई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री नैन द्वारा, 1969 में निपटा दिया गया था। इस फैसले के अनुसार, जो अब बम्बई उच्च न्यायालय की प्रभाग बैंच के समक्ष अपील के अन्तर्गत है, कुछ अन्य व्यक्तियों सहित श्री एस० पी० जैन को, इस कम्पनी, जिसका प्रबन्ध अब पांच न्यायलय के, तीन सरकार के तथा तीन हिस्सेदारियों के मनोनीतों सहित, विशिष्टत: गठित निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है, के कार्यकलापों में हस्तक्षेप अथवा अन्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। धारा 388 ख के अन्तर्गत मामलों की कार्यवाहियां, सर्वश्री एस० पी० जैन व ए० पी० जैन द्वारा मिसिल की गई दो लिखित याचिकाओं, जो एकाकी शाखा द्वारा अप्रैल 1966 में खारिज कर दी गयी थीं, पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित, निषेध आज्ञा से रोक दी गई थीं सर्वश्री एस० पी० जैन एवं ए० पी० जैन द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील करने के लिये छूट देने की अपीलें एवं आवेदन-पत्र भी कलकता उच्च नययालय द्वारा हाल ही में खारिज कर दिये गये हैं। इस बीच में धारा 388 ख के अन्तर्गत मुख्य मामला बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णित रहा है ; एवं इसकी सुनवाई को पुन: चालू कराने के पग उठाये जा रहे हैं।

इस मामले की बाबत विभाग ने भी केन्द्रीय जांच विभाग को परिवाद प्रस्तुत कर दिया है, जिसने सर्वश्री एस० पी० जैन, पी० के० राय तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां दायर कर दी हैं। इन आपराधिक कार्यवाहियों पर अतिरिक्त मुख्य महाप्रान्तीय दंडाधिकारी के न्यायालय में विचार किया जा रहा है।

नागर विमानन विभाग के वरिष्ट तकनीकी और परिचालन अधिकारियों का स्थानांतरण

2202. योजना इसहाक सम्भली : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग के वरिष्ठ तकनीकी और परिचालन अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को स्थानान्तरित किया गया है यद्यपि इस प्राधिकरण के अधीन जो कार्य है वह केवल अर्द्ध-तकनीकी स्वरूप का है ;

(ख) क्या इन स्थानान्तरणों से कनिष्ठ और गैरतकनीकी अधिकारी भी ऊंचे पदों पर आसीन हो गये हैं जबकि उन पदों के लिये अत्यधिक तकनीकी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानातरणों के कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये नागर विमानन विभाग के विमान-मार्ग एवं विमान क्षेत्र, संचार, तथा वैमानिक निरीक्षण शाखाओं से अधिकारी लिये गये हैं। यह चयन प्राधिकरण की आवश्यकताओं, तथा अधिकारियों की आपेक्षित वरीयता को दृष्टि में रखते हुये किया गया है।

"अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ" की मांगें

2203. **श्री अण्णासाहेब गोर्टखिडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 से 27 जून, 1971 को भागलपुर (बिहार) में आयोजित "अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ" की महापरिषद की बैठक में पारित किये संकल्प तथा महाराष्ट्र प्रदेश स्वर्णकार संघ द्वारा की गई मांगे उनके मंत्रालय को भेज दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) दोनों संगठनों द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार करके सरकार ने स्वर्णकारों को स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ रियायतें मंजूर की हैं जो इस प्रकार हैं :—

(i) प्रमाणित स्वर्णकार के नाबालिग बच्चे उसके दिन प्रति दिन के कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं ;

(ii) प्रमाणित स्वर्णकार के बालिग बच्चों को, प्रमाणित स्वर्णकार के तौर पर काम करने के निमित्त प्रमाणपत्र पाने के लिये दरख्वास्त देने का पात्र मान लिया गया है।

(iii) जिस किसी स्वर्णकार ने पुनर्वास ऋण लिया था और यदि उसने पुनः स्वर्णकारी को ही व्यवसाय अपनाना चाहा और प्रमाणपत्र पाने के लिये 1 मार्च 1969 से पहले ही दरख्वास्त दे दी थी तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, जिसमें शर्त यह थी कि प्रमाणपत्र मिलने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर वह पुनर्वास ऋण अदा कर देगा।

दरख्वास्त देने की अवधि को 1970 में बढ़ाकर 23 अप्रैल 1971 तक कर दिया गया था और अब पुनः उसको बढ़ाकर 31 दिसम्बर 1972 तक कर दिया गया है।

ऋण वापसी की अवधि को जनवरी 1971 में दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया था और अब पुनः उसको बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

दोनों संगठनों की, स्वर्णकारों से सीधा सम्बन्ध रखने वाली, अन्य मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है। उनमें से कुछ मांगें ये थीं : प्रमाणित स्वर्णकारों की समाप्ति, सांविधिक हिसाब-किताब रखने से छूट, प्रमाणित स्वर्णकारों द्वारा शुद्ध सोना रखने की अधिकतम सीमा को हटाना, पुनर्वास ऋणों की वापसी से छूट आदि।

बकाया आयकर

2204. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1972 के अन्त में आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) भिन्न-भिन्न आय-वर्गों के संबंध में इस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) आयकर की बकाया के आंकड़े चूंकि आय-वर्गों के अनुसार नहीं रखे जाते, इसलिए मार्च, 1972 के अन्त में बकाया का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

श्री एम० के० के० नायर, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2205. **श्री एम० के० कृष्णन :**
श्री ए० के० गोपालन : } क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम० के० के० नायर भूतपूर्व प्रबंध निदेशक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा की जा रही जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

REVENUE FROM EXCISE DUTY ON PERFUMED OIL

2206. **Shri Nageshwar Dwivedi:** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the number of units in Cottage Industry sector, manufacturing perfumed oil in Jaunpur District (Uttar Pradesh) which have been affected by the Excise Duty imopsed in the year 1971-72; and

(b) the revenue receipt by way of Excise Duty from this industry during 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) There are 27 small units in Jaunpur District of which only one is required to pay Central Excise duty and the rest are exempted from payment of duty.

(b) Excise duty amounting to Rs. 1188.00 was realised for the period from 29th May, 1971 (when duty was imposed) to 29th February, 1972.

सशस्त्र सेना मुख्यालय में अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का वरीयता निर्धारित करना।

2207. श्री चंद्र शैलानी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली में सीधे भर्ती किये गये अनुसूचित जाति के कुछ कर्मचारियों को, जिन्हें स्थायी आरक्षित स्थानों पर निम्न श्रेणी लिपकों के रूप में स्थायी बना दिया गया था तथा जिन्हें गृह-मन्त्रालय के पत्र संख्या 9/45/60-ई० एस० टी० (डी), दिनांक 20 अप्रैल, 1961 के अनुसार वरीयता दी गई थी, 1962 में उच्च श्रेणी के लिपकों के रूप में पदोन्नत किया गया था;

(ख) क्या गैर अनुसूचित जाति के अन्य कर्मचारियों, जिन्हें उनके साथ स्थायी तथा पदोन्नत नहीं किया जा सका था, 1962 में वरीयता सूची का पुनरीक्षण कर इन अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से वरीयता प्रदान कर दी गई थी और वरिष्ठ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के हितों की अवहेलना करके उन्हें असिस्टेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : उस समय विद्यमान नियमानुसार उच्च श्रेणी के स्थायीवत् लिपिक और निम्न श्रेणी के स्थायीवत् लिपिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को ध्यान में रखते हुए निम्नश्रेणी लिपिक ग्रेड में अपनी वरिष्ठता के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड में स्थायी होने के पात्र थे।

उस समय अनुसूचित जाति के लिए कई निम्न श्रेणी लिपिक थे जिनके पास स्थायीवत् घोषित किए जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा नहीं थी, जो स्थायी किये जाने की शर्तों में से एक थी। इन पदों को गैर-आरक्षित करने और अन्य समुदायों के निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी बनाने के स्थान पर इस शर्त में, विशेष मामले के तौर पर, छूट दी गई थी और अनुसूचित जाति के विद्यमान उम्मीदवारों को उनके लिए उपलब्ध कोटे में, उनकी नियुक्तियों की तारीखों से ही स्थायी कर दिया गया था।

पूर्वव्याप्ति आधार पर निम्न श्रेणी लिपिकों के कुछ और स्थायी रिक्त स्थान उपलब्ध थे जिन पर अधिक सेवा के गैर अनुसूचित जाति के निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी किया गया था। इस प्रकार स्थायी किये जाने पर उन्हें सैद्धान्तिक आधार पर कम सेवा वाले अनुसूचित जाति के कुछ उम्मीदवारों से अधिक वरीयता दी गई थी। उच्च श्रेणी के लिपिकों ने सहायकों के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, और अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकृत कर दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति इसी आधार पर दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए कोई कार्यवाई आवश्यक प्रतीत नहीं होती है।

अमरीका को ऋण का भुगतान

2208. श्री पी० के० देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका को कुल कितने ऋण का भुगतान किया जाना है; और

(ख) क्या इन देयताओं को उत्तरोत्तर समाप्त किया जा रहा है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संयुक्त राज्य अमेरिका को अदा की जाने वाली ऋण संबंधी देनदारियां

(करोड़ रुपयों में)

निम्न वर्षों के अन्त में कुल देनदारियां	विदेशी मुद्रा में चुकायी जाने वाली रकम	रुपयों में चुकाने जाने वाली रकम (पी०एल० 480 अन्य)	जोड़
1967-68	1616·08	1572·23	3188·31
1968-69	1850·88	1726·70	3577·58
1969-70	2053·55	1757·60	3811·15
1970-71	2282·91	1782·94	4065·85
1971-72	2461·74	1763·71	4225·45

उपर्युक्त आंकड़ों में भारत की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश की गयीं, संयुक्त राज्य अमेरिका की रुपया-राशियों को हिसाब में नहीं लिया गया है जो 31 दिसम्बर, 1971 को 668·67 करोड़ रुपया थी ।

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से पता चलता है वापसी अदायगी सम्बन्धी देनदारियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त सहायता उपलब्ध की गई थी। ब्याज सम्बन्धी अदायगियों सहित आवश्यक वापसी-अदायगियां संयुक्त राज्य अमेरिका को देय तारीखों पर की गयी हैं और की जा रही हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अमरीका से सहायता

2209. श्री पी० के० देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) क्या इन वचनों को पूरा किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमेरिका ने समूची चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता के कोई वचन नहीं दिए हैं किन्तु चतुर्थ आयोजना की अवधि (अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाली) के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन ने अब तक 591·72 करोड़ रुपए तक की सहायता के वचन दिए हैं । अमेरिका 65·69 करोड़ रुपए की प्रायोजना भिन्न सहायता को छोड़कर, जो अब स्थगित की जा चुकी है सभी वचनों को पूरा

कर रहा है। भारत सरकार का विचार है कि अमेरिका द्वारा प्रायोजना-भिन्न सहायता का स्थगित किया जाना अनुचित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए गए सम्बन्ध सहायता-करारों के उपबन्धों के प्रतिकूल है।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के लेखा खातों में अनियमिततायें

2210. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के लेखा परीक्षकों ने नई दिल्ली–1 राष्ट्रीय व्यायहारिक आर्थिक-अनुसंधान परिषद् के लेखा खातों में बड़ी अनियमिततायें पाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के लेखा-परीक्षकों ने नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् की लेखा पुस्तकों में किन्हीं गम्भीर अनियमितताओं के पाये जाने की रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कूच-बिहार और जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों और कृषकों को ऋण देना

2211. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों के छोटे व्यापारियों और गरीब कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अल्पकालिक ऋण अथवा छोटी राशि के ऋण नहीं मिल रहे हैं।

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उस क्षेत्र में अग्रणी बैंक, सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने कूच-बिहार नगर में कोई शाखा अभी तक नहीं खोली है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कूच-बिहार के जिलों में कितने लघु कृषकों और व्यापारियों को ऋण दिया है और उनको दिये ऋण की राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) से (ग) तक : राष्ट्रीकृत बैंक छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों जैसे ऋण-कर्ताओं को उदारीकृत ऋण सुविधाएं दे रहे हैं। बैंक इन श्रेणियों के ऋण-कर्ताओं की सभी वास्तविक उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी तथा कूच-बिहार जिलों में छोटे किसानों तथा छोटे व्यापारियों को उपलब्ध की गयी ऋण सुविधाओं के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

	बकाया रकम लाख रुपयों में (जून, 71 के अन्तिम शुक्रवार को)	
	कूच बिहार	जलपाईगुड़ी
कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)	4·55	9·05
खुदरा व्यापार	8·74	24·65
	13·29	33·70

सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने कूच-बिहार जिले के हल्दीबाड़ी, माथाभांगा, मेकलीगंज, तूफानगंज नामक स्थानों में पहले ही चार शाखाएं खोल रखी हैं। बैंक को कूच-बिहार नगर में एक कार्यालय खोलने के लिए भी लाइसेंस मिल गया है।

केरल को ऋण अनुदान

2212. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार पिछले तीन वर्षों में अपनी मांग और आवश्यकता के अनुसार ऋण और अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : राज्यों को ऋणों और/अथवा अनुदानों की शक्ल में जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है, वह कई प्रयोजनों के लिए होती है। आयोजना खाते में ऋण और अनुदान, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दिए जाते हैं। आयोजना-भिन्न खाते में, ऋण और अनुदान इस प्रकार की मदों के लिए दिए जाते हैं जैसे पुनर्वास, उर्वरकों तथा बीच के लिए अल्पावधिक ऋण अल्प बचतों आदि के संग्रह के आधार पर दिए जाने वाले ऋण/उन राज्यों को भी सहायता दी जाती है जिनका दैवी विपत्तियों के समय राहत देने के लिए किए जाने वाले कार्यों का व्यय से बढ़ जाय, जिसे वित्त आयोग ने अपनी वितरण योजना में हिसाब में लिया हो। राज्य सरकारें खुले बाजारों से भी ऋण लेती हैं। केरल सहित कई राज्यों ने राज्यीय आयोजनाओं के लिए दैवी विपत्तियों सम्बन्धी राहत कार्यों के व्यय के लिए तथा अन्य आयोजना भिन्न प्रयोजनों के लिए अधिक ऋण और अनुदान सहायता देने के वास्ते समय समय पर अभ्यावेदन भेजे हैं। पिछले वर्ष केरल सरकार ने खुले बाजार से, उसे सूचित राशि से भी अधिक ऋण लेने की अनुमति मांगी था। राज्यों को केन्द्रीय सहायता चाहे वह आयोजना गत प्रयोजनों के लिए हो अथवा आयोजना-भिन्न प्रयोजन के लिए चाहे ऋणों के रूप में हो या अनुदानों के, उन्हीं मानदण्डों के आधार पर दी जाती है,जो सभी राज्यों पर समान से लागू होते हैं। इसी प्रकार खुले बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की मात्रा अलग-अलग राज्यों के लिए बाजार की तत्कालीन स्थिति, पिछली प्रवृत्तियों तथा राज्यीय आयोजनाओं में शामिल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्यों द्वारा अतिरिक्त ऋणों और अनुदानों की प्राप्ति के लिए जो अनुरोध किए जाते हैं, उन पर उपर्युक्त परिस्थितियों के संदर्भ में तथा केन्द्र के साधनों पर पड़ने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लंदन शाखा के भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध मामला

2213. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा के भूतपूर्व मैनेजर श्री सामी पटेल के विरुद्ध मामले को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस अवस्था पर है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराय चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्री सामी० जे० पटेल और अन्य दो अभियुक्तों के विरुद्ध फौजारी मुकदमा 17 फरवरी, को ओल्ड बेली में शुरू हुआ था जो कि अब भी चल रहा है। बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजना पक्ष ने अपने मामले को पूर्णतया पेश करने और अपने गवाहों के बयान दिलवाने का काम पूरा कर दिया है।

DEVELOPMENT OF CHITRAKOOT, RAJAPUR AND KALINJAR IN BANDA DISTRICT (UTTAR PRADESH) AS TOURIST CENTRES

2214. Shri R. R. Sharma : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop Chitrakoot, Rajapur and Kalinjar in Banda District (Uttar Pradesh) as Tourist Centre; and

(b) if so, when ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : No such pro posal is under consideration.

(b) Does not arise.

POSSIBILITY OF KEROSENE OIL DEPOSIT IN BARUA-NULLAH (BANDA DISTRICT) IN UTTAR PRADESH

2215. Shri R. R. Sharma : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the possibilities of kerosene oil deposits in Barua-Nullah in Banda District of Uttar Pradesh;

(b) whether Government have got the water of the Nullah tested by experts in this regard; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) :

(a) Kerosene does not occur anywhere in natural form. As regards Crude Oil, Banda area is considered to have little prospects.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

RELAXATIONS IN PROCEDURE AND CONDITIONS FOR GRANT OF LOAN TO AGRICULTURE AND SMALL SCALE INDUSTRIES

2216. Shri R. R. Sharma : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the special relaxations being made in the procedure and conditions governing grant of loans for agriculture, small scale industries and for other minor requirements; and

(b) the effect of these relaxations on agriculture and small industries ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan : (a) In the 'guidelines' issued by the Reserve Bank of India, the commercial banks have been advised that where scales of finance are worked out realistically and the supervisory machinery is adequate, there is actually no

need for any margin. Further, it has been impressed upon the case of crop loans to the small medium cultivators. In such cases, a mere charge or hypothecation of crops should be considered sufficient provided the banks have already fixed rational scales of finance. The emphasis is now laid upon the viability of the project, as a productive enterprise rather than on the creditworthiness of the borrower. Pre-sanction scrutiny of each case and pots-sanction supervision over proper utilisation of the loans-especially under an 'area approach'-are considered more important by the Reserve Bank of India than adherence to traditional norms of security.

For cutting down delay in extending agricultural loans, the banks have been advised that the discretionary powers allowed to the branch agents should be such that at least 80% of the proposals can be cleared by them without reference to any higher authority.

Recovery programmes of the banks are linked with the pattern of harvesting and are sufficiently realistic so as to allow easy and appropriate rephasing in case of natural calamities or adverse seasonal factors.

Several State Governments have already given concessions in Stamp duty and registration fees in respect of loans extended to farmers by commercial banks. With the implementation of the recommendations of the Talwar Expert Group's Report which is under the State Governments' consideration now, the farmers taking loans from the commercial banks will enjoy the same concessions in respect of stamp duty, registration fees, automatic charge of land against a bank loan, summary procedure for recovery etc. as they enjoy while taking loans from the cooperatives.

The banks are paying more attention to the requirements of small farmers than in the past. Some banks have also started giving loans to recorded share-croppers who do not own their land but have a heritable right of cultivation, The Agricultural Refinance Corporation now extends 100% refinance to banks giving loans to small farmers in Small Farmers Development Agencies districts.

The application forms prescribed by banks for borrowers in the agricultural and small scale industries sector have been simplified with a view to obtaining the minimum essential information from them for assessing the viability of the project. Banks also assist the borrowers in filling the application forms.

As a matter of policy, no proposal from a small scale unit which is economically viable and technically feasible can be rejected only on grounds of inadequacy of security. Third party guarantee is not invariably insisted upon.

In assessing the credit requirements, a need based approach is adopted and margins are prescribed, depending upon the resources position of the borrower.

For technician entrepreneurs, loans are granted under special circumstances by banks without any stipulation of margin. As far as possible, advances are granted against hypothecation of stocks and clean limits are granted in deserving cases. By and large, the rate of interest charged by banks to small scale industries is concessionary.

The banks themselves bear the guarantee commission payable to the Credit Guarantee Organisation instead of passing it on to the borrowers.

(b) Although it is not possible to determine the exact impact of the above relaxations on the growth of agriculture or small industries, it can be stated generally that these relaxations inter alia are to a significant extent responsible for the manifold increase in direct advances by public sector banks to agriculture and conspicuous increase in such advances to small industries, as will be evident from the table below :

Advances of Public sector banks

	End of June, 1969		End of Dec. 1971	
	No. of Acs.	Amount out-standing (Rs. crores)	No. of Acs	Amount out-standing (Rs. crores)
Direct finance to Agriculture	1,71,880	38.02	8,90,580	218.26
Small-scale industry	73,987	251·45	1,48,969	482.84

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पादों की उपलब्धता और मांग

2217. श्री राम कंवर . क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं तथा उनकी मांग कितनी है; और

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) 1970 तथा 1971 वर्षों में कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन एवं आवश्यकताएं निम्न प्रकार थीं :—

मिलियन मीटरी टनों में मात्रा

वर्ष	कच्चा तेल		पेट्रोलियम पदार्थ			
	उत्पादन	आवश्यकता	उत्पादन	आवश्यकता	निर्यात	आयात
1970	6·8	18·5	17·2	17·6	.41	.97
1971	7·2	19·6	18·2	*19·3	.15	1 95*

(ख) 1970 तथा 1971 वर्षों में आयातित कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कच्चा तेल	करोड़ रुपयों में पी० ओ एल० उत्पाद
1970	102·4	30·5
1971	* 139·9	33·4

* आंकड़े अस्थायी हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूई के बदले में ऋण की सीमा का बढ़ाया जाना

2218. डा० कर्ण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रूई के बदले ऋण की सीमा को 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है और ब्याज की दर को कम करके 10 प्रतिशत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब को दी गयी ये रियायतें और सुविधाएँ राजस्थान के गंगा नगर जिले को नहीं दी गयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गंगा नगर के लोगों के प्रति इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती और सीमा के निकटस्थ जिलों में रूई और कपास पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में न्यूनतम दर और अधिकतम सीमा की पाबंदीयों को हटा दिया है। इन रियायतों के प्रयोजनों के लिए राजस्थान के गंगानगर जिले को भी सीमावर्ती जिला समझा जा रहा है। इन रियायतों को अप्रैल 1972 के अन्त तक बढ़ा दिया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा युद्ध पोड़तों के पुनर्वास के लिए किए गए उपाय।

2219. श्री नारायण चंद पाराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गये और लापता अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) राज्यों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में एकरूपता लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) एक विवरण संलग्न है ? **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1685/72]**

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों/प्रशासनों द्वारा किए गए उपायों का खुलासा इस प्रकार है :—

(1) शौर्य पुरस्कार विजेताओं तथा विक्लांगों और परिवारों के लिए अनुग्रह पूर्वक अदायगियां।

(2) कृषि कार्यों के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता।

(3) आवासीय भूखण्डों/फ्लेटों के आवंटन में प्राथमिकता।

(4) भवन निर्माण और निर्माण सामग्री की सप्लाई के लिए ऋण प्रदान किए जाने में प्राथमिकता।

(5) युद्ध में मरे/विक्लंगों के बच्चों के लिए शैक्षिक रियायतें।

(6) अशक्त सैनिकों और मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने में प्राथमिकता।

(ग) राज्य सरकारों/प्रशासनों को इस संबंध में लिखा गया है ।

दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विशेषज्ञों की बैठक

2220. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **पर्यटन और विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मार्च 1972 को दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विशेषज्ञों की बैठक हुई थी और उन्होंने नई दिल्ली के माध्यम से, विश्व मौसम विज्ञान केन्द्रों का एशियाई देशों के साथ सम्पर्क कायम करने वाली मौसम विज्ञान दूर संचार व्यवस्था स्थापित करने की सम्भावना पर विचार किया था;

(ख) क्या विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने नई दिल्ली को उत्तरी गोलार्ध (हेमीस्फियर) के लिये क्षेत्रीय दूर संचार केन्द्र बिन्दु (इन) के रूप में चुन लिया है और यहां पर प्रतिदिन 50 लाख शब्दों में मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए 13 लाख डालर की मौसम विज्ञान दूर संचार संगणक व्यवस्था स्थापित की जा रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त बैठक के निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बैठक ने मौसम विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े तथा उपग्रह चित्र सूचना के आदान-प्रदान के लिये 1974 के प्रारम्भ तक नई दिल्ली को मास्को, काहिरा, मेलबोर्न तथा टोकियो से जोड़ने वाली उच्च गतीय दूर संचार सरणियों को कार्यन्वित करने की सिफारिश की । नई दिल्ली तथा एशिया के कई केन्द्रों, जैसे तेहरान, कराची, कोलम्बो, ढाका, रंगून तथा बैंकाक के बीच निम्न गतीय सरणियों को तुरन्त कार्यन्वित करने की भी सिफारिश की थी ।

मैसर्स फिलिप्स टेलिकाम्युनीकेशन इडस्ट्रीज के साथ दूर संचार कम्प्यूटर की तकनीकी विशिष्टयों को अन्तिम रूप दिया गया तथा इसके संस्थापन एवं परीक्षा के लिए कार्यक्रम बनाए गए ताकि इसे मार्च 1974 से चालू कर दिया जाए ।

हैदराबाद में निकासी गृहों का बार बार बंद होना

2221. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश वाणिज्य मंडल संघ ने शिकायत की है कि हैदराबाद में निकासी गृहों के बार बार बन्द होने से उन्हें बहुत हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वान) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आंध्र बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए आन्दोलन के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में पाँच निकासी

गृहों (क्लियरिंग हाऊस) के कारबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सम्बद्ध बैंक समझौता करने तथा सामान्य स्थिति कायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

बिहार में पर्यटन का विकास

2222. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बिहार में पर्यटन के विकास के लिये आर्थिक धनराशि देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि बिहार में और अधिक प्रायोजनाओं को हाथ में लिया जाना चाहिए।

(ख) कुछ वर्तमान प्रयोजनाओं को अभी पूरा करना रहता है तथा इस पहलू पर बाद में उपलब्ध साधनों की पृष्टभूमि में विचार किया जाएगा।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रतिभूति विनियमों में छूट देना

2223. श्री जी० आई० कृष्णन् : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे किसानों को सीधे ऋणों की व्यवस्था का विस्तार करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने प्रतिभूति विनियमों में छूट दी है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1970 में, रिजर्व बैंक ने उस नीति तथा प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये थे, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था किये जाने के मामले में अपनाया जाना था। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में जो अब भी लागू हैं प्रतिभूति पर जोर देने की उपेक्षा उद्देश्यों और उत्पादिता पर अधिक जोर दिया गया है। दरमियाने और छोटे दर्जे के किसानों को फसलों सम्बन्धी ऋण देने के मामले में बैंकों को सलाह दी गयी है कि जहाँ कहीं भी उन्होंने युक्तियुक्त मान (स्केल) निर्धारित किये हैं, वहां पर जमीन को बाकायदा रेहन रख लेने की कार्रवाई के मुकाबले में केवल फसल के दृष्टिबन्धक या उसको प्रभावित करने की कार्रवाई ही काफी होनी चाहिए। जहां तक किसानों को ऋण देने का सम्बन्ध है, ऋण गारन्टी योजना सुविधाएं 1-1-1972 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक निश्चित अधिकतम सीमा तक उपलब्ध हैं ; अर्थात् अल्पावधि ऋण, 2500 रुपये तक और दरमियानी अवधि का ऋण 10,000 रुपये तक। जनवरी 1972 से ऋण गारण्टी योजना के क्षेत्र और उसकी अधिकतम सीमा, दोनों ही को उदार कर दिया गया है। पहले केवल वही अग्रिम ऋण गारण्टी योजना के अन्तर्गत आते थे जो अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं होते थे ; किन्तु अब इसे उदार कर दिया गया है और अब इसके अन्तर्गत, स्पष्ट रूप से उल्लिखित खरीद कार्यों के लिये किसानों को दिये जाने वाले सभी प्रत्यक्ष ऋण, उनको स्वीकृत ऋण सुविधाओं की सीमाओं के कुछ भी होने के बावजूद, शामिल कर दिये गये हैं। उन मौसमी कृषि ऋणों की गारण्टी के लिये भी पहली बार व्यवस्था की गयी है, जो दैवी विपत्तियों के कारण फसल

बर्बाद हो जाने से समय पर वापस अदा नहीं किये जाते तथा जिनको मियादी तथा किश्तों वाले ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसानों और खेतिहरों को, मौसमी कृषि कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिये जो ऋण दिये जाते हैं उनकी वापसी अदायगी की अधिकतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ा कर 10 महीने कर दी गयी है।

ARREARS OF TAXES AGAINST BIG BUSINESS HOUSES

Shri Ramavatar Shastri : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether huge arrears of taxes are outstanding against 75 big business houses;

(b) if so, the amount outstanding against each of them; and

(c) the action taken so far and proposed to be taken in future by Government to reeover this amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) : Each of the seventy-five business houses mentioned in the Monopolies Enquiry Commission Report, includes several assessees and the number of such assessees runs into several hundreds. The collection of requisite information about them will involve considerable time. If, however, the Hon'ble Member desires to have information about any particular assessee/s belonging to these business houses the same can be furnished.

EMPLOYEES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN INCOME-TAX OFFICE, PATNA

2225. Shri Ramavatar Shastri : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the number of Class III and Class IV employees working in the Income-tax Office, Patna separately;

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees among them separately and whether their number is equal to the quota reserved for them; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) (b) & (c): The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

AMENDMENTS TO CANTONMENT BOARD ACT, 1924

2226. Shri Ramavtar Shastri : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether the elected Cantonment Boards in the country have been demanding certain amendments in the Cantonment Board Act, 1924 for the last several years;

(b) whether Government have taken any decision in this regard; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir,

(b) No final decision has been taken.

(c) Does not arise.

केरल में कम्पनियों का परिमापन

2227. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) केरल राज्य में पिछले तीन वर्षों से परिसमापित की गई कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

(ख) क्या इन कम्पनियों के ऐच्छिक परिसमापन की परिस्थितियों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ? और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कंपनी कार्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उन कम्पनियों के नामों की बाबत सूचना, जो केरल राज्य में गत तीन वर्षों अर्थात्, 1969, 1970 व 1971 के मध्य ऐच्छिक रूप से परिसमापित हुई हैं, संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

केरल राज्य में गत तीन वर्षों, अर्थात् 1969-71 के मध्य, ऐच्छिक परिसमापन में गई हुई, सूचित कंपनियों के नाम प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र

जनवरी-दिसम्बर 1969

1. यूनियन ट्रेड्स एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०
2. परमेश्वर विलासम कं० लि०
3. जचारिया एण्ड सन्स प्रा० लि०
4. कामन वैल्थ कं० प्रा० लि०
5. टिम्बर एण्ड ट्रेडिंग कं० लि०
6. भारत केश्यू एण्ड प्रोड्यूस कं० प्रा० लि०
7. पामल्ली प्लान्टेशन्स प्रा० लि०
8. पेरुर सैन्ट्रल चिट्ठी फण्ड प्रा० लि०
9. मारीकर ट्रान्सपोर्ट्स लि०
10. अधिलक्ष्मी पेपर एण्ड बोर्ड्स लि०

जनवरी-दिसम्बर, 1970

11. चेंन्गलाम प्लान्टेशन्स प्रा० लि०
12. स्टेन्डर्ट फर्नीचर कं० लि०
13. लोटस इन्जीनियर्स प्रा० लि०
14. भारत पब्लिशर्स एण्ड ट्रेड्र्स लि०
15. अन्नालूर इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०

16. यूनियन टायल वर्क्स प्रा० लि०

17. आई० आई० अप्यप्पन मिल्स प्रा० लि०

जनवरी-दिसम्बर 1971

18. मैक्कर पिल्ले एण्ड सन्स प्रा० लि०

19. प्रेडरिक मैन्जाज एण्ड सन्स लि०

20. ट्रिचूर मीटल एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०

21. ईसेल प्रा० लि०

22. पोपूलर वर्कशाप प्रा० लि०

23. गणेश इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०

24. पारागोन इन्टरप्रोइजेज प्रा० लि०

25. कोटायाम प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग लि०

26. इन्डियन महीटल एण्ड टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि०

27. अशोक बैंक लि०

जीवन बीमा निगम द्वारा न निबटाया गया दावा

2228. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 30 मार्च 1972 के "स्टेट्समैन" (दिल्ली) में "जीवन बीमा निगम द्वारा न निपटाया गया दावा" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दावे को निपटाने में विलम्ब के विषय में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) क्या इस का भुगतान कर दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : समाचार में पांच बीमा पालिसियों का जिक्र था, जबकि बीमा हुए व्यक्ति की 22-10-69 को हुई मृत्यु में केवल एक पालिसी (सं० 24061565) के अन्तर्गत दावा पेश किया गया था । जीवन बीमा निगम ने, जांच के बाद, दावे को 26-5-70 को अस्वीकार कर दिया ।

नागर विमानन विभाग का पुनर्गठन

2229. श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री डी० के० पंडा : } क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन विभाग का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसका प्रभाव उस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा ;

(ख) क्या पुनर्गठन के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारियों के कार्मिक संघ के साथ विचार-विमर्श किया गया था जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बद्ध जे० सी० एम० और सी० ए० योजना के अन्तर्गत अपेक्षित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या करण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : नागर विमानन के क्षेत्र में हुई तकनीकी प्रगतियों के परिणाम-स्वरूप अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर आई अधिकाधिक जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए नागर विमानन विभाग के क्षेत्र-कार्यालयों (फील्ड आफिसेज़) को विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है । थोड़ी सी बचत करने के अलावा, प्रमुखतया पुनर्गठन प्रस्तावों का अभिप्राय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सेवा-भविष्य को अधिक अच्छा बनाना है । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा की गई सिफारिशों को दो या तीन चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । वर्तमान सिफारिशें विमानक्षेत्र एवं विमान मार्ग संचार विषयक पक्षों से सम्बन्धित हैं । विमान-निरीक्षण पक्ष की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) : कार्यान्वयन से पहले सम्बन्धित कर्मचारी संघों को पुनर्गठन प्रस्तावों के कार्यक्षेत्र के विषय में विस्तार से बता दिया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न भत्ते

2230. **श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए किस-किस स्थान पर (i) विशेष प्रतिकर भत्ता (ii) से (iv) तक में उल्लिखित अन्य भत्तों से भिन्न, (ii) परियोजना भत्ता ; (iii) खराब जल-वायु भत्ता; (iv) आदि-वासी क्षेत्र भत्ता मंजूर किया गया है; और प्रत्येक मामले में इस की राशी और अन्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा बातचीत और निपटारा करने के लिए एकतंत्र की रचना करना

2231. **श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा प्राधिकरण को निदेश दिया है कि वह इस प्राधिकरण द्वारा सेवा में रखे गये व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को बातचीत द्वारा निश्चित करने के लिये सम्बद्ध कार्मिक संघों से विचार-विमर्श करें और बातचीत तथा निपटारे के लिये एक तंत्र नियुक्त करे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में 'अन्तर्राष्ट्रीय विमान

क्षत्र प्राधिकारी अधिनियम' में किये गये सुरक्षात्मक उपायों को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने इस विषय में प्राधिकरण को कोई निर्देश जारी नहीं किया है ।

नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के संबंध में समझौता

2232. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या पर्यटन और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग के केलिब्रेशन यूनिट/ओवर आल यूनिट के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के सम्बन्ध में जे० सी० एम० और सी० ए० योजना के अन्तर्गत विभागीय परिषद् की बैठक में किया गया समझौता अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) उक्त समझौता कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या करण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : नागर विमानन विभाग के ओवर हाल और केलिब्रेशन यूनिट के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का प्रश्न दिसम्बर, 1967 में इस मंत्रालय से संलग्न विभागीय परिषद् के समक्ष विचारार्थ आया । विभागीय परिषद् ने यह मामला अपनी एक उप-समिति को सौंप दिया, जिससे मार्च, 1968 में कुछ सिफारिशें कीं । यद्यपि विभागीय परिषद् ने इस मामले पर स्वयं कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया, सरकार द्वारा उप-समिति की सिफारिशों की जांच की गयी, परन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि वेतन सम्बन्धी सामान्य प्रश्न पर वेतन आयोग द्वारा पहले से ही विचार किया जा रहा है ।

केरल में कोवलम समुद्र तट का विकास

2233. श्री सी० के० चंद्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में कोवलम समुद्र तट का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : एक 100 कमरों का होटल, 40 समुद्रीतटीय कुटीरें, एक समुद्रतट सेवा केन्द्र, एक खुला रंगमंच (थियेटर), एक योग एवं मालिश केन्द्र और जल व क्रीड़ा सुविधाओं का प्रचालन इस प्रायोजना की मुख्य-मुख्य बातें हैं । इन प्रायोजनाओं पर 2.215 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

भारत द्वारा विदेशों से लिए गये ऋण को लौटाने की तारीखों में परिवर्तन करने के लिए विश्व बैंक से अनुरोध

2234. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से भारत की ऋण संबंधी देनदारियों का विशेष अध्ययन करने के लिए कहा है ताकि चालू वर्ष में देय ऋणों के भुगतान की तारीखों में और परिवर्तन किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समय भारत को कुल कितना ऋण चुकाना है और चालू वर्ष में कितनी राशि लौटाई जानी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भारत सहायता संघ की 17 और 18 जून 1971 को हुई पिछली बैठक में सदस्यों ने विश्व बैंक के इस प्रस्ताव को ध्यान में रखा कि भारत को दी जाने वाली सहायता के समूचे ढांचे का अध्ययन किया जाय, जिसमें हाल के वर्षों में काफी कमी हो गयी है। बैंक, भारत को दी जाने वाली सहायता के बारे में अध्ययन करने का काम हाथ में लेने के लिए सहमत हो गया जिसमें ऋण-शोधन तथा ऋण-राहत देने के उपायों का अध्ययन भी शामिल है। आशा है कि 1972-73 के चालू वर्ष में ऋण संबंधी राहत देने की व्यवस्था के बारे में भारत सहायता सघ की अगली बैठक में विचार किया जायगा।

(ग) अनुमान है कि पहली अप्रैल 1972 को, विदेशी ऋण संबंधी भारत की देनदारी की कुल रकम 6602 करोड़ रुपया होगी और चालू वर्ष में वापस की जाने वाली मूलधन की रकमें लनभग 290 करोड़ रुपया बैठेंगी।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजना

2235. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न देशों में, भारतीय आप्रवासी गैर-कानूनी ढग से भारत में धन भेजते हैं,

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसे कुछ मामलों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो संबधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, और

(घ) क्या सरकार ने इस रूप में परिचालित काले धन की राशि का कोई अनुमान लगाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) : विदेशों में बसे भारतीय प्रवासियों द्वारा अनधिकृत माध्यम से धन भेजने के कुछ विशिष्ठ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों के अधीन, विदेशों में रहने वाले ऐसे प्रवासियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं है। भारत में धन प्राप्त करने वालों के खिलाफ, जहां सम्भव हो, कार्रवाई की जाती है क्योंकि इस प्रकार धन प्राप्त करना, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के खिलाफ है। मौजूदा कानून की कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में कार्रवाई करने की ओर सरकार लगातार ध्यान देती रहती है।

(घ) सम्भवत: माननीय सदस्य के मन में भारत में चलन में आने वाला वह धन है जो अनधिकृत तरीकों से प्राप्त हुआ है और जिसे कर-प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता। इस प्रकार भेजे जाने वाले धन के लिए अपनाये जाने वाले माध्यमों को देखते हुए इस रकम का कोई युक्तियुक्त अनुमान लगाना सम्भव नहीं है

विश्व बैंक से ऋण

2236. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री हुकम चन्द्र कछवाय : } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में कुछ ऋण मंजूर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये ऋण भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतराव चव्हाण) : (क) और (ख) : पहली जनवरी, 1972 से भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के, जो कि नरम शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सबद्ध संस्था है, कुल मिला कर 16.90 करोड़ अमरीकी डालरों के ऋणों के करारों पर हस्ताक्षर किये हैं जो इस प्रकार हैं :—

	परियोजना	ऋण की रकम (लाख डालरों में)
1.	मैसूर कृषि ऋण परियोजना	400
2.	गोरखपुर उर्वरक परियोजना	100
3.	ग्यारहवीं रेलवे परियोजना	750
4.	महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना	300
5.	बिहार कृषि विपणन परियोजना	140
		1690

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मंडल हाल ही में, भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा 6 तेलवाहक जहाजों की प्राप्ति के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पास साधन उपलब्ध होने पर, 830 लाख अमरीकी डालर का एक ऋण देने की मंजूरी भी दी है।

(ग) ये ऋण चौथी पंचवर्षीय आयोजना में परिकल्पित विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए है।

सेना के इंजीनियरों द्वारा बंगला देश में सड़क, रेल और नदी संचार व्यवस्थाओं का बहाल किया जाना।

2237. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के इंजीनियरों ने बंगला देश में आवश्यक सड़क, रेल और नदी संचार व्यवस्थाओं को बहाल करने का काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पूरा किए गए कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर भारत ने कितनी धन-राशि खर्च की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : जी हां । एक विवरण संलग्न है ।

(ग) किए गए व्यय का अभी तक परिकलन नहीं किया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित कार्य किए गए थे :—

(1) लगभग 90 पुलों की मरम्मत । इसमें 1400 फीट लम्बे मधुमती नदी का पुल भी शामिल है ।

(2) फरीदपुर में एक जैट्टी का निर्माण तथा इसको 5 मील लम्बे रास्ते से निकालना ।

(3) नवाबगंज में रैफ्ट फरी का निर्माण तथा संक्रिया ।

(4) बंगला देश में 75 प्रतिशत रेलवे को पुनर्व्यवस्थित करना ।

(5) फरीदपुर तथा खुलना तक रेलवे का संचालन ।

(6) जैसौर तथा ढाका के हवाई पत्तनों की मरम्मत में मदद ।

(7) ढाका से खुलना तक फैरी सर्विस का संचालन, फरीदपुर, दौखण्डी तथा नदी पार आशुगंज तथा हार्डिग ब्रिज तक फैरी सेवा का संचालन ।

(8) बंगला देश में ट्रंक टेलीफोन संचार व्यवस्था की मरम्मत तथा संचालन में सहायता ।

(9) भारी मात्रा में अविस्फोटो बमों, भूमि सुरंगों तथा समुद्र की सुरंगो का भी निपटान किया है ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड

2238. डा० रानेन सेन : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को वर्तमान अभिदत्त शेयरों के अतिरिक्त नये शेयर जारी करने की अनुमति दी है ;

(ख) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड में ऐसे अभिदत्त शेयरों की संख्या कितनी है जो भारत के निवासियों के हैं, जो गैर-भारतीयों के हैं और जो भारत सरकार के निगम और वित्तीय संस्थाओं के हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी पर वित्तीय नियंत्रण रखने के लिये भारत सरकार कम्पनी के नये इक्विटी शेयर लेने का विचार कर रही है ? और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के निदेशक मंडल में अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का है ;

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस कम्पनी से नये हिस्सों के प्रवर्तन हेतु पूंजी प्रेषण नियंत्रक को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पूँजी-प्रेषण नियंत्रक द्वारा हिस्सों के पिछले प्रेषण की अनुमति की स्वीकृति 1965 में दी गई थी ।

(ख) (1) भारतवासी हिस्सेदार 28.4 %

(2) गैर भारतवासी हिस्सेदार 66.2 %

(3) सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान 4.2 %

(4) अनुसूचित बैंक 1.2 %

100.0 प्रतिशत

(ग) तथा (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड

2239. डा० रानेन सेन : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम, 1969 के उपबन्ध इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड पर भी लागू होते हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : इस कम्पनी का एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया है ।

त्रिपुरा में तेल की खोज

2240. डा० रानेन सेन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल की खोज संबंधी योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी, हां ।

(ख) त्रिपुरा में गहरे अन्वेषी कुएं खोदने, जिसके लिये तेल का प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है, के लिए एक रिग की स्थापना किये जाने के अतिरिक्त, उस क्षेत्र में एक और व्यधन रिग की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इस प्रयोजन के लिए उन उपकरणों, जिनका आयात किया जाना आवश्यक है, को उपलब्ध करने से संबन्धित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक प्रस्ताव का सरकार ने हाल ही में अनुमोदन कर दिया है ; इस दिशा में यह पहला कदम है ।

मेसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के भविष्य के बारे में निर्णय

2241. डा० रानेन सेन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्ज स्मिथ स्टेनस्ट्रीट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के भविष्य के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार उक्त कम्पनी को अपने हाथ में ले लें ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की जांच करने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सिफारिश की है कि सरकार इस कम्पनी को अपने हाथ में ले ले । सरकार इस रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने सम्बन्धी दल

2242. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार करने के लिये कोई केन्द्रीय अध्ययन दल नियुक्त किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो दल ने क्या सिफारिशें की हैं और क्या सरकार द्वारा वे स्वीकार कर ली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : वित्त वर्ष 1971-72 में सूखा सहायता कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिये इस राज्य में केन्द्रीय दल भेजने का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ । जहां तक 1970-71 का सम्बन्ध है मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर अगस्त 1970 में एक केन्द्रीय दल ने, पहले के वर्ष मे चली आ रही सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में सहायता कार्यों के लिये रकम की आवश्यकता पर विचार करने के लिये, राज्य का दौरा किया था । उक्त दल ने 1970-71 के वर्ष के लिये राज्य सरकार के लिये किसी केन्द्रीय सहायता की सिफारिश नहीं की क्योंकि यह आशा की गयी थी कि उस वर्ष सहायता कार्यों पर होने वाला सम्भावित व्यय उस राशि के अंदर होगा जो वित्त आयोग ने राज्य में दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में सहायता के लिये अन्तरण की योजना के अन्तर्गत हिसाब में ली थी ।

बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि

2243. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में बहुत वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो बैंकों द्वारा गत दो वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र को कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के अग्रिम जो जनवरी 1970 के अन्त में 3769 करोड़ रुपया थे, बढ़ कर जनवरी, 1972 के अन्त में 5096.3 करोड़ रुपया हो गये ।

(ख) बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखते ।

केरल में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव

2244. श्री वयालार रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अमरीकी सहायता

2245. श्री वयालार रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका सरकार के भारत को सहायता बंद कर देने के एक पक्षीय निर्णय के बाद क्या सरकार अथवा सरकारी एजेंसियों को अमरीका से कोई वित्तीय सहायता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) यह सहायता किन शर्तों पर मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क), (ख) और (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता का इकतरफा स्थगन कर दिये जाने से, अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ किये गये चार करारों के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता की उतनी रकम पर प्रभाव पड़ा है जितनी रकम के बारे में अपरिवर्तनीय साख-पत्र जारी नहीं किये गये थे। इस प्रकार, इन चार करारों के कुल 30 करोड़ डालर की रकम में से, स्थगित किये गये ऋण की रकम 8.75 करोड़ डालर बैठती है।

निर्यात-आयात बैंक के साथ किये गये करारों और पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता पर उपर्युक्त स्थगन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। स्थगन से प्रभावित करारों के अन्तर्गत सहायता, करारों की शर्तों के अनुसार मिल रही है।

ALLOTMENT OF I.O.C. AGENCIES TO POLITICAL SUFFERERS, HARIJANS AND DISABLED SOLDIERS

2246. Shri Anant Prasad Dhusia : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state whether Government propose to allot agencies of petrol, Indane gas, diesel and kerosene oil to political sufferers, Harijans, disabled soldiers and widows of soldiers and if so, the broad outlines of the proposal ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H.R. Gokhale) : IOC is now giving preference in allotting its agencies for Corporation owned retail outlets, kerosene and light diesel oil and Indane gas only to disabled servicemen and to the dependents of those killed or missing in action. Agencies under this scheme are being allotted on the basis of recommendations made by the Director General of Re-settlement, Ministry of Defence and the Inspector General of Border Security Force. No change in the scheme is contemplated for the present.

BAR ON NUMBER OF I.O.C. AGENCIES ALLOTTED TO AN INDIVIDUAL OR FIRM

2247. Shri Anant Prasad Dhusia : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is Government's policy not to allot more than two agencies of petrol, Indane gas, diesel and kerosene oil to any individual or firm : and

(b) if so, whether any person or firm has been allotted more than two agencies in Gorakhpur or Varanasi Divisions of Uttar Pradesh ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H.R. Gokhale):

(a) Effective from the end of 1969, the Indian Oil Corporation started awarding agencies for its products on a preferential basis to unemployed engineers/graduates coming from low income group families except where agencies were specially reserved for ex-servicemen etc. From the end of last year this scheme has been held in abeyance for one year and agencies are now being preferentially awarded to disabled servicemen and dependents of servicemen killed or missing. Under these schemes not more than one agency has been or is being allotted to one party. However, relaxations can be made in exceptional cases, where warranted, based on the merits of each case.

(b) Some parties are holding more than two agencies in Gorakhpur and Varanasi Divisions of Uttar Pradesh. These agencies were, however, awarded several years back at the time when these parties gave up the agencies of the foreign oil companies to join the Indian Oil Corporation.

आयकर विभाग में श्रेणी एक और दो के अधिकारियों के बीच भेद को समाप्त करना

2248. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार आय-कर विभाग में श्रेणी एक और दो के अधिकारियों के बीच भेद को समाप्त करने हेतु कदम उठा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

हल्दिया उर्वरक परियोजना के चालू हो जाने पर विदेशी मुद्रा की बचत

2249. श्रीमती ज्योत्सनाचन्दा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित हल्दिया उर्वरक परियोजना के चालू हो जाने पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(ख) परियोजना में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)

(क) आयोजित पूर्ण निर्धारित क्षमता की प्राप्ति पर, प्रायोजना प्रतिवर्ष 3,79,000 मीटरी टन नाइट्रो-फास्फेट और 1,65,000 मीटर टन यूरिया का साथ-साथ उत्पादन

करेगी । उस सीमा तक उर्वक आयत के स्तर में कमी होगी जिसके परिणामस्वरूप, आयातित कच्चे माल आदि पर विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन का लेखा जोखा करने के पश्चात्, मूल्यों के वर्तमान स्तर पर प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपयों के रूप में विदेशी मुद्रा में शुद्ध बचत होगी ।

(ख) लगभग 1400

आयुध कारखानों में उत्पादन में वृद्धि

2250. कुमारी कमला कुमारी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत कितने आयुध कारखाने हैं ?

(ख) क्या हाल ही में, पाकिस्तान से हुई 14 दिन की लड़ाई में इन सभी कारखानों ने अवनरन काम किया ; और

(ग) वर्ष 1970–71 की तुलना में वर्ष 1971-72 में इन कारखानों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रक्षा उत्पादन विभाग से नियंत्रण के अन्तर्गत 30 आर्डनेन्स कारखानें हैं जिनमें हैवी व्हीकल फैक्टरी, अवाडी और बर्फ शोधित खुराक कारखाना, हज़रतपुर भी शामिल हैं जो सीधे रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं ।

(ख) पाकिस्तान के साथ हुए हाल के संघर्ष के दौरान आर्डनेन्स कारखानों ने फैक्टरी अधिनियम में अन्तर्निहित मध्याह्न भोजन/आराम के व्यवधान को छोड़कर 24 घण्टे काम किया । केवल हैवी व्हीकल फैक्टरी, आवाडो में केवल कुछ महत्वपूर्ण अनुभागों में लगातार बिना रुके काम चलाया गया था और बर्फ शोधित खुराक कारखाना हजरतपुर ने केवल सामान्य घंटों में काम किया ।

(ग) 1970-71 में आर्डनेन्स कारखानों ने 112.30 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान जारी किया था । 1971-72 में 138 करोड़ रुपए के मूल्य के सामान के जारी किये जाने की आशा है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल स्थिति उद्योगों में पूंजी लगाना

2251. कुमारी कमला कुमारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित उन उद्योगों और फैक्टरियों के नाम क्या हैं जिनमें विदेशी कम्पनियों ने गत दो वर्षों में पूंजी लगाई तथा प्रत्येक में लगाई गई पूंजी की राशि क्या है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी का पूंजीगत निवेश क्या है तथा उन्होंने प्रतिवर्ष अपने-अपने देशों को कितनी विदेशी मुद्रा भेजी तथा शेष धन को भारत में खर्च करने संबंधी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) : एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल और बिहार में पंजीकृत ऐसी भारतीय औद्योगिक कम्पनियों द्वारा 1969 और 1970 अनिवासियों को जारी किये गये शेयरों का ब्योरा दिया गया है जिनके पूर्णतः और अंशतः स्वामित्व प्राप्त कारखाने इन राज्यों में स्थित हैं । इस प्रकार के कुछ और

मामले भी हैं और इनके संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी। इन निवेशों के बदले की गयी प्रेषणाओं के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। भेजे जा सकने वाले लाभांशों की मात्रा कम्पनियों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेगी।

विवरण

पश्चिम बंगाल और बिहार में पूंजीकृत तथा औद्योगिक गतिविधियों में लगी भारतीय कम्पनियों द्वारा 1969 और 1970 के दौरान अनिवासियों को जारी किये गये शेयरों का विवरण।

क्रम संख्या	भारतीय कम्पनी का नाम	(लाख रुपयों में) रकम	
		1969	1970
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्टील ऐण्ड एलाइड प्राडक्टस लिमिटेड, कलकत्ता	7.77	—
2.	अरोड़ा मेथी लिमिटेड, कलकत्ता	1.20	0.27
3.	आर्गेन इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	21.62	20.90
4.	इण्डियन एक्स्प्लोसिव्स लिमिटेड, कलकत्ता	433.86	—
5.	रोड मशीन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता	0.68	—
6.	इंचेक टायर्स लिमिटेड,	0.01	—
7.	ड्यूरेंस मेकनील ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	0.02	9.33
8.	ग्रैफाइट इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	6.29	—
9.	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	9.75	—
10.	अच्छूराम कालखोफ ऐण्ड कम्पनी, कलकत्ता	0.01	—
11.	मोलिन्स आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	42.70	—
12.	वेस्टोबेल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	3.68	—
13.	यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक्स लिमिटेड, कलकत्ता	—	1.50
14.	इलेक्ट्रो मेडिकल एलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	—	1.81
15.	रेकिट ऐण्ड कोलमैन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	—	111.00
16.	मेसर्स एस० कुमार ऐण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	—	6.13
17.	इण्डियन यीस्ट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	—	2.39
18.	यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	122.85	—
19.	टाटा योदोगावा लिमिटेड, कलकत्ता	66.00	—
20.	मीको कनवेयर्स (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता	0.23	—
21.	ऐंजल इण्डिया मशीन्स ऐण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता	0.78	—
		717.45	153.33

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार के किसानों को दिया गया ऋण

2252. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बिहार के किसानों और बड़े औद्योगिक गृहों को अलग-अलग कितना ऋण दिया ; और

(ख) पालामऊ जिले के किसानों को कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार के किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

जून 1969 के अन्त में बकाया	दिसम्बर 1971 के अन्त में बकाया	जून 1969 तथा दिसम्बर 1971 के बीच बकाया वृद्धि
4.71	179.02	+ 174.31

बड़े औद्योगिक गृहों के सम्बन्ध में जानकारी यथासंभव सीमा तक इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

(ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

बिहार में रष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

2253. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 के दौरान बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त कुल कितने आवेदन-पत्र इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये थे कि प्रार्थी प्रतिभूति देने में असमर्थ थे ; और

(ख) तीन महीने तथा छः महीने से अधिक समय से कितने आवेदनपत्र विचाराधीन पड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गयी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । इसे सम्भव सीमा तक इकट्ठा करके सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

कोर्ट मार्शल ला का पुर्नमूल्यन करने के लिये प्रस्ताव

2254. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना के 'कोर्ट मार्शल ला' का पहले कब पुर्नविलोकन और पुनरीक्षण किया गया था ।

(ख) सजा के विरुद्ध अपील करने के अधिकार के बारे में उपबन्धों का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान 'कोर्ट मार्शल ला' का पुर्नमूल्यांकन करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1950 में।

(ख) वायुसेना अधिनियम, 1950 की धारा 161 (1) में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर वायुसेना अधिनियम लागू हो और जो यह समझता है कि कोर्ट मार्शल द्वारा पास किये गए किसी आदेश से उसे हानि हुई है तो वह ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास याचिका भेज सकता है जिसे ऐसे कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों अथवा सज़ा की पुष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई हो। धारा 161 की उपधारा (2) में व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जिस पर वायुसेना अधिनियम लागू है और जो यह समझता है कि किसी कोर्ट मार्शल द्वारा दिये गए निष्कर्षों अथवा सज़ा से उसे हानि हुई है और जिसकी पुष्टि की जा चुकी हो तो वह केन्द्रीय सरकार, चीफ आफ एयर स्टाफ अथवा निष्कर्ष और सज़ा की पुष्टि करने वाले अधिकारी से उच्च किसी अन्य निर्धारित अधिकारी को याचिका दे सकता है।

(ग) जी, हां।

विदेशी सहायता

2255. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 में प्रत्येक देश से प्राप्त सहायता में से कितनी राशि वास्तव में उपयोग में लाई गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1971-72 के वर्ष में सहायता के अनुमानित उपयोग का देशवार विवरण।

(दस लाख डालरों में)

क्रम संख्या	स्रोत	1971-72 में सहायता का अनुमानित उपयोग		
		परियोजना / गैर-परियोजना सहायता	खाद्य सहायता तथा खाद्य से भिन्न पी० एल० 480	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क. सहायता संघ				
1.	आस्ट्रिया	1.10	—	1.10
2.	बेल्जियम	6.33	—	6.33
3.	कनाडा	73.20	37.33	110.53
4.	डेनमार्क	8.79	—	8.79
5.	फ्रांस	47.63	—	47.63
6.	जर्मनी	100.85	—	100.85
7.	इटली	24.36	—	24.36
8.	जापान	52.07	—	52.07

9.	नीदरलैण्ड	12.61	—	12.61
10.	नार्वे	1.83	—	1.83
11	स्वीडन	11.10	—	11.10
12.	ब्रिटेन	138.88	1.92	140.80
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	267.05	126.67	393.72
14.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	47.44	—	47.44
15.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	127.19	—	127.19
	उप-जोड़	920.43	165.92	1,086.35
ख. सहायता संघ से भिन्न :				
1.	बल्गारिया	0.50	—	0.50
2.	चेकोस्लोवाकिया	2.75	—	2.75
3.	हंगरी	0.50	—	0.50
4.	पोलैण्ड	3.99	—	3.99
5.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	22.50	—	22.50
6.	यूगोस्लाविया	—	—	—
7.	स्विटजरलैण्ड	3.07	—	3.07
8.	अन्य	1.50	2.33	3.83
	उप-जोड़	34.81	2.33	37.14
	जोड़ :	955.24	168.25	1,123.49

तस्करों के जहाजों को पकड़ने के लिए आवश्यक जहाजों संबंधी समिति

2256. श्री प्रभुदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० नाग चौधरी की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने हाल ही में समुद्रतट की गश्त करने और तस्करों के जहाजों की किस्मों के बारे में जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गईं और इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) डा० नाग चौधरी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, गश्त लगाने तथा अवरोधन के लिए आवश्यक जस्थानों की किस्मों के प्रश्न की हाल ही में जांच की है ।

(ख) अध्ययन दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि इस समय पर्याप्त क्षमता तथा तेज रफ्तार की नौकओं को समुद्र-तट से दूर क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किनारे के नजदीक कार्य करने के लिए लघुतर परन्तु मध्यम तेज रफ्तार की नौकाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ।

DECLARATION OF MANDSAUR CITY AS 'C' CLASS

2257. Dr. Laxminarain Pandey : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to declare Mandsaur City in Madhya Pradesh as 'C' Class city; and

(b) if so, the date from which Central Government employees working there would be benefited as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) :

(a) & (b) Classification/reclassification of cities/towns for purposes of grant of compensatory (city) and house rent allowances will be considered after the final report of 1971 Census becomes available.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, लुनाबेडा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में कर्मचारियों को प्रतिशतता ।

2258. श्री के० प्रधानो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, लुनाबेडा में कितने प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रखा गया है ;

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या उड़ीसा वासियों को निम्नपदों के लिए प्राथमिकता दी जाती है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) स्थिति दर्शाता हुआ विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1686/72]**

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को भर्ती के लिए आरक्षण राष्ट्रपति के द्वारा 1969 में जारी किए गए तथा 1970 में संशोधित निर्देश के अनुसार किया जाता है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती की स्थिति में 1969 की तुलना में जब राष्ट्रपति ने निर्देशक जारी किया था काफी सुधार हुआ है । एच ए एल आवधिक रूप से अधिकारियों के दल को उड़ीसा के विभिन्न भागों में जहां अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों की अधिकता है उनकी भर्ती के लिए भेजता है । एच ए एल राज्य में आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों तथा अन्य साधनों के द्वारा काफी प्रचार करता है । कम्पनी अनुसूचित जन जातियों के कल्याण निर्देशक से भी निकट का सम्पर्क रखती है । इन पदों के लिए निर्धारित अनुभव को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थियों के पक्ष में शिथिल किया जा रहा है ।

(ग) जी हां । 31 मार्च 1972 को प्रतिशत 58.85 था जब कि 31 मार्च 1969 को 39.28 प्रतिशत था ।

केरल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण

2259. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में औद्योगिक वित्त निगम ने केरल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये कुल कितना ऋण दिया ; और

(ख) स्थापित उद्योगों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) : गत तीन वित्तीय वर्षों 1969-70, 1970-71 और 1971-72 (29-2-1972 तक) में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की योजना आयोग के अनुसार केरल राज्य के औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित जिलों में स्थापित की जाने वाली दो औद्योगिक कम्पनियों से वित्तीय सहायता के लिये 4 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। मेसर्स केरल साल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन लिमिटेड, जिला त्रिचूर से 21.00 लाख रुपया ऋण के लिये प्राप्त दो आवेदन-पत्र मंजूर कर लिये गये हैं और हाल में उन्हें 13.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। रुपया ऋण के रूप में तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर हामीदारी के रूप में सहायता के दो आवेदन-पत्रों पर निगम कारवाई कर रहा है।

RECOVERY OF ARREARS OF TAX IN MADHYA PRADESH

2260. Shri G. C. Dixit : Will the **Minister of Finance** be pleased to state the progress made in realising arrears of taxes in Madhya Pradesh by the campaign R. A. T. (Reducing Arrears of Tax) launched by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The progress made in realising arrears of Income-tax in the charge of the Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh, Bhopal by the compaign R. A. T. (Reducing Arrears of Tax) launched by the Government is indicated by the following figures of reduction in arrear demand :

	(In Crores of Rupees) Reduction in arrear demand.
1-4-1970 to 31-3-1971	3.61
1-4-1971 to 31-12-1971	1.65

DECISION TO ACCORD PRIORITY FOR DEVELOPMENT TO MADHYA PRADESH BY L. I. C.

2261. Shri G. C. Dixit : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether the Life Insurance Corporation of India has decided to accord priority to Madhya Pradesh State for its development; and

(b) if so. the nature of facilities being provided or proposed to be provided to it ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) : Keeping in view the interests of the community as a whole the LIC spread its investments throughout the country. Apart from Central Government securities, its investments include :

(i) State Government securities.

(ii) Loans to, or guaranteed by, State Governments.

(iii) Loans to, and bonds of, State Electricity Boards.

(iv) Municipal securities and loans to Municipalities.

(v) Bonds and shares of State Financial Corporation.

(vi) Debentures of Cooperative Land Mortgage Banks.

(vi) Loans to Cooperative Housing Finance Societies.

(viii) Shares and debentures of joint stock companies.

There is no proposal to give preferential treatment to any State.

रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा जमा की गयी राशि से अधिक निकाली गयी राशि का भुगतान

2262. श्री शंकरराव सामान्त : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में कौन-कौन से राज्य रिजर्व बैंक से जमा की गयी राशि से अधिक निकाली गयी राशि का भुगतान करने को सहमत हो गये हैं; और (ख) कौन-कौन से राज्यों ने भुगतान के लिये और अधिक समय मांगा है तथा उन्होंने कितना समय मांगा है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : यदि जमा राशि से अधिक निकाली गयी समस्त राशि का भुगतान एक ही वर्ष में करना पड़े तो इससे जिस कठिनाई के उत्पन्न होने की संभावना है उसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने योजना आयोग की सहमति से राज्यों के साथ एक व्यवस्था की है जिस के अन्तर्गत जमा राशि से अधिक निकाली गयी राशि में क्रमिक रूप से कमी की जाएगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश असम, बिहार, केरल, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु और पूर्वी बंगाल ने, 1971-72 के अन्त तक जमा राशि से अधिक निकाली गयी अनुमानित राशि के 15 प्रतिशत भाग की वापसी 1972-73 के दौरान करना स्वीकार कर लिया है । जबकि महाराष्ट्र ने काफी अनुपात में वापसी अदायगी करना स्वीकार कर लिया है । शेष राशि की वापसी अदायगी के ब्योरे अभी अन्तिम रुप से तैयार नहीं किये गये हैं ।

DEVELOPMENT OF BUNDELKHAND FOR ATTRACTING TOURISTS

2263. Dr. Govind Das Richhariya : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the action being taken by Government to develop places of cultural, historical and religious importance of Bundelkhand (particularly around Jhansi) with a view to attracting tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Work on the expansion of the Travellers' Lodge at Khajuraho at an estimated cost of Rs. 32 lakhs has been taken up in the Central sector. In addition, Rs. 1 lakh has been released to the State Government for providing camping sites and repairing the "Phoota" Talao. The Madhya Pradesh Government has provided Rs. 18·25 lakhs in the State Fourth Plan for the development of tourist facilities at Khajuraho, and the Government of Uttar Pradesh proposes to construct tourist bungalows at Mahoba and Chitrakoot each at an estimated cost of Rs. 3 lakhs.

त्रिपुरा में तेल के समन्वेषण में प्रगति

2264. श्री वीरेन दत्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल के समन्वेषण के लिए 'रिग्स' का निर्माण कार्य निश्चित समय के अनुसार चल रहा है; और

(ख) वहां तेल के मिलने की क्या संभावनाएं हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) जी नहीं। प्रारम्भ में गत वर्ष अमरीका में लांगशोर-मैन्स की हड़ताल के कारण विलम्ब हुआ; जिसके परिणामस्वरूप आयात किये जा रहे उपकरणों के परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात् तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस मास में व्यधन को आरम्भ करने के लिए आशावादी था। किन्तु, हाल ही में, रेलवे वैगन को, जिसमें आयातित उपकरण त्रिपुरा को भेजे जा रहे थे, आग लग जाने के कारण इनको क्षति पहुंची। जब तक क्षति की मात्रा जांच कार्य के अधीन है, तब तक कुंए की और खुदाई में विलम्ब होगा।

(ख) इस क्षेत्र में अनुकूल संरचनाओं को विद्यमानता का पता लगा है किन्तु कुंओं के वास्तविक व्यधन एव परीक्षण के पश्चात् ही तेल मिलने की संभावनाएं जानी जा सकती हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका में भारतीय छात्रों को तंग किये जाने का समाचार

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : श्रीमान् मैं विदेश मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"अमरीका में भारतीय छात्रों को तंग किये जाने का समाचार"

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : लाभदायक नियोजन से सम्बद्ध अमरीका आप्रवासन नियमों के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय तथा अन्य विदेशी विद्यार्थियों को डेट्रोइट में तंग किए जाने और उन्हें डराये धमकाये जाने के बारे में हमें वाशिंगटन तथा न्यूयार्क स्थित अपने मिशनों से समाचार मिलें हैं। इस विषय में हमने अखबारों में भी रिपोर्टें देखी हैं। एक प्रारम्भिक रिपोर्ट में हमारे राजदूतावास ने हमें सूचित किया है कि इस मामले को विदेश विभाग तथा आप्रवासन प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। हमारे राजदूतावास ने कहा है कि हम अमरीकी सरकार के इस अधिकार का तो सम्मान करते हैं कि वह अपने विनियमों को लागू कर सकता है लेकिन हम यह भी महसूस करते हैं कि यह काम मानवीय ढंग से और डेट्रोइट में तंग किए जाने की कथित घटनाओं के बिना भी किया जा सकता है।

अमरीकी सरकार ने इस बात को अस्वीकार किया है कि किसी को डराया-धमकाया या तंग किया गया है। उन्होंने राजदूतावास को आश्वासन दिया है कि (1) वीज़ा विनियमों को लागू करने के सुनिश्चय की कार्रवाई सिर्फ भारतीयों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समान परिस्थितियों में सभी विदेशी राष्ट्रिकों पर लागू होती है, (2) प्रत्येक मामले में उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा रहा है और (3) वास्तविक छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

न्यूयार्क स्थित अपने प्रधान कोंसलावास से एक भारतीय कोंसल को तत्काल ही डेट्रोइट भेजा गया था कि वह वहां स्थानीय आप्रवासन प्राधिकारियों से और भारतीय छात्रों से मिले। आप्रवासन

प्राधिकारियों से मिलने के बाद उसने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजी है। वीज़ा विनियमों के उल्लंघनों के मामलों की जांच करने वाले आप्रवासन प्राधिकारियों को डेट्रोइट इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी से 113 विदेशी छात्रों की अनियमित उपस्थिति और असन्तोषजनक प्रगति के विषय में सूचना मिली थी जिनमें से 83 भारतीय थे। इस सूचना के आधार पर उन्होंने कई भारतीय तथा अन्य विदेशी छात्रों को भी इस उद्देश्य से बुलाया था कि उनसे उन शर्तों को पूरी करवाने का सुनिश्चय किया जाए जिनके आधार पर विद्यार्थी वीज़ा जारी किए गए थे। अखबारों में जिन दो विद्यार्थियों के नाम लिए गए हैं उनमें से श्री चन्द्रकान्त देसाई तो खुद ही उस देश को छोड़ कर चले गये थे और श्री जदुराय दुवे को सिर्फ इसलिए रोक लिया गया था कि वह बांड नहीं दे पाया था। हमारे कोंसल का यह अनुमान है कि आप्रवासन अधिकारी सहायता तो करना चाहते हैं लेकिन इस इलाके में बेरोज़गारी ज्यादा होने की वजह से उनपर मज़दूर संघों और दूसरे लोगों का दबाव है। उन्होंने यह भी महसूस किया है कि इसी की वजह से वीज़ा विनियमों का पालन करवाने की दिशा में और अधिक सख्ती बरती जाएगी लेकिन उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया है कि यह काम बिना कोई भेद-भाव बरते और बिना किसी को तंग किए किया जाएगा।। हमारे कोंसल डेट्रोइट में प्रमुख भारतीय नागरिकों से मिल रहे हैं और न्यूयार्क लौटने से पहले वह कुछ सम्बद्ध विद्यार्थियों से भी मिलेंगे। इसलिए हमारे मिशन से और रिपोर्ट आने की आशा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह वक्तव्य निराशाजनक है क्योंकि इस विषय पर सरकार ने हाल ही में हो रही अन्य राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख किये बिना अमरीका में भारतीय छात्रों को तंग किए जाने के विषय को प्रसंग से बाहर से लेने का प्रयास किया है।

यह सर्व विदित है कि अमरीका में रहने वाले भारतीयों ने बंगला देश के प्रति हमारे रुख को लेकर तथा वियतनाम के लोगों के समर्थन में युद्ध-विरोधी प्रदर्शन किये थे। अमरीकी सरकार इसका बदला लेने की कोशिश कर रही है। हमने बंगला देश की सहायता करने का रुख अपनाया तो अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान सरकार का समर्थन करने की घोषणा की तथा उसे हथियार भेजे। अमरीका स्थित हमारे राजदूत के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इस पृष्ठ-भूमि में सारा आक्रमण अब भारतीय छात्रों पर हो रहा है।

"न्यूयार्क टाइम्स" में भारतीय छात्रों के विरुद्ध आतंक तथा बंगला देश को मान्यता देने सम्बन्धी अमरीकी सरकार के निर्णय के समाचार प्रकाशित हुए थे। हम अमरीका सरकार के नैराश्यभाव तथा चिंता को समझ सकते हैं।

क्या भारत सरकार इन सब गतिविधियों की पृष्ठभूमि में इस प्रश्न को समझने का प्रयास कर रही है ? कल राज्य-सभा में मन्त्री महोदय अमरीका में भारतीय दूतावास के कार्यकरण के बारे में कह रहे थे। 4 अप्रैल के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार अमरीका में छात्रों के विरुद्ध यह कार्य गत मास की 17 तारीख को आरम्भ हुआ तथा 3 तारीख को "न्यूयार्क टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ। श्री झा ने 4 तारीख को अपने कौंसल को डेट्रोइट भेजा। इस बात को पढ़ते हुए शर्म आती है कि 'हमारे कौंसल का यह प्रभाव रहा है कि आप्रवासन अधिकारी सहायता करना चाहते हैं।' पता नहीं वे किस प्रकार की सहायता करेंगे। अमरीका स्थित भारतीय दूतावास का यह रवैया है। यह मामला डेट्रोइट में रहने वाले 300 छात्रों को ही प्रभावित नहीं करता है अपितु अमरीका में रहने वाले बीस से तीस हजार छात्रों को प्रभावित करता है। ऐसे स्थान पर इस मामले की जांच करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी को भेजने में मुझे विश्वास नहीं है।

क्या भारत सरकार विदेश मन्त्रालय के उच्च अधिकारी को इस मामले की जांच करने के लिए भेजेगी तथा क्या विदेश मन्त्रालय सरकारी तौर पर कड़ा विरोध पत्र भेजेगा ?

अमरीका बहुत भोला बनने की कोशिश कर रहा है । वे कह रहे हैं कि हम अपने आप्रवासन नियमों को लागू कर रहे हैं । 4 अप्रैल के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार छपा है कि यह कार्य स्पष्ट रूप से भारतीय छात्रों तक ही सीमित है, यद्यपि 'विदेशी' शब्द का बार-बार प्रयोग किया गया है । क्या भारतीय राजदूत को अमरीका की इस चाल का पता है ? क्या सरकार कोई बदले की कार्यवाही करेगी ? मैं नहीं चाहता कि अमरीकी छात्रों के साथ अमरीकी प्रशासन के समान व्यवहार किया जाये ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सारी घटना 3 अप्रैल को हुई थी परन्तु माननीय सदस्य ने 17 मार्च का भी उल्लेख किया है । इस घटना का किसी भी स्थानीय समाचार पत्र मे उल्लेख नहीं था, न ही स्थानीय नागरिकों अथवा पीड़ित व्यक्तियों ने दूतावास को लिखा । हमारे दूतावास से सैकड़ों मील दूर स्थान पर किसी घटना का पता लगाना तब तक कठिन है जब तक कि कोई लिखित अथवा टेलीफोन पर सूचना न दे । दूतावास को 3 प्रैलल को घटना का पता चला । वाशिंगटन में हमारे राजदूत ने 5 अप्रैल को इस मामले पर 'स्टेट डिपार्टमेन्ट' के साथ बातचीत की तथा स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्हें बताया कि समाचार-पत्रों के समाचारों से उन्हें दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे तथा उन्होंने सद्भावना प्रकट की ।

हमारे पास कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों तथा इस घटना के बीच कोइ कड़ी हो । इस बारे में जांच के बाद पूरा प्रतिवेदन मिलने पर ही कुछ कहा जा सकता है । यह घटना डेट्रोइट में हुई है तथा अमरीका में अन्य स्थानों पर भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र रह रहे हैं, अन्य स्थानों पर ऐसी घटना नहीं हुई है । हम वहां छात्रों का पूरा संरक्षण देने के लिए सब कुछ करेंगे । स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिया है कि वास्तविक छात्रों को अध्ययन करने दिया जायेगा तथा जिन छात्रों ने अपना अध्ययन छोड़कर रोजगार प्राप्त कर लिया है, तथा कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं उनके विरुद्ध वे कार्यवाही कर रहे हैं ।

स्टेट डिपार्टमेंट तथा आप्रवासन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे न केवल भारतीय छात्रों के विरुद्ध ही ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं, अपितु अन्य सभी विदेशी छात्रों के विरुद्ध कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि अमरीकी सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि किसी को डराया-धमकाया अथवा तंग किया गया है । अमरीकी सरकार से अधिक मैं अमरीका के समाचार-पत्रों पर अधिक विश्वास करता हूं जिनमें कि चश्मदीद गवाह का उल्लेख किया गया है कि चन्द्रकान्त देसाई तथा जादुराय दवे को प्रतिभू के रूप में दो हजार डालर न दे सकने के कारण डेट्रोइट की एक कन्ट्री जेल में तीन दिन तक रखा गया । किसी भी प्रजातांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है ।

अमरीका में आप्रवासन तथा विजा नियमों को लागू करने के नाम से हमारे छात्रों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में हमारे दूतावास ने पहले से ही इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ समय पर क्यों नहीं उठाया तथा इस अभद्र घटना को होने से रोका जिसमें हमारे कुछ छात्रों को निर्वासित कर दिया गया है तथा कुछ को किया जाना है ?

मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह स्थानीय प्रश्न है जो डेट्रोइट तक सीमित है । परन्तु ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए । क्या हमारी सरकार इसका बदला लेने के लिए भारत स्थित अमरीकी छात्रों के विरुद्ध भी ऐसी ही कार्यवाही करेगी ?

क्या सरकार भारतीय छात्रों को तंग करने से निक्सन प्रशासन को रोकने के लिए सभी सम्भव कड़े कदम उठायेगी ? इतना कह कर ही बचाव नहीं कर लेना चाहिये कि यह स्थानीय घटना है। यह समूची भारतीय संस्कृति पर कलंक है और हमें विश्व में कहीं भी ऐसी घटना नहीं होने देनी चाहिए।

क्या यह सच नहीं है कि पहले अमरीका में भारतीय छात्रों को "वर्क परमिट्स" दिए जाते थे, उस प्रथा को अब बन्द कर दिया गया है ? यथा अमरीका में हमारे मध्यम वर्ग के छात्र अध्ययन तथा अर्जन एक साथ करके कोई अपराध कर रहे हैं। इन छात्रों के अध्ययन सम्बन्धी हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : में माननीय सदस्य की एक बात से सहमत हूं कि यह सुनिश्चित करना हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे छात्र चाहे अमरीका में हों अथवा विश्व में कहीं अन्यत्र, उनका अपमान न होने पाये तथा उन्हें उचित संरक्षण मिले तथा बिना किसी के अनुचित हस्तक्षेप के उन्हें अपना अध्ययन करने दिया जाये। इस विशेष घटना के सम्बन्ध में हमने भी प्रेस समाचार देखे हैं जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यदि ये सब बातें हुई हैं तो यह बहुत शर्मनाक है और हम अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट तथा आप्रवासन अधिकारियों के साथ इस मामले को दृढ़ता से उठायेंगे। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि ये बातें वास्तव में हुई अथवा नहीं हुईं।

हमारे अधिकारियों ने वहां जाकर छात्रों और स्थानीय भारतीयों से भेंट की है। जब हमें पूरी जानकारी मिल जायेगी तब हम हर आवश्यक कदम उठाएंगे।

यह कहा गया कि हमें समय रहते कार्रवाही करनी चाहिए थी। परन्तु जानकारी के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते थे। छात्रों ने हमारे दूतावास को कोई सूचना नहीं दी थी। हम स्थानीय समाचार पत्रों में यह समाचार देखकर अचम्भित रह गये।

पहले वहां छात्रों के सम्बन्ध में वीसा, पार पत्र आदि के बारे में अधिक सख्ती नहीं बरती जाती थी पर अब कुछ स्थानीय दबाव के कारण उन्होंने तत्सम्बन्धी विनियमों को कठोरता से लागू करना तथा छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, यह अवैध नहीं है। पर हमने उनसे कहा है कि सभी विदेशी छात्रों के साथ एक सा ही व्यवहार किया जाना चाहिए तथा भारतीय छात्रों के प्रति अलग व्यवहार न किया जाये।

उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो छात्र निष्ठापूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं की जायेगी और वे उनकी पढ़ाई समाप्त करने के लिए हर सम्भव सहायता देंगे। पर जिन छात्रों ने पढ़ाई समाप्त कर ली है और किसी लाभ-प्रद पद पर लग गये हैं उन्हें देश छोड़ने को बाध्य होना पड़ेगा अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जायेगी।

हम इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से बात करेंगे और उन्हें पूरी सहायता और सुरक्षा प्रदान करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जबकि भारत में वाल्कोट और डोनाल्ड्स जैसे अमरीकी नागरिक तथा छात्र यहाँ खुले घूम रहे हैं, अमरीका में हमारे छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है।

इस सबको स्थानीय मामला बता कर उसकी आड़ ली जा रही है। क्या यह विधान जिसके अन्तर्गत हमारे छात्रों को तंग किया जा रहा है संघीय विधान नहीं है ? यह स्थानीय विधि नहीं है। यदि नहीं, तो कृपया सही बात क्या है, यह बताया जाये।

हमारे बच्चे अमरीकी फासिस्ट सरकार के शिकार हो रहे हैं। वे बंगला देश और वियतनाम की घटनाओं से चिढ़ गये हैं और हमें ब्लैक मेल कर रहे हैं। अपने इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत वे हमारे छात्रों को हतोत्साह कर रहे हैं, जब कि पहले वे उन्हें उदारतापूर्वक पार्ट टाइम काम करने की अनुमति दे देते थे। हम यहां इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका यह व्यवहार केवल भारतीय छात्रों के साथ ही नहीं होना चाहिए। इस व्यवहार से पार्ट टाइम काम देने वाले उन्हें काम देना छोड़ देंगे और छात्र दिक्कत में पड़ जायेंगे। इस सबका क्या कारण है? यह उस समय ही क्यों किया गया जब कि बैंक सप्ताह के अन्तिम दिन बन्द होने वाले थे?

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले के मार्च के मध्य में होने पर, इतनी देर में कार्रवाई क्यों की गई जब कि हमारे छात्र जेलों में सड़ रहे थे। हमारा दूतावास इतने समय तक सोता रहा।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या दूतावास में कोई ऐसा विभाग है जो छात्रों के हितों का ध्यान रखता है? यदि है, तो वह क्या करता रहा? वह पूर्णतया अपने कर्त्तव्य में असफल रहा है।

छात्रों की जमानत कराने के लिए दूतावास द्वारा कोई आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई? सरकार भारतीय छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा रही है। आशा है कि अगले तीन दिनों में माननीय मंत्री हमें इस सम्बन्ध में पूरा-पूरा विवरण देंगे।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले ये बता चुका हूँ कि हमारे दूतावास को इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी। मैं मानता हूँ कि बाद में भी उसने सुस्ती से काम किया। हम पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके अभाव में मैं सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। यदि यह संघीय विधान है तो, वह संघीय एजेन्सी द्वारा लागू किया जायेगा।

माननीय सदस्य ने प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया है, अर्थात हम भी अमरीकी छात्रों को यहाँ से बाहर निकाल दें। पर माननीय सदस्य को जानना चाहिए कि हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है और हम इस प्रकार की कोई कार्रवाही नहीं कर सकते।

अपने छात्रों की सुरक्षा का हम पूरा प्रबन्ध करेंगे। पूरी रिपोर्ट मिलने पर हम उनके लिए हर सम्भव कार्रवाई करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) मुझे अमरीकी जनता के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। मैं, जो वक्तव्य दिया गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह कहा गया है कि श्री श्रीकान्त देसाई स्वेच्छा से यहाँ वापिस लौटे जबकि अमरीकी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि तीन दिन जेल में रखने के बाद श्री देसाई को भारत वापिस भेज दिया गया। सरकार का बयान वकील के बयान पर आधारित था। अब यह तय करना है कि तथ्य क्या हैं।

क्या सरकार अपने वकील के आचरण के सम्बन्ध में जांच करेगी कि उसने हमारे पक्ष का बचाव करने के बजाय अमरीकी सरकार का बचाव क्यों किया? यह कहा गया है कि इसमें अमरीका की कोई बुरी नियत नहीं है। पर यह कार्रवाई भारत-पाक युद्ध के बाद ही क्यों की गई। ये छात्र वहाँ 2-3 महीने ही से नहीं रह रहे थे।

अमरीका भारत के खिलाफ भारत में तथा अपने देश में भी गलत बातें फैला रहा है। इस तथ्य को सामने रखते हुए क्या सरकार इ० एस० आई० एस० जैसी एजेन्सियों की कार्य प्रणाली और प्रचार पर नियंत्रण लागू करेगी ?

मैं अमरीकी पर्यटकों अथवा छात्रों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने को नहीं कहता पर इन झूठा प्रचार करने वाले अमरीकी गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : वकील के विरुद्ध जांच किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसने अब तक की जांचके आधार पर केवल अपना मत व्यक्त किया है। वह अपना पूरा मत बाद में व्यक्त करेगा। वह गलत हो सकता है पर उसने वही कहा, जो अमरीकी अधिकारियों ने उसे बताया था। हमें अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

जहां तक अमरीकी नागरिकों की जांच का सवाल है, सम्बन्धित अधिकारी वीजा सम्बन्धी नियमों, विनियमों का कठोरता से पालन कर रहे हैं।

जहाँ तक श्री देसाई और एक अन्य छात्र को जेल भेजने का प्रश्न है, हमारा वकील उसकी जांच कर रहा है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

नौसैनिक और वायुयान प्राइज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) मैं नौसैनिक और वायुयान प्राइज अधिनियम, 1971 की धारा 17 की उप धारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 4-ङ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुई थी समापटल पर रखा हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1669/70**]

विनियोग लेखे सिविल 1970–71 विनियोग लेखे रक्षा सेवाएं. 1970-71 के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और सीमा शुल्क अधिनियम तथा बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अंतर्गत अधिसूचनाए

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं ;

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्निलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे (सिविल) के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे (रक्षा सेवाएं) के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे, सिविल, की एक प्रति।

(3) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1970–71 के विनियोग लेखे की एक प्रति । तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यिक परिशिष्ट । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1670/72]**

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 104 (ङ) जो भारत के राज्यपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 187 (ङ) से 192 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 383, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1671/72]**

(5) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, में यथा प्रवृत बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन), नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राज़पत्र, दिनांक 23 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ 4/(98)66/फिन० (जी) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1672/72]**

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियक 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 105 (ङ), से 186 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 205 (ङ) से 207 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 212 (ङ), जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 305, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 329, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में प्रकाशिय हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1673/72]**

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रारूप आदेश

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रारुप आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे :—

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की ईक्वीटी शेयर पूंजी को कतिपय ऋणों में बदलने के बारे में दिनांक 30 मार्च 1972 का प्रारुप आदेश संख्या 33/5/72-सी एल० 3.

(2) मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ईक्वीटी शेयर पूंजी को कतिपय ऋणों के बारे में बदलने में दिनांक 30 मार्च 1972 का प्रदरुप आदेश संख्या 33/8/72–सी एल० 3.

(3) मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की ईक्वीटी शेयर पूंजी को कतिपय ऋणों के बदलने के बारे में दिनांक 30 मार्च, 1972 का प्रारूप आदेश संख्या 33/14/72–सी एल० 3. **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1674/72]**

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ;

(1) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, का 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1675/72]

लागत लेखा रिकार्ड्स (अलमोनियम) नियन कम्पनी कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा रिकार्ड (अलमोनियम) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 334 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1676/72]

केरोसीन (अधिकतम कीमत निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केरोसीन (अधिकतम कीमत निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 214 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1677/72]

राष्ट्रपति का सन्देश
MESSAGE FROM PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मैं राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 5 अप्रैल 1972 के निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देता हूँ ;

"मैंने 13 मार्च 1972 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था, उसके प्रति लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ।"

———

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देता हूं ;

"कि राज्य सभा ने 4 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में छावनी (भाटक नियंत्रण विधियों का विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1972 पास किया है।"

———

छावनी (भाटक नियंत्रण विधियों का विस्तारण विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
CANTONMENTS (EXTENSION OF RENT CONTROL LAWS) AMENDMENT BILL

सचिव : मैं छावनी (भाटक नियंत्रण विधियों का विस्तारण) विधेयक, 1972 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

———

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1972

(2) सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियों (संशोधन) विधेयक, 1972

———

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तेईसवां और सत्ताईसवां प्रतिवेदन

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा) : मैं लोक-लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिबेदन प्रस्तुत करता हूं:

(1) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (सहकारिता विभाग) के सम्बन्ध में समिति के 106 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 23 वां प्रतिवेदन ।

(2) शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के संबंध में समिति के 114वें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 27 वां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 10 अप्रैल, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :

(1) आज की कार्य-सूची से बचे किसी भी सरकारी कार्य की मद पर विचार।

(2) संघ लोक सेवा आयोग के 20 वें तथा 21 वें वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा ।

(3) निम्नलिखित मंत्रालयों के नियंत्राधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(क) सिंचाई और विद्युत

(ख) शिक्षा और समाज कल्याण

(ग) संस्कृति

(घ) विज्ञान और औद्योगिकी

(ङ) संचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Because next week will be important because of the relations between India and Pakistan, I would like that the government may give a statement about the details of talks to be held between the two countries and take the guidance from the house.

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री बता चुकी है कि सरकार पाकिस्तान से सीधा सम्बन्ध स्थापित किए हुए है, पर हर चिट्ठी जब तक कि कोई बात न बने सभा के सामने नहीं रखी जा सकती ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to say that the Demands for Grants for Foreign Affairs may be taken up next week so that both the things can be discussed.

श्री राजबहादुर : प्रधान मंत्री ने सभा को अपने विश्वास में ले लिया है क्योंकि वह यह बता चुकी हैं कि हम पाकिस्तान से सीधा सम्पर्क बनाए हुए हैं । यहां घोषणा करने से पहले उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया अतः इसमें शिकायत की कोई गुंजायश नहीं है ।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय केडेट कोर सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श समिति

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"कि राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश द, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, 23 जून, 1972 से आरम्भ होने वाले एक वर्ष के कार्यकाल के लिये राष्ट्रीय केडेट कोर सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श समिति के सदस्यों के रूप के कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश द उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, 23 जून 1972 से आरम्भ होने वाले एक वर्ष के कार्यकाल के लिये राष्ट्रीय केडेट कोर सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्श समिति के सदस्यों के रूप के कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

नियम ३७७ के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 66 वें प्रतिवेदन के बारे में टकरू आयोग के समक्ष सरकारी वकील का कथित वक्तव्य

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सदन में एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी है। मैंने यह मामला नियम 222 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति मांगी थी परन्तु आपने इसे नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति दी है। फिर भी मैं समझता हूं कि क्योंकि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। अत: सदन इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने के प्रश्न पर भी विचार करेगा।

इस मामले का सम्बन्ध 2 अप्रैल को "पैट्रियट" तथा कलकत्ता से प्रकाशित "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में टकरू आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाही से है जिसका सम्बन्ध भारतीय तेल कम्पनी तथा उसके दो विदेशी ठेकेदारों से है। इस समाचार में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील श्री जे० बी० दादा चंद जी तथा राम पंचवानी ने निर्देश पदों में कुछ रूप भेद करने की दूसरे पक्ष की प्रार्थना का विरोध करते हुये कहा कि निर्देष–पदों में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा अपने 66 वें प्रतिवेदन में उठाई गई सब बातों को शामिल कर लिया गया है। उन्होंने

यह तर्क प्रस्तुत किया कि आयोग को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में व्यक्त की गई भावनाओं और टिप्पिणियों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये। उदाहरणार्थ, उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने आरोप लगाया था कि दोषों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय, सरकार अपनी कर्त्तव्य विमुखता को छिपाने के लिए लगातार प्रयास करती रही है और वह निरन्तर यह कहती रही है कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होनी चाहिये, इस भावात्मक टिप्पणी की पराकाष्ठा यह है कि उसमें कोई भी कार्यवाही करने की सिफारिश नहीं की गई है।

जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, यह समाचार 2 अप्रैल को प्रकाशित हुआ। इसके अगले दी दिन अर्थात् 3 अप्रैल को हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय के दोनों वकील आयोग के समक्ष हाजिर थे परन्तु फिर भी किसी ने भी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का विरोध नहीं किया। इसका किसी प्रकार से खण्डन भी नहीं किया गया यद्यपि लम्बी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त पक्ष ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया था जबकि समाचार पत्रों में प्रकाशित मामूली गलती का भी खण्डन न किया हो। इस दिन इस समाचार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया।

मैंने आपको पत्र लिखकर यह स्पष्ट कर दिया था कि वकील द्वारा की गई टिप्पणी संसद की समिति का खुला अपमान है और वह संसद की गरिमा और प्रतिष्ठा के पूर्णतया विरुद्ध है। इस का स्पष्ट अर्थ यही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा अपने 66 वें प्रतिवेदन में लगाये गये आरोपों की इतनी उपेक्षा करता है कि वह जांच आयोग के समक्ष यह कहने से भी संकोच नहीं करता कि सरकारी उपक्रमों समबन्धी समिति द्वारा लगाये गये आरोपों की अवहेलना की जाये। यह तो अलग बात है, अपितु उसमें यह कहकर और भी उपहास किया गया है कि वह केवल भावना पर आधारित है।

श्रीमानजी, 66 वां प्रतिवेदन ही टकरू आयोग की कार्यवाही का आधार है और समिति ने यह स्पष्ट कहा है कि सम्बद्ध अधिकारी अपने दायित्व का पालन करने में असफल रहे हैं। इन परिस्थितियों में क्या पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील द्वारा दिये गये तर्क को स्वीकार किया जा सकता है ? यह स्पष्ट है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील द्वारा जो तर्क दिया गया है उससे संसद और उससे सम्बद्ध समिति दोनों की गरिमा को आघात पहुँचा है। उन लोगों ने अपनी सीमा तथा अधिकारों से बढ़कर बात की है और यह निश्चित रूप से समिति और संसद के विशेषाधिकारों का हनन है। अतः मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप यह मामला और अधिक विचार के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : श्रीमान जी, मैं स्थिति को कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। वास्तविकता यह है कि यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सही होते, तो माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा, उसमें कुछ तथ्य जरूर होता। जब यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया तो मैंने दोनों ही वकीलों से तथ्यों का पता लगाने के लिए बातचीत की। दोनों ही वकीलों ने यही कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार गलत हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना था कि समाचार पत्रों में जो कुछ छापा है, उसे उन्होंने कभी उस ढंग से नहीं कहा था, उनका कहना था कि उन्होंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जोकि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सम्मान के विरुद्ध हो।

यह सम्पूर्ण समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब कि आयोग नेशनल कमेटी तथा श्री अरुण चौधरी द्वारा दिये गये आवेदन पत्र की सुनवाई कर रहा था, उस समय विवादास्पद मामला यह था

कि निदेश पद पर्याप्त हैं या नहीं । पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील की राय थी कि निदेश-पद पर्याप्त हैं तथा इसमें उन सभी बातों को शामिल कर लिया गया है जिनकी सिफारिश उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा अपने 66वें प्रतिवेदन में की गई है माननीय सदस्य द्वारा जिस पैराग्राफ का उल्लेख किया गया वह पूर्णतया संगत है । आयोग के समक्ष जो तर्क दिया गया है वह तो केवल समिति द्वारा बनाये गये प्रभाव का प्रलेखमात्र है । यह कोई ठोस निष्कर्ष या सिफारिश नहीं है । इस पैराग्राफ में समिति ने भावना का केवल प्रलेखण किया है, जिसका अभिप्राय सिफारिश या निष्कर्ष नहीं है । यह तो वह भावना है जिसे समिति ने अपने समक्ष साक्ष्य के आधार पर बनाया । आयोग के समक्ष केवल यही बातें दोनों वकीलों द्वारा कही गई । समाचार पत्रों में जो कुछ छपा वह केवल इसी समाचार की व्याख्या मात्र थी । यह निर्णय करना न्यायालय का कार्य है कि यह सिफारिश थी या नहीं । अतः मुझे यही कहना है कि इस प्रकार की शिकायत करने के किए कोई उचित आधार सदस्य महोदय के पास नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अन्य असंगतियों का लल्लेख करने के साथ विवाद के मुख्य विषय के बारे में यह स्वीकार करने से भी इन्कार कर दिया है कि वकीलों द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया था । में समझता हूं कि इसकी जांच करने का एक ढंग यह भी है कि आयोग के अध्यक्ष से ही यह बात पूछी जाये ।

श्रीमान जी दूसरी बात यह है कि समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुआ है, उसका स्त्रोत यू० एन० आई० बताया गया है । इस सन्दर्भ में जब आयोग के अध्यक्ष ने यू० एन० आई० के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र देव का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया, तो उन्होंने आयोग को यह बताया कि जब पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील श्री जे० बी० दादा चन्द जी ने, प्रथम अप्रैल को अपने तर्क प्रस्तुत करते समय "पराकाष्ठा" शब्द का प्रयोग किया तो ऐसा लगता था कि अध्यक्ष महोदय इस बात से सन्तुष्ट थे कि न तो कुछ गलत ही कहा गया है और न ही सन्दर्भ से बाहर । इस संबंध में हुये पत्र-व्यवहार की तो यह स्थिति है इस सन्दर्भ में आयोग के अध्यक्ष की साक्षी महत्त्वपूर्ण है, यदि उनके पास अपना कोई स्वतन्त्र रिकार्ड हो ।

मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजोत गुप्त ने अत्यन्त स्पष्ट ढंग से पूरी स्थिति वर्णित कर दी है । मेरी यह धारणा है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये । श्री गुप्त के विचार प्रकट करने से कुछ देर पहले मैंने भी इस बात की जांच की है । यदि मंत्री महोदय द्वारा इसका प्रतिवाद न किया जाता, तो मैं इस मामले को सीधे ही नियम 222 के अन्तर्गत स्वीकार कर लेता । मैं इसे स्वीकार करने जा रहा हूँ । किन्तु हमारे यहां परम्परा है, जिसे हम अभी तक ईमानदारी से पालन करते चले आ रहे हैं कि जब कभी भी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का खण्डन किया जाता है और उस रिपोर्ट की सच्चाई के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा होता है, तो उस मामले को सम्बन्धित समाचार-पत्र के पास उनके विचार जानने के लिये भेज देते हैं । हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक कि समाचार पत्रों से विचार प्राप्त नहीं हो जाते हैं । क्योंकि हमें इस औपचारिकता को तो पूरा करना ही है । तत्पश्चात्, मैं इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करूंगा ।

यह रिपोर्ट इस तरह प्रकाशित हुई है कि उन सभी सदस्यों ने, जो समिति के सदस्य हैं भावुकता में आकर ये कथन कहे हैं । अध्यक्ष बनने से पूर्व मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

का अध्यक्ष रहा हूँ। समिति के निर्णय हमने कभी भी भावुकता में आकर नहीं किये हैं। इस समिति में कोई भी भावुक सदस्य नहीं थे। इस समिति में हमें महालेखा परीक्षक और अन्य लेखा परीक्षकों से परामर्श मिलता था और सामान्य रूप से विभागों के अध्यक्ष और हमारे अपने अधिकारी भी इसमें भाग लेते हैं और काफी विचार विमर्श के पश्चात्, हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और उन निष्कर्षों को बहुत ही विनम्र भाषा में व्यक्त किया जाता था। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इन्हें भावनाओं से प्रेरित होकर माना जाये। इन सभी समितियों में पूरे सदन का प्रतिनिधित्व होता है और उनके स्वय सदन के समान विशेषाधिकार होते हैं तथा सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि मंत्री महोदय अथवा इस सभा से सम्बन्धित कोई दूसरा व्यक्ति नौकरशाहों के समान विभाग की रक्षा करना और उस तरह व्याख्याओं को स्वीकार करना आरम्भ कर दें, तो यह अत्यन्त बुरी बात है। हमें उम्मीद है कि आप और अन्य मंत्री भी हमारा और इस सभा का ही समर्थन करेंगे। जब समाचार पत्रों से विचार प्राप्त होंगे, तो मैं उन्हें सभा के समक्ष रखूंगा और सदस्यों के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The question is whether this has been said or not ? This can be verified by looking into the record of the Commission. I don't understand that newspapers could explain this to you.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सीधे ही यू० एन० आई० से प्राप्त करना चाहता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आयोग से भी प्राप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं और कुछ कहने की अनुमति नहीं देता हूँ।

महा प्रशासक (संशोधन) विधेयक,
THE ADMINISTRATORS GENERAI (AMENDMENT) BILL,

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि महा प्रशासक अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

वर्तमान कानून के अन्तर्गत तीन विकल्प हैं जिनके द्वारा मृत व्यक्ति के उत्तराधिकार के द्वारा ऋण का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार स्थापित किया जा सकता है। इन तीनों में से एक है महाप्रशासक अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करना जो सबसे अधिक सरल, शीघ्र और सबसे कम खर्च का काम है। यहां प्रशासक अधिनियम, 1963 की धारा 29 के अन्तर्गत, मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई परिसम्पतियों के लिए अधिकार का दावा करने के प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्र केवल उन मामलों में प्राप्त किया जा सकता है, जहां कि सरकारी बचत बैंक में अथवा किसी भी भविष्य निधि में, जिन पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, जमा किसी धन राशी को छोड़कर, इन परिसम्पतियों का मूल्य ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तिथि के समय 5000 रुपये से अधिक नहीं है।

चण्डीगढ़ की विधवा परिषद ने सामान्य रूप से सभी विधवाओं और विशेष रूप से युद्ध विधवाओं की ओर से अभ्यावेदन किया है कि 5000 रुपये की उपरिलिखित आर्थिक सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। विधवा परिषद द्वारा बतायी गयी कठिनाईयों को उचित समझा गया है

और इन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के प्रति राष्ट्र का कर्तव्य है। अतः यह समझा गया है कि यदि महा प्रशासक अधिनियम, 1963 की धारा 29 के उपबन्धों से प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तो यह उचित ही है कि इस 5000 रुपये की आर्थिक सीमा को बढ़ा कर 15,000 रुपये कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार इस अधिनियक की धारा 29 तथा अन्य सम्बन्धित उपबन्ध का 25 फरवरी, 1971 को महाप्रशासक (संशोधन) अध्यादेश, 1972 उद्घोषित करके संशोधन कर दिया गया। वर्तमान विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने का प्रयास कर रहा है। सभा के विचार के लिये मैं इस विधेयक को पेश करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि महाप्रशासक अधिनियम, 1963 को और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) वर्तमान स्थिति के संदर्भ में हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। उत्तराधिकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में 5000 रुपये की राशि अपर्याप्त सिद्ध हुई है। अतः 5000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 15000 रपये करने का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम सुझाव देगें कि इस जटिल प्रक्रिया को भी अवश्य ही सरल बना दिया जाए।

दो अन्य पहलू भी हैं जिनकी ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। स्टाम्प शुल्कों और न्यायालय शुल्कों के प्रश्न की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। निश्चय ही स्टाम्प शुल्क और न्यायालय शुल्क निर्धारित करना राज्य सरकार का काम है किन्तु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को युद्ध विधवाओं के सम्बन्ध में शुल्कों को कम करने के लिये कह सकती है। अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जवानों के प्रति हमारा देश आभारी है। अतः सरकार को उनके परिवारों की देखभाल का उत्तरदायित्व पांच अथवा दस वर्षों तक उठाना चाहिये। उनके परिवार के भरण पोषण, उनके बच्चों की शिक्षा आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री बालादन्डायुतम (कोयम्बटूर) : भारतीय कम्युनिस्ट दल की ओर से में इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूँ और इस मामले में सरकार के रवैये की सराहना करता हूँ।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बज कर पैंतस मिनीट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty five minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair

*श्री ई० आर०. कृष्णन् (सलेम) यह बात सर्वमान्य है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के लिये कानून सहायता प्रदान करता है, और इससे हमारे दैनिक जीवन में कोई बाधा नहीं

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated nersion based on Englaish translation of speech dejinered in Tamil.

आनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार पूरी छान-बीन करने के पश्चात् कानून बनाती है जिसमें लोगों की कठिनाइयों के उपचारात्मक उपायों को भी सामने रखा जाता है। सरकार ने अब यह अनुभव किया है कि युद्ध-विधवाओं के प्रति राष्ट्र का कुछ कर्त्तव्य है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में विधवाओं को ये रियायतें दी गई थीं। सरकार के कर्त्तव्य की समाप्ति कानून बनाने से ही समाप्त नहीं हो जाती है, अपितु लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना होता है।

यह बड़े खेद की बात है कि सरकार ने युद्ध विधवाओं की समस्याओं के बारे में विधवा परिषद द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर ही राष्ट्र कर्त्तव्य को जाना है। विधवाओं द्वारा इन वर्षों में सही गई समस्याओं से सरकार अपरिचित रही है। सत्र के प्रारम्भ होने से केवल 18 दिन पूर्व ही अर्थात् 25 फरवरी, 1972 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा के अनुरूप नहीं है और वस्तुतः यह एक तरह से संसद का अपमान करना है।

मेरे अपने राज्य तमिलनाडु में यदि मृतक की विधवा मृतक के नाम की सम्पत्ति प्राप्त करना चाहे, तो उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने के लिये वकील के जरिये न्यायालय में जाना पड़ता है। इससे असाधारण विलम्ब ही नहीं होता है, अपितु उसको अनावश्यक खर्च भी करना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि पूरे देश में विधवाओं की सहायता के लिये एक उचित विधान तैयार किया जाना चाहिये।

यद्यपि राष्ट्रपति का अध्यादेश लोकतंत्रात्मक परम्परा के विरुद्ध है, तो भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से युद्ध विधवाओं को अत्यावश्यक राहत और सहायता मिलेगी।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The war widows whould be treated with specials sympathy because their husbands have sacrificed their lives in the war for the motherland. This bill has been moved here and it has been suggested that the monetary limit may be raised from Rs. 5,000 to Rs. 15,000 which is a good idea. I request that this facility should be made available in the whole country. In Madhya Pradesh this is not being followed.

While filing the petition, for obtaining succession certificate, stamp duties have to be paid. I suggest that the States may be asked to abolish stamp duties in the case of war widows.

It was the responsibility of the Government to see the complete situation in the country and then decide itself before the representation of the war widows is received waging to raise the limit of Rs. 5,000 to Rs. 15,000. Legislating through presidential ordinance is not a healthy democratic convention. The Government has the right to promulgate the ordinance but it should not be misused. I would like to know from the Hon. Minister as to how many people are benefitted by this legislation in the various States. I support the bill.

श्री एच० आर० गोखले : यह सत्य है कि विधवाओं से अभ्यावेदन मिलने पर इस विधेयक को पेश करने का तात्कालिक कारण है। लेकिन यह कहना असंगत है कि अन्यथा सरकार इस पर विचार न करती। इस विधान को सभी राज्यों में लागू किया गया है। यदि किसी राज्य में इस कानून का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो यह दुर्भाग्य का विषय है। इस विधान से केवल विधवाओं को ही लाभ नहीं पहुंचेगा अपितु उन सभी लोगों को भी लाभ पहुंचेगा जो 15,000 रुपये से

कम की परिसंपति के दावेदार हैं। विधवाओं का उल्लेख इस कारण किया गया है कि इसका तात्कालिक लाभ उन विधवाओं को, विशेषकर उन युद्ध विधवाओं को होगा, जिन्हें इन परिसम्पतियों को यथाशीघ्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का जो समर्थन किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ।

यह कहा गया है कि इस विधान को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। हम इस बात का पता लगायेंगे और सभी राज्यों को सूचित करेंगे कि इस अधिनियम को लागू करें जिससे संबंधित लोग इससे लाभ उठा सकें।

यह भी कहा गया है कि स्टाम्प शुल्क, न्यायालय शुल्क आदि से छूट होनी चाहिये। स्टाम्प शुल्क तथा न्यायालय शुल्क राज्य का विषय है लेकिन मुझे आशा है कि राज्य सरकारें इसको ध्यान में रखेंगी तथा जिन मामलों में स्टाम्प शुल्क अथवा न्यायालय शुल्क अधिक है, उसे वर्तमान विधेयक के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने का प्रयास करेंगी। यह सच है कि सरकार 13 तारीख तक जिस दिन संसद का अधिवेशन होना था, प्रतीक्षा कर सकती थी लेकिन विशेष रूप से युद्ध विधवाओं की मांग इतनी प्रबल थी, जिसके कारण अध्यादेश जारी करना पड़ा। यह एक ऐसा कदम है जिस पर सरकार को किसी विवाद की संभावना नहीं दिखाई दी और यह आज के वाद-विवाद से सिद्ध हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महाप्रशासक अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2, 3 और 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।
Clauses 2, 3 and 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

Dr Laxminarain Pandeya : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want a Clasification in this regard. Mr Chaudhri has said :

"कुछ राज्यों में लोग इस अधिनियम के उपबन्धों से परिचित नहीं।"

"यदि कुछ राज्य इसमें असफल हुए हैं तो मुझे इसका खेद है। मैं राज्यों के साथ मामले पर बातचीत करूंगा तथा उन्हें कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगा।"

I would like to know whether he will give certain directions to all the States for taking necessary steps in this regard.

श्री एच० आर० गोखले : इसके क्रियावयन हेतु हम हर संभव यत्न करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण दिल्ली संशोधन) विधेयक
PUBLIC WAKF (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये ।

देश के विभाजन से वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई थी । लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम 1959 की सीमा को 15-8-1967 तक इसलिए बढ़ाया गया था ताकि सम्पत्तियों के 12 या इससे अधिक वर्षों से अन्य व्यक्तियों के कब्ज़े में रहने के कारण कहीं असली मालिक की पट्टेदारी न समाप्त हो जाए । अवधि बढ़ाने से लोक वक्फ की अचल सम्पत्ति का कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए उन मामलों में मुकद्दमा चलाया जा सकता था जहाँ कब्ज़ा 15 अगस्त 1947 (विभाजन की तिथि) और 7 मई 1954, (जिस दिन से निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम 1950 के प्रशासन के अधीन किसी सम्पति को निष्क्रांत सम्पति घोषित करने का अधिकार समाप्त हो गया था) के बीच समाप्त हो गया था । तिथि इसलिए बढ़ा दी गई थी ताकि वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गठित वक्फ बोर्डों और अन्य सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी वक्फ सम्पत्तियों का कब्ज़ा वापिस लेने के लिए मुकद्दमा चला सकें । समय बढ़ाने की पुरजोर मांग राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों ने भी की थी । अधिनियम में संशोधन करके 1967 और 1969 में भी तिथि विस्तारण किया गया था । अन्तिम तिथि विस्तारण की समाप्ति की तिथि 31-12-1970 थी । इस तिथि के समाप्त होने से पूर्व विभिन्न वक्फ बोर्डों तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा लगभग 2000 मुकद्दमें दायर किये गए थे ।

वक्फ बोर्डों को यह सलाह दी गई थी कि यदि वे चाहते हैं कि अवधि और अधिक बढ़ा दी जाए तो वे राज्य सरकारों को तिथि विस्तारण के पक्ष में संगत आंकड़े भेजें ताकि वे अधिनियम 1959 में संशोधन कर सकें । वक्फ बोर्डों के अनुरोध पर केरल और हरियाणा सरकार ने परिसीमा की अवधि दो वर्ष और एक वर्ष, क्रमशः 31-12-1972 और 31-12-1971 तक बढ़ा दी थी ।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली प्रशासन को तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था । बोर्ड का कहना था कि लगभग 200 सम्पतियों के मामले में अभी कानूनी कार्यवाही की जानी है और सर्वेक्षण के पूरा होने पर कई अन्य सम्पतियाँ भी बोर्ड की नजर में आ सकती हैं । इस पर दिल्ली प्रशासन ने केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की । तदनुसार लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) अध्यादेश 1972 भूतलक्षी प्रभाव से पारित किया

गया ताकि वक्फ बोर्ड तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति कानूनी कार्रवाई कर सकें। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के प्रतिस्थापन में यह विधेयक लाया गया है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड की नवीनतम जानकारी के अनुसार 1967-70 के बीच कुल 310 मुकद्दमें दायर किए गए। सर्वेक्षण के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि सर्वेक्षण कार्य, जो कि कार्रवाई के अन्त तक पूरा हो जाना था, सर्वेक्षण आयुक्त की 10 फरवरी 1972 को मृत्यु हो जाने के कारण पूरा नहीं हो सका।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : परिसीमन तिथि दिसम्बर, 1972 तक बढ़ा दी गई है। यद्यपि भारतीय परिसीमन अधिनियम के अधीन पर्याप्त समय दे दिया गया था, फिर भी वक्फ सम्पतियों का कब्जा वापिस लेने के लिए तिथि बढ़ाना आवश्यक था इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सर्वेक्षण कार्य 1954 से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है वक्फ बोर्ड स्वयं इस मामले में उदासीन हैं जिन्हें वक्फ सम्पतियों के सम्बन्ध में कोई रुचि नहीं है। वक्फ बोर्ड के सदस्य राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शामिल किए जाते हैं।

वक्फ सम्पत्तियों का निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की जाती है तो बोर्ड शिकायत की फाईल राज्य सरकार को मेज देता है, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भेज देती है और फिर वही फाईल राज्य सरकार के पास आ जाती है और अन्ततः फाईल गुम हो जाती है। जब भी किसी गबन अथवा धन के दुरूपयोग का पता चलता है, तो कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की जाती।

अतः पूरे वक्फ बोर्ड के प्रबन्धक वर्ग में सुधार किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को नीति में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह आरोप लगाया गया है कि दरिया गंज की रोशनु-छोला मस्जिद के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सरकार के अंशदान के रूप में लगभग एक लाख रुपये की राशि वक्फ बोर्ड को कुछ समय पहले दी गई थी और इसमें से अधिकांश राशि का दुर्विनियोजन किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक वक्फ बोर्ड के दोषों को दूर नहीं किया जाता, तब तक केवल तिथि बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की नीतियों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Maulana Ishaq Sambhli (Amroha) : I want to congratulate the hon. Minister for presenting the Bill in this House.

I want to know whether wakf property is being considered as public property or as personal property. If it is considered as public property, then why these properties are not treated at par with other public properties. There is no limitation of period for getting other Government properties cleared of illegal possession ? What is the justification behind it in prescribing limitation in the case of wakf properties ? The wakf properties are public properties for all purposes. Wakf is a big trust with us. In fact the extension of limitation period time and again is a sign of one weakness. This extension business should be done away with as soon as possible.

I am not talking about Muslim wakf only. All the religious wakf and institutions should get this privilege.

This matter is not covered by the terms of reference of the enquiry commission on Wakf Board set up by the Government. Government should, therefore, not wait for the report of this commission and should go ahead with this work.

There is no fun in extending the limitation period. The Wakf Board nominated by Central Government are not functioning properly. In Delhi alone there are more than 100/- cases of illegal occupation of religious shrines and other wakf property. Such things in the capital of the country are blot on secularism. Wakf Board has miserably failed to get these illegal possesisons vacated. These illegal possessions are done not only by Hindus or Sikhs but by Muslims also. We have to get these properties vacated so that they can be used for the purpose they have been made. The Government should look into it. As a matter of fact the Delhi Wakf Board should be turned into an ideal Board to set an example for other Wakf Boards. It is a matter of regret that there is lot of corruption in Delhi Wakf Board. I want that there should be no extension of limitation.

With these words, I support the Bill.

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : देश में अल्प संख्यकों की सम्पतियों को वापिस लेने के लिए वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन वक्फ बोर्डों का गठन किया गया था। अधिनियम, 1959 में परिसीमन अवधि बढ़ाकर अगस्त, 1967 कर दी गई थी ताकि उन लोगों पर मुकद्मा चलाकर, जिनका वक्फ सम्पतियों पर नाजायज़ कब्ज़ा है, सम्पतियाँ वापिस ली जाएं। सर्वेक्षण कार्य पूरा न होने के कारण तिथि 1969 के अन्त तक फिर 1970 के अंत तक बढ़ा दी गई। 18 वर्ष पूरे होने पर भी सर्वेक्षण कार्य समाप्त नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वेक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भली प्रकार नहीं हो रहा है। इस विधेयक के माध्यम से अवधि दो वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की गई है। न जाने यह सर्वेक्षण कार्य कब समाप्त होगा।

कुछ राज्यों में एक भी वक्फ बोर्ड नहीं है यद्यपि वहाँ केन्द्रीय अधिनियम 1954 लागू किया गया था। हम यह जानना चाहते हैं कि कब ये बोर्ड स्थापित किए जाऐगें। यह अत्यावश्यक है कि हमारे अल्पसंख्यकों की सरकार की गतिविधियों पर विश्वास होना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि दो वर्ष की जो अवधि बढ़ाई गई है, उसके पूरा होने से पहले दिल्ली क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पूरा होना चाहिए।

Shri R. R. Sharma (Banda) : Many a problem confronted us after the partition of country. Acts like administration of Evacuies property, the Wakf Act 1954 were exacted to tackle those problems.

Over is a seculare state. I agree that unlawful occupation of religious places should not be allowed.

Although the Wakf Act has been formed in 1954 the surveys have not been completed as yet. We want to know the seasons for this. The Govt. must have recieved complaints from the members of wakf Board and also from members of the public and religious institutions, what have they done to comlete the survey work. The Hon. Minister says that the survey work will be over by 1972. But I don't think this work will be over even doing next five years. The Government will gone seeking extensions and will thus make the situation unnecessarily complicated. The Government must see that the work is finished within the time limit prescribed and it must instruct the officers to adhere to the time schedlue.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised kind version baced on English translation of speech delivered in Tamil.

श्री एफ० एच० मोहसिन : माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में वक्फ बोर्ड प्रशासन के असंतोषजनक कार्य का उल्लेख किया है। कुछ सीमा तक उनकी बात सही है। सरकार स्वयं प्रशासन से संतुष्ट नहीं है और यह सही है कि राशियों के दुरूपयोग तथा सदस्यों की त्रुटियों के बारे में शिकायतें आयी हैं।

बड़े ही दुख: की बात है कि वक्फ सम्पतियाँ न केवल तीसरे पक्ष के गैर कानूनी कब्ज़े में हैं अपितु कुछ राज्यों में राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के भी ग़ैर कानूनी कब्ज़े में हैं। सम्पतियाँ वापिस लेने के अनर्थक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सभी राज्यों में वक्फ बोर्डों का नियंत्रण राज्य सरकारें करती हैं और सदस्यों का नामांकन भी वही करती हैं। यह सही नहीं है कि सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों के सदस्यों का नामांकन केन्द्रीय सरकार करती है।

सामान्य रूप में वक्फों के प्रशासन में सुधार करने के प्रयोजन से सरकार ने तीन सदस्यों की एक समिति गठित की है। मौलाना इसहाक सम्भली भी उनमें से एक सदस्य हैं। समिति का प्रतिवेदन मिलने के बाद विस्तृत विधेयक सदन में लाया जा सकेगा।

सदस्यों ने सर्वेक्षण कार्य में विलम्ब होने के कारण जानने की इच्छा व्यक्त की है। यद्यपि अधिनियम, 1954 में पारित किया गया था तथापि अलग-अलग राज्यों में इसके लागू होने की तिथि अलग-अलग है। कुछ राज्यों में यह अधिनियम 1960 में तथा कुछ अन्य राज्यों में 1962 में लागू हुआ। अभी कई राज्य हैं जहां यह लागू नहीं हुआ है। अधिनियम को लागू करना अथवा न करना राज्यों पर छोड़ दिया गया है। मुस्लिम वक्फ अधिनियम, दिल्ली में 1962 में लागू किया गया। सर्वेक्षण कार्य में विलम्ब इसलिए भी हुआ क्योंकि सर्वेक्षण अधिकारी को अन्य कार्य भी करने होते हैं। दूसरे सर्वेक्षण अधिकारी की मृत्यु के कारण भी विलम्ब हुआ। अभी नया अधिकारी नियुक्त किया जाना है। आशा है कि दिल्ली प्रशासन माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए सर्वेक्षण कार्य शीघ्रता से पूरा करेगी।

माननीय सदस्य मौलाना इसहाक सम्भली का कथन है कि सीमा नहीं होनी चाहिए इस बात की जाँच करना भी समिति का कार्य है।

अन्त में, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन के वारे में प्रस्ताव

Committee on private members Bills and resolutions

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री जे० एम० गौडर (नील गिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के ग्यारहवां प्रतिवेदन से, जो 5 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के ग्यारहवां प्रतिवेदन से, जो 5 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

औद्योगिक सम्बन्ध और श्रम नीति के बारे में संकल्प जारी

Resolution Re. Industrial Relations and Labour Policy-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 24 मार्च 1972 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प तथा सशोधन पर चर्चा जारी रहेगी :

"इस सभा की राय है कि औद्योगिक गतिरोध को दूर करने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और श्रमिक वर्ग के लिये अधिकाधिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार को एक नई औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम नीति अपनानी चाहिये, जिसके अन्तर्गत मजदूर संघ की मान्यता के अधिकारों, बाह्य हस्तक्षेप के बिना सामूहिक सौदाकारी हड़ताल करने के अधिकारों पर लगा प्रतिबंध हटाने और विभिन्न स्तरों पर उत्पादन पर कर्मकारों के प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।"

Shri M. C. Daga (Pali) : The Hon. Ministers has declared in Rajya Sabha that they want to bring a comprehensive Bill for the welfare of the labour. But while making a change in the definitions of workman and industry, the Government should keep the sentiments of the labour in mind. Government have not paid any attention to the formula proposed both by INTUC and ITUC and have not taken any steps so far in this regard.

The capitalists have been exploiting the labour on account of ambiguous policies of the Government. The leader of trade union movements want to gread their own axe. Therefore unless the trade union movement is kept free from politics, the welfare of the labour cannot be assured.

There is no one to speak on behalf of these who undertake the work of labour unions. I.N.T.U.C. passed a resolution on 28th March, which contained:

"The Executive committee urged the Government to go ahead with a new industrial relations legislation based on limited accord among the three central Trade union organisations."

Their executive laid emphasis on the importance of strikes in the settlement of labour disputes.

The Government have been enacting legislations which exploit the labour. The factory owners never wantd to increase the wages of the labour. Therefore. I say that there is truth in the following statement. :

'If the unions are to meet the new challenges of the times, they must secure freedom from political control a freedom which could only be secured by distinguishing industrial interests from political interests."

Neither polititions nor bureaucrecy is going to the rescue of the labour. A change in the legislation is therefore, necessary,

उपाध्यक्ष महोदय : हमें 5 बजे तक समाप्त करना है। मन्त्री महोदय तथा प्रस्तावक को भी उत्तर देना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : प्रस्तावक ने अपने भाषण में कहा है कि जब तक श्रमिकों की हालत में सुधार नहीं होता और यह पूंजीपतियों की अर्थ-व्यवस्था जारी रहती है, श्रमिकों की हालत में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो सकते। इस अवस्था में औद्योगिक सम्बन्धों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सकते। स्वतन्त्रता से पूर्व और उसके बाद के श्रमिक आन्दोलनों से प्रकट होता है कि श्रमिकों को बिना व्यापक संघर्ष के कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। उस हालत के बने रहते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और श्रम मन्त्री ने हड़तालें समाप्त करने की अपील की है।

श्रमिक कभी भी हड़ताल नहीं चाहते। सरकारी अलावा निजी नियोक्ता ही उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करते हैं। श्रम मन्त्री ने हड़ताल-विहीन परिस्थिति की कल्पना न जाने कहां से की है। सभी देश का विकास चाहते हैं।

प्रस्ताव में विकासशील 'आत्मनिर्भरता' और सामाजिक न्याय के बिस्तार की बातें कही गई हैं। देश में न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं हैं। इस बारे में एक विधेयक पारित तो किया गया लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका।

हड़ताल के बारे में ऐसे कानून बनाने से सरकार स्थिति को और बिगाड़ेगी।

एक उद्योग में एक ही श्रमिक संगठन होना चाहिए जिसका चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से हो। 'इन्टक' में कुछ तत्व इसके विरुद्ध हैं। गुप्त मतदान द्वारा 'एक उद्योग एक संगठन' के निर्वाचन द्वारा विवादों का हल सम्भव है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के मध्य हुए समझौतों का भी कर्मचारियों के गुप्त मतदान द्वारा स्वीकृति ली जानी चाहिए।

कानून बनाना एक बात है। कानून को कर्मचारियों के वास्तविक हितों में क्रियान्वित करना है दूसरी बात है।

मैं प्रस्तावक तथा श्रम मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि श्रमिकों को कम से कम न्यूनतम जनतांत्रिक अधिकार प्रदान किये जायें।

मुझे राज्य बस कर्मचारी संघ के सचिव से सूचना मिली है कि गुण्डे एक के बाद एक डिपो पर जा कर कर्मचारियों को कार्य पर जाने से रोक रहे हैं। श्रमिक संगठनों का इस प्रकार गुण्डों द्वारा अधिग्रहण किया जाना समाप्त होना चाहिए। पुलिस के समर्थन के बिना वे लोग कुछ नहीं कर सकते। पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ही मुख्य रूप से श्रमिकों को आतन्कित करती है।

मैं सरकार से इन सुझावों पर ध्यान देने के लिये कहता हूँ।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : I agree with this move. The labour Minister has clarified that the president and the prime Minister do not want to just curbs on the right to strike.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tewari in the Chair]

If the government keeps its entire machinery effectively moving and arranges removing the complaints received fourthwith, the occasions of strike would not arise the labour resent to strike as a last resent. They take to it when they are compelled by circumstances. Strikes occur & more frequently in public sectors, because the persons who are the teem of the affairs in these organisations never worry for the decrease in production. They get theri increment every year. After creating trouble in one House, They manage to go to another House.

The resolution is against Third party reservation, our labour is not powerful to do so. The exhibition of bargaining power is against national interest. The labour demand 8 1/3 percent bonus. There hase been no agreement on that issue, The Law Minister has assured that he is appointing a commiite to consider revision of bonus acts.

The government machinery is, often, ineffective. In the cases of public section undertakings, the labour department has to refer to the employing Ministry. The government finds it difficult to create the situations which it ought to do. The matter remain under consideration for about an year when a reference is made. There it takes another 3-4 years. Then there are appeals at different levels. Thus it sometimes takes eight to ten years for the labour to get justice.

We have various ideals to talk like increase in production, productivity councils. The profit sharing and bonus laws are defective.

There is working participation in management in Yugoslavia. How would our management and owners sit with the workers ? Workers are allowed nomination in canteen and welfare committeies.

If the Government improves, it, position and legislations, it can totally end strikes.

*श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरि) : प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस और साम्यवादी दल के मध्य हाल ही के चुनाव गठबन्धन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेसी सदस्य प्रस्ताव को समर्थन देंगे।

सदन में सभी का यही मत है कि हमारे देश में औद्योगिक सम्बन्ध निरन्तर औद्योगिक वृद्धि में सहायक नहीं है। शासन दल के सदस्यों ने यह कभी नहीं बताया कि इस स्तुव्य कार्य को कैसे सम्पन्न किया जाएगा।

जबतक श्रमिकों को प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तबतक देश में दृढ़ औद्योगिक सम्बन्धों का निर्माण नहीं हो सकता। श्रमिकों को वर्ष भर परिश्रम करने के बाद उन्हें कभी केन्द्रीय श्रम आयुक्त के साथ कभी श्रम मन्त्री के साथ 10 से 15 प्रतिशत बोनस के लिए विवाद करना पड़ता है। निजी उद्योग स्वत: न्यायिक माँगों को कभी नहीं माँगते। ऐसी स्थिति में औद्योगिक सम्बन्धों की चर्चा व्यर्थ है।

स्वतन्त्रता के दो दशक पश्चात् भी कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जा रहा है। सभी अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों को मासिक वेतन, वार्षिक वृद्धियां और वार्षिक बोनस स्वत: मिल रहे हैं। इस देश में श्रमिकों के महत्त्व को नहीं समझा जाता। मैं श्रम मन्त्री से नैमित्तिक श्रमिक व्यवस्था के उन्मूलन के लिए अपील करता हूं। यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए कानून भी बनाया जाए।

राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री ने श्रमिकों से अधिक उत्पादन के लिए हड़तालें न करने को कहा है। परन्तु जब तमिलनाडु सरकार सिम्पसन ग्रुप की कम्पनियों में हड़ताल रोकने का यत्न कर रही थी, तब केन्द्रीय मन्त्री श्री मोहन कुमार मंगलम ने श्रमिकों को हड़ताल करने के लिए उकसाया। क्या उनके तथा प्रधान मन्त्री के बीच मतभेद हैं ?

ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें गैर-सरकारी कारखानों ने पहले अवसर पर ही श्रमिकों की माँगें स्वीकार की हों। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किये बिना औद्योगिक शान्ति कैसे स्थापित की जा सकती है। उनका यथा शीघ्र राष्ट्रीयकरण करके उनके प्रबन्ध में श्रमिकों को स्थान दिया जाना चाहिए। श्री मोहन कुमार मंगलम को श्रमिक हितैषी नीति अपनानी चाहिए।

मैं श्रम मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वे सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रबन्ध में श्रमिकों को स्थान दें। वर्तमान श्रम अधिनियमों के स्थान पर श्रमिक हितकारी कानून बनाये जाने चाहिएं।

श्री पी० बेंकटसुब्बया (नन्धयाल) : यह प्रस्ताव सर्वथा सामयिक है। उद्योंगो में श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच औद्योगिक मैत्री से उत्पादन बढ़ेगा और देश में आत्मनिर्भरता आएगी और श्रमिकों को न्याय भी प्राप्त होगा।

हमें इन समस्याओं का समाधान करना है।

(1) क्या सम्पूर्ण औद्योगिक श्रमिक दृष्टिकोण में नया रुख अपनाने की आवश्यकता है; (2) श्रमिक संघों को किस सीमा तक राजनीति से पृथक् रखा जाये; (3) क्या 'एक उद्योग-एक संगठन' की सकल्पना को कार्य रूप दिया जायेगा; (4) विभिन्न श्रमिक संगठनों में किस सीमा

*तमिल में दिय गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarized translated verses of English traslater sheets delivered in Journal.

तक प्रजातन्त्रिक सिद्धान्तों को स्थान दिया जाएगा; (5) प्रबन्ध में भाग लेने के लिए श्रमिकों को कहाँ तक सम्मिलित किया जाएगा ।

हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में तो राष्ट्र के सभी पहलुओं पर हमें राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता थी वह स्थिति अब समाप्त हो गई है । आज के परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि सभी श्रमिक संघों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाये ।

सरकारी क्षेत्र में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है । श्रमिकों को प्रबन्ध कार्यों में प्रतिनिधित्व देने के लिए संक्षेप में सरकार की क्या नीति है ।

'एक उद्योग–एक संघ' की नीति को कार्यान्वित करना कहां तक सम्बन्ध है ।

अभी हाल ही में बैंकों में श्रमिक असन्तोष देखने को मिला जिसके बारे में दूसरे सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था बैंकों जैसे महत्त्वपूर्ण मामले में प्रबन्धकों और श्रमिकों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अत्यावश्यक हैं ।

मेरा सुझाव है कि सरकार इस पूरे मामले पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करे । मैं श्रम मन्त्री से कहना चाहता हूँ कि श्रमिक नेताओं को आमन्त्रित करके एक व्यापक कानून तैयार करें ।

श्रमिकों ने सभी समय, जिसमें संकटकाल भी सम्मिलित हैं शानदार कार्य किया है ।

कृषि श्रमिक बुरी तरह असंगठित हैं । वर्ष में अधिकतर समय वे लोग बेरोज़गार रहते हैं । उनमें कारखानों में जाने के प्रति भय बना रहता है । इसलिए हमें उनके कल्याण का ध्यान रखना है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने संकल्प में कहा है कि श्रमिक वर्ग के साथ न्याय करने के लिए भारत सरकार को तुरन्त नए औद्योगिक सम्बन्ध तथा नई श्रम नीति अपनानी चाहिए जिससे मजदूर संघों की मान्यता का अधिकार, हड़ताल करने के अधिकार पर नियन्त्रण को हटाना आदि सुनिश्चित किया जा सके । मुझे आशा है कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार करेगी ।

श्रम मन्त्री ने इस सभा में दूसरे सदन में तथा बाहर भी यह कहा है कि हड़तालों पर रोक लगाई जायेगी । हम कोई व्यावसायिक हड़ताल करने वाले नहीं हैं । जब राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के साथ अन्याय किया जाता है, तो श्रमिकों को हड़ताल करनी पड़ती है ।

आज जब हम इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं, गत मास की 28 तारीख से कानपुर टैक्सटाइल मिल्स में 13,000 श्रमिक हड़ताल पर हैं । वे चाहते हैं कि बोनस के बारे में खाडिलकर सूत्र को लागू किया जाये । यह बहुत विचित्र बात है कि अन्य व्यक्ति खाडिलकर सूत्र की अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं । सिंघानियां तथा जयपुरियां जैसे बड़े नियोक्ता उनके इस निर्णय पर विश्वास नहीं कर रहे हैं । मैं श्री खाडिलकर से अनुरोध करता हूं कि वह कानपुर टैक्सटाइल मिल्स की हड़ताल समाप्त करवायें ।

जब-जब देश पर संकट आया, तो श्रमिकों ने अहर्निश काम करके राष्ट्र को योगदान दिया तथा अपनी मंजूरी में से राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये पैसा दिया, जिसका आज परिणाम यह है कि

पश्चिम बंगाल में आयुध कारखानों के कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। क्या यह हमारे औद्योगिक सम्बन्धों के लिए बुरी बात नहीं है ?

हम प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड में श्रमिकों के किसी प्रतिनिधि को नहीं लिया जाता है। ऐसा ही आयुध उत्पादन बोर्ड में किया जाता है तथा कहा जाता है कि बोर्ड के सदस्य विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ होता कौन है श्री वी० सी० शुक्ल अथवा 28 वर्ष की सेवा का अनुभव वाला श्रमिक ?

सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम में चाहे वह हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड है अथवा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन अथवा हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड, किसी में भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि हम औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करना चाहते हैं, तो हमें औद्योगिक संधि करनी होगी। जब कभी श्रमिक अपना अन्तिम अस्त्र हड़ताल काम में लाते हैं तो कहा जाता है कि वे गड़बड़ पैदा कर रहे हैं।

मन्त्री महोदय यह बताये कि आत्म-निर्भरता के विशेष संदर्भ में वह देश में कौन-सी श्रम-नीति अपनाने जा रहे हैं ?

प्रबन्ध में उन श्रमिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है जिन्हें वास्तविक कारणों के लिए मजदूर संघ की गतिविधि में भाग लेते समय तंग किया जाता है।

यह संकल्प ऐसा है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ए० आई० टी० यू० सी० की ओर से, मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि मोहलत अथवा अन्य किसी नाम पर यदि वह हड़ताल पर रोक लगाना चाहती है तो स्थिति और अधिक बिगड़ेगी। अधिक हड़तालें होंगी। जब हड़ताल की जाती है, तो वह आत्म-रक्षा के लिए की जाती है न कि आक्रमण के रूप में। अपने अस्तित्व के लिए श्रमिक वर्ग और अधिक संघर्ष करेगा।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस संकल्प को स्वीकार करेंगे तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त से इसे वापिस लेने के लिए नहीं कहेंगे।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I support the Resolution moved by Shri Indrajit Gupta because it contains certain good suggestions.

Government's new declaration has created certain hopes and the workers want justice but the feeling expressed by the President about the strike creates certain apprehensions. It should be taken into consideration as to under what circumstances, the workers are compelled to go on strike. When we want that strike should not take place for sometime, it is the responsibility of the Government to create an atmosphere for that. We want to see a condition in the country when no strikes take place but it is feared that the decision regarding moratorium way gradually take place of a ban on strikes. Therefore. I suggest that right to work should become a fundamental right.

Why does strikes take place in a particular industry? Inter-Union rivolry is one of the reasons. Inter-Union rivolry is caused on the criteria which is adopted to see as to which union should be recognised ? What should be the criterion for giving recognition to a union ? A union which has got maximum support of workers in a particular industry should be recognised.

Some days ago my friend raised a question as to why Indian Trade Union was not ecognised when it fulfils all the requirements ? In a reply to this question it was said that

considerable difference between the figures of 1968 and 1972 had come and may be a particular union might not have retained its status in 1972 as it had in 1968. I think there should be some principle to be followed for recognising the unions and it should not be linked to a particular union recognised on All-India level.

We talk of worker's participation in management. Good industrial relations should be established in public sector undertakings we have adopted the Western method to settle industrial disputes. It is not only confined to the employers and workers but to a third party-also i.e. the consumer. Consumer should also be taken into consideration. The interests of the consumer should also be safeguarded. They also talk of profit-sharing in public sector undertakings. Out of 87 public sector undertakings 37 are running in loss. People working in these units should have a sense of involvement and sense belonging.

It is seen that assurances are not implemented. Verdict or bonus given by one Minister is not agreeable to the other. This creates a feeling of distrust among the workers. Government will have to do something practical to avoid gharaos, industrial disputes and make some arrangement to give justice to the workers.

Whenever strikes take place. Government appoints tribunal or committee and the awards or recommendations which are given in favour of the workers are not implemented. Government will have to do something for workers' participation in management. Regard and recognition are to be given to the workers. When there is dignity of labour, social justice can be established.

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में श्रमिकों से अपील की है कि हड़तालों पर मोहलत होनी चाहिए। जब कभी भी हड़ताल की बात होती है तो हम केवल श्रमिकों से ही अपील करते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि नियोक्ता और उद्योगपति भी उत्पादन में कमी अथवा हड़ताल के लिए जिम्मेदार होते हैं। श्रमिकों द्वारा अपेक्षित प्रोत्साहन की कोई बात ही नहीं करता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हड़तालें क्यों हों ? हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में अनुशासन हो परन्तु हम उस अनुशासन की केवल श्रमिकों से ही अपेक्षा करते हैं। मालिक और उद्योगपति अनुशासन नहीं रखते हैं। उन्हें भी अनुशासन रखना चाहिए। जब श्रमिकों को कोई अन्य चारा नहीं दिखाई देता है, तो वे हड़ताल करते हैं।

संकल्प में इस बात का उल्लेख है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। सरकार का कम हस्तक्षेप होना चाहिए। कई मामलों में जब मालिक तालाबन्दी कर देते हैं और श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। इस समय सभी मामलों में सरकार का हस्तक्षेप श्रमिकों के विरुद्ध नहीं है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि सरकार के हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या है तथा वह हस्तक्षेप किस प्रकार किया जा रहा है। जिस बात की आवश्यकता है, वह यह है कि प्रवृत्ति, धारणा और सामान्य पहुँच में परिवर्तन होना चाहिए। जब कभी काम बन्द हो जाता है, तो सारा दोष श्रमिकों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। श्रमिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि हम समानता के सिद्धान्त तथा समानता की धारणा को स्वीकार कर लेंगे तो हमारी बहुत सी कठिनाईयां दूर हो जायेंगी।

कुछ मित्रों ने कार्मिक संघों तथा श्रमिकों पर राजनीति के प्रभाव का उल्लेख किया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजनीति के प्रभाव को पूर्णतया हटाया जाना चाहिये। श्रमिकों को यह सोचना होता है कि कौन-सा राजनीतिक दल उनके हितों को ध्यान में रखता है। पिछले चुनावों में अधिकांश श्रमिकों ने कांग्रेस को मत दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि यह दल उनके हितों का संरक्षण करता है।

एक माननीय सदस्य ने तीसरे पक्ष-उपभोक्ता का उल्लेख किया है। क्या श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता नहीं हैं? श्रमिक-उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक प्रतिक्रियावादी धारणा है, जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों का समर्थन करने के दृष्टिकोण से बनाई गई है। इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इस चर्चा के दौरान कई बातें कही गई हैं। इस समय औद्योगिक विकास के समय जब हम देश में औद्योगिक क्षेत्र की ओर देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि औद्योगिक सम्बन्ध कानून जिस रूप में आज लागू है, वह यद्यपि पूर्णतया पुराना नहीं हुआ है, तथापि उसमें सुधार की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने 19 वीं शताब्दी तथा 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया जब वहां श्रमिक विरोधी सरकार थी। ऐसी स्थिति हमारे यहां व्याप्त नहीं है।

चाहे कोई कुछ भी कहे, परन्तु यदि कोई मजदूर संघ आंदोलन, श्रम विधान तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मजदूर संघों ने ऐसे प्रश्नों को उठाया है जिन पर सरकार को विचार करना था। औद्योगिक क्षेत्र में हो रही बातों को देखते हुए हमारा औद्योगिक सम्बन्ध कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है उन्होने कहा है कि सरकार पुराने ढंग पर चल रही है, श्रमिक वर्ग तथा नियोक्ताओं को आपस में लड़ने देना चाहिए, उन्हें समझौता करने दिया जाये तथा निर्णय करने देना चाहिये। आज कल दिन-रात हो रही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि सरकारी हस्तक्षेप न्याय प्राप्त करने के लिए अधिक सहायक होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि एक उद्योग के लिए एक संघ होना चाहिए परन्तु यह किस आधार पर किया जाये। क्या वे यह सुझाव देते हैं कि मजदूर संघ के नेताओं से परामर्श किये बिना सरकार अपनी ओर से चाहे जो कुछ करे?

हमने इस देश में त्रिपक्षीय "पैटर्न" का पालन किया है। एक ओर हम केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से परामर्श करते हैं और दूसरी ओर हम नियोक्ताओं से सलाह करते हैं। तीसरा पक्ष सरकार है। यदि हमें यही 'पैटर्न' जारी रखना पड़ा तो मजदूर संघ नेताओं को यह देखना है कि एकता किस प्रकार लाई जाये।

गत तीन महिनों में तीन राष्ट्रीय केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन इसके लिये मिलते रहे हैं और चर्चा करते रहे हैं कि किस प्रकार एकता लाई जाये। दुर्भाग्यवश हम किसी प्रकार के समझौते पर नहीं पहुंच पाये हैं जिसे हम तीनों पक्षों के समक्ष रख सकें। यह कहा गया है कि राजनीति के कारण देश में अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता तथा संघों की बहुलता है। परन्तु देश में श्रमिक संघ की गतिविधियों को राजनीति के प्रभाव से बचाना कठिन है। श्रमिक संघ की गतिविधि में राजनीति की पृष्ठभूमि का कुछ विचार तो रहेगा ही। उदाहरणार्थ, हम सत्यापन की किसी पद्धति का पालन करते हैं। दो केन्द्रीय संगठनों ने मांग की है कि इस पद्धति को छोड़ दिया जाये तथा मत-पत्र की पद्धति को अपनाया जाये। परन्तु प्रश्न यह है कि जब हमें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करनी हो, तो मत-पत्र द्वारा उसे प्रदान करना कैसे सम्भव है। काफी विचार विमर्श के बाद कहा गया है कि किसी अवस्था में मत-पत्र की आवश्यकता पड़े, तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए।

सत्यापन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं जब इन सिफारिशों को त्रिपक्षीय बैठक के समक्ष रखा गया तो ए० आई० टी० यू० सी० ने इसमें रोड़ा अटकाया।

लगभग छः महीनों से हो रहे परामर्श के बाद कुछ बातों पर विचार किया गया है। एक राष्ट्रीय मजदूर सघ मंच आपका केन्द्र बनाने का जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसका स्वागत है।

यह प्रश्न ठीक ही उठाया गया है कि समझौते में काफी समय लगता है यदि किसी मामले को निर्णय के लिए भेजा जाता है तो इस प्रक्रिया में काफी अधिक समय लगता है। ऐसी स्थिति में तुरन्त परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतः मजदूर सघों तथा प्रबन्ध मंडल के समझौते से कोई विवाद निपटान मशीनरी बनाई जानी चाहिये, उसकी सहायता से सरकार कोई कदम उठा सकती है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। एक सुझाव दिया गया है कि मजदूरों या मजदूर संघों के विवादों से सम्बद्ध मामलों पर निर्णय करते समय चाहे उच्चत्तम न्यायिक स्तर पर अथवा राज्य-स्तर पर या केन्द्रीय स्तर पर हों, उसमें श्रमिक सम्मिलित होंगे।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इतना ही पर्याप्त नहीं है।

श्री आर० के० खाडिलकर : इतना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु माननीय सदस्य इसके लिए किसी विकल्प का सुझाव दें।

स्वाधीनता के 25 वर्षों के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आये हैं, उन्हें देखते हुए उनके साथ विकास करना है। इसके लिये औद्योगिक सम्बन्ध कानून को उसी ढंग से बनाया जाता है ताकि औद्योगिक परिवर्तनों के साथ चला जा सके।

मजदूर संघ के नेताओं को चाहिए कि वे इस परिवर्तन को पहचाने। राष्ट्रपति ने हड़तालों तथा तालाबन्दी के लिए जो आह्वान किया है उसका कुछ मजदूर संघ नेताओं ने गलत अर्थ लगाया है। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक सात आदमी मिलकर संघ बना लेते हैं।

हमारे देश जैसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इन कठिनाईयों पर विजय नहीं पाई जा सकती है। परन्तु हमने कौन सा सामाजिक-आर्थिक समूह अपनाया है ? वह यह है—विकासशील सरकारी उपक्रम तथा नियमित गैर-सरकारी उपक्रम। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली है। इसमें कुछ परम्परागत मर्यादाएं हैं। आज हमने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है। और प्रगति भी करने की आवश्यक्ता है। फैक्ट्रीज अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लेख किया गया है। इनमें क्रमशः संशोधन तथा पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। परन्तु प्रगति में रुकावट किसने डाली ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : द्वारा बहुत सी समस्यायें उठायी गयी हैं, परन्तु उन्होंने कहीं भी कोई ठोस सुझाव नहीं दिया है। अतः मैं सदन से और इस चर्चा, में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए उन्हें हमें सहयोग देना चाहिये।

मुझे भूख हड़ताल और उसके परिणामों की पूर्णजानकारी है। मैंने अपनी ओर से तो इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है परन्तु यह खेद की बात है कि अभी तक उसका कोई समाधान सामने नहीं आ रहा। संकल्प में कुछ प्रश्नों को उठाया गया है और कुछ सदस्यों ने आत्म-निर्भरता प्राप्त अर्थ-व्यवस्था की बात भी की है। परन्तु इस सम्बन्ध में केवल विधेयक मात्र बना देने से कुछ

होने वाला नहीं है। इसके लिए तो हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जिसमें कि मजदूर और प्रबन्धक यह अनुभव करें कि उत्पादन वृद्धि को प्रक्रिया में उनका भी पूर्ण सहयोग और दायित्व होता है। जहां कहीं यह प्रक्रिया रूक जाती है वहीं उत्पादन में कमी हो जाती है। अब हमें बार-बार यही बात नहीं कहनी चाहिये कि निदेश बोर्ड में उनका प्रतिनिधि होना चाहिये और प्रशासनिक प्रबन्ध में भी उनको कुछ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। अत: जिस प्रकार कार्मिक प्रबन्ध में भाग लेने के इच्छुक हैं, प्रबन्धकों को भी उन्हें ऐसे अवसर देने के लिये उतने ही इच्छुक होना चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस समय कुछ धारणाओं और तकनीकों के आधार पर अन्य देशों में जो प्रबन्धक मंडल बनाये गये हैं, उसी प्रकार के प्रबन्धक-मंडल यहाँ भी बनाये गये हैं। परन्तु यह मंडल किसी प्रकार परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ मेल नहीं खाते। मैं समझता हूं कि जब तक उनकी विचारधारा श्रमिक वर्ग की सामान्य आकांक्षाओं से मेल नहीं खाती, बोर्ड में प्रतिनिधित्व या प्रबन्ध में भाग लेने के सभी प्रयास असफल रहेंगे।

इस चर्चा के दौरान औद्योगिक झगड़े के निपटारे और औद्योगिक सम्बन्धों के सुधार करने के लिये जितने भी सुझाव दिये हैं, उन सभी पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। हम सभी का मूल लक्ष्य तो एक हीं है। राष्ट्रपति जी ने अपने आह्वान में और प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में यही इच्छा व्यक्त की है कि हड़ताल टालने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये।

सदन में इस प्रस्ताव पर अच्छी चर्चा हो गयी है। मैं समझता हूँ कि इस चर्चा का कुछ प्रभाव कार्मिक संघों के जिम्मेवार नेताओं पर भी पड़ेगा और वे अपने सख्त रवैये में कुछ परिवर्तन करेंगे। संकल्प के प्रस्तावक द्वारा जो भी प्रयास दिये गये हैं, अपनी वर्तमान पद्धति में कोई भी परिवर्तन करते समय हम उनपर पूर्ण ध्यान देंगे। इतनी सकारात्मक चर्चा के बाद मैं समझता हूं कि अब प्रस्तावक महोदय अपने संकल्प को वापिस ले लेगें।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या बोनस फार्मूला के बारे में किसी समिति का गठन किया जा रहा है ? इस प्रश्न की सत्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

श्री आर० के० खाडिलकर : बम्बई में कपड़ा उद्योग के विवादों का निपटारा करने के लिए बम्बई फार्मूला बनाया गया था। सरकारी क्षेत्र के सभी नियोजकों द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में आश्वासन दे चुका हूँ कि इस सम्पूर्ण योजना का मूल्यांकन किया जायेगा। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही इस बारे में घोषणा कर दी जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस मामले पर विचार करने के लिये सदन के सभी दलों द्वारा जो विशेष रुचि दिखाई गई है, मैं उसके लिए सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे केवल हमें खेद ही नहीं अपितु कार्मिक संघ के नेताओं की भी चिंता ही हुई है। इन परिस्थितियों में सरकार के इरादों के बारे में आशंका होना भी स्वाभाविक ही है।

मै यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अतीत में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस सदा ही जांच की विरोधी रही है। उसने सदा ही गुप्त मतदान का समर्थन किया है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ने सदा ही मतदान का विरोध किया है। किन्तु यह दोनों ही संगठन इस समझौते पर सहमत हो गये कि जाँच हो परन्तु जांच की मशीनरी में परिवर्तन होना चाहिये। वह इस बात पर सहमत हो गये हैं कि जब जांच से कोई निर्णयात्मक परिणाम न निकले, तो मतदान कर

लिया जाना चाहिये। क्या यह एक ऐसा सराहनीय कार्य नहीं है जिसके लिए मंत्री महोदय को कार्मिक संघों के नेताओं की प्रशंसा करनी चाहिये ? परन्तु मंत्री महोदय ने तो उल्टे यह कह दिया है कि दुर्भाग्यवश वह किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं। अतः सरकार इस मामले में कुछ कर सकने में असमर्थ है। यह कितनी अजीब स्थिति है ?

मैं यह संकल्प वापिस लेने को तैयार नहीं हूं। मेरा पहला उद्देश्य तो सरकार से हड़तालों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना था। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय की तुलना में सभा के कई सदस्यों ने इस प्रश्न का कहीं अच्छा स्पष्टीकरण किया है। हड़तालों को स्थागित तभी किया जा सकता है जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाये जिसमें कि हड़तालों को अनावश्यक समझा जाये। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए तीनों केन्द्रीय कार्मिक संघों द्वारा एक विस्तृत तन्त्र की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। यह सुझाव काफी ठोस है परन्तु फिर भी मंत्री महोदय का फरमाना है कि यह सुझाव ठोस नहीं है। माननीय मंत्री जी भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के लोगों द्वारा विभिन्न निर्णयों पर किये गये हस्ताक्षरों को सम्मान देने को तैयार नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं यदि हड़तालों के स्थगन का अभी हड़तालों पर एक पक्षीय प्रतिबन्ध लगाना है तो देश का कोई भी स्वाभिमानी मजदूर संघ इसे स्वीकार नहीं करेगा।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने का दूसरा उद्देश्य औद्योगिक सम्बन्ध कानून के बारे में सरकार के विचार जानना था। हम यह आशा कर रहे थे कि मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि आगामी 6 महीनों में वह अब तक किये गये करारों के आधार पर औद्योगिक सम्बन्ध कानून में विशेष सांविधिक संशोधन करेंगे या इस सम्बन्ध में एक नया विधेयक प्रस्तुत करेंगे ताकि मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके और बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के उन्हें सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया जा सके। परन्तु यह खेद की बात है कि सरकार हस्तक्षेप के अधिकार को अपने पास रखना चाहती है। यदि नियोजक तथा कर्मचारी दोनों ही यह बात जान लें कि उनके विवाद में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वह आपस में ही बातचीत करने के लिये मजदूर हो जायेंगे और अन्ततः कोई न कोई समझौता हो ही जायेगा। अन्य देशों में यही प्रणाली चल रही है। उस दिन मैंने ब्रिटेन की कोयलाखानों में काम करने वाले मजदूरों का उदाहरण दिया था। यद्यपि कड़ी सर्दी के मौसम में कोयला खानों में काम करने वाले 2,50,000 मजदूरों ने हड़-ताल कर दी थी जिससे कि वहां का सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन तहस नहस हो गया था। परन्तु फिर भी वहां के जनसाधारण ने हड़ताल करने वाले मजदूरों का ही साथ दिया क्योंकि वह लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। अतः इस सन्दर्भ में मंत्री महोदय द्वारा जो यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब तक उनके पास हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा, तो उससे अव्यवस्था फैल जायेगी। आज स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र की कई परियोजनाओं में प्रबन्धकों द्वारा मजदूर संघ को मान्यता नहीं दी जा रही है। इसके बारे में श्री खाडिलकर जी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में हस्क्षेप क्यों नहीं किया ? वह श्रम विरोधी नीति को प्रोत्साहन देने के लिए प्रबन्धकों का पक्ष क्यों ले रहे हैं ? माननीय मंत्री महोदय ने तीन केन्द्रीय मजदूर संघों को यह आश्वासन दिया था कि यदि वे आपस में कोई समझौता कर लें और उसकी आधार पर सरकार के समक्ष कोई सूत्र प्रस्तुत करें, तो सरकार उस सूत्र को स्वीकार कर, उसके आधार पर नया कानून बनायेगी। अब सरकार यदि अपने इस बचन का पालन नहीं करती, तो हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। अतः इन परिस्थितियों में हम सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। यदि यह संकल्प अस्वीकृत हो जाता है, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि इसका दायित्व कांग्रेस दल पर ही होगा और कार्मिक संघों को सरकार का रवैया स्पष्ट हो जायेगा।

सरकार के रवैया को देखकर मुझे बहुत अचम्भा हुआ और इसलिए मैं कुछ आवेश में आ गया जिसका कि मुझे खेद है। हम एक नया सकारात्मक विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे कि औद्योगिक सम्बन्धों में नया परिवर्तन लाया जा सके और सभी संघों का एकीकरण किया जा सके। यह एक सर्वविदित सत्य है कि मजदूरों की कमजोरी उनकी आपसी फूट होती है। प्रत्येक उद्योग में औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्सहान देगा और उसके लिए नियोजकों के साथ बैठकर बातचीत करनी होगी। मैं समझता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए यह आत्यावश्यक है। अंत में सदन का अधिक समय न लेता हुआ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पहले यह स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें। उसके बाद में अपने संकल्प के बारे में कुछ कहूँगा।

श्री आर० के खाडिलकर : मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को "सीमित समझौते" के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीनों कार्मिक संघों के नेताओं ने अब लिखित रूप में मुझे यह बताया है कि उन्होंने समझौता वापिस ले लिया है और अब उनमें इस प्रकार का कोई समझौता नहीं है। यदि उनका आपस में इस प्रकार का कोई समझौता होता, तो मैं इस समय उसके स्वागत की घोषणा कर देता।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं सरकार औद्योगिक सम्बन्ध में, सुधार करने के बारे में शीघ्र ही एक विधान पेश करेगी। समस्या संघों के मतैक्य की है। जैसे ही ऐसा हो जायगा, विधान प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः इन परिस्थितियों में सदस्य महोदय को संकल्प वासिस ले लेना चाहिये।

सभापति महोदय : इस संकल्प से सम्बन्धित तीन संशोधन श्री मूलचन्द डागा के हैं। क्या वह इन्हे वापिस लेते है ?

श्री मूलचन्द डागा जी हाँ, मैं उन्हें वापिस लेता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये
THE AMENDMENTS WERE, BY LEAVE, WITHDRAWN

सभापति महोदय : अब मूल संकल्प को लिजिये। क्या सदस्य महोदय उसे वापिस ले रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सदन में जो चर्चा हुई है, यदि मंत्री महोदय मुझे यह आश्वासन दें कि उसके आधार पर औद्योगिक सम्बन्धों के वारे में शीघ्र ही अधिनियम बनाया जायेगा, तो मैं संकल्प वापिस लेने के बारे में सोच सकता हूं।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि ज्योंहि कार्मिक संघों का मतैक्य हो जायेगा, हम यथा सम्भव कम समय में इसके बारे में विधेयक प्रस्तुत कर देंगे। हड़ताल श्रमिकों का मौलिक अधिकार है और सरकार इसे समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

सभापति महोदय : क्या सदस्य महोदय अब सकल्प वापिस ले रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है उसे ध्यान में रखते हुये, मैं संकल्प वापिस ले रहा हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
The Resolution was, by leave, withdrawn.

साम्प्रदायिक अर्द्ध सैनिक संगठनों के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. COMMUNAL PARA MILITARY ORGANISATIONS

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मु) : सभापति महोदय, आप की अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि :

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश में साम्प्रदायिक अर्द्ध संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तुरन्त कदम उठाये।"

अपने संकल्प के पक्ष में मैं सदन के समक्ष कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतन्त्रीय जीवन पद्धति अपनाने के लिए कटिबद्ध हैं। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों की आधारशिला को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए हमें साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना होगा। साम्प्रदायिक हिंसा अनेक वर्षों से हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है। आज हमें इस बात पर विचार करना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्षों के बाद भी हम साम्प्रदायिक दंगों को पूर्णतया समाप्त नहीं कर पाये हैं ?

इसी सन्दर्भ में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध भड़काते रहते थे। परन्तु अब यह भूमिका कुछ अन्य संगठनों द्वारा निभाई जा रही है। ये संगठन निरन्तर साम्प्रदायिक घृणा उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अब तक यह बात निःसंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो गई है कि कुछ साम्प्रदायिक तथा अर्द्ध सैनिक संगठन इस कार्य को कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज वह समय आ गया है जबकि सरकार को ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये और वह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वह इस प्रकार के घृणित कार्य न कर सके।

इस समय इस प्रकार के संगठनों के मैं केवल तीन उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन संगठनों के नाम हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायते इस्लामी और शिव सेना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा देश में ताना-शाही की प्रवृति को बढ़ावा देने की है। इस संगठन का उद्देश्य हिन्दुओं के हितों का संरक्षण करना और हिन्दू संस्कृति का विकास करना है। यह सगठन किस प्रकार से कार्य करता है यह अपने आप में एक रहस्य है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था की पक्षपाती है, इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। सम्भवतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जम्मू तथा काशमीर राज्य में 1941 में आरम्भ किया गया था। उस समय महाराजा के तानाशाही शासन के विरुद्ध एक जन आन्दोलन का जन्म हो रहा था। उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग महाराजा का साथ दे रहे थे।

मैं जम्मू तथा काशमीर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों के दूसरे पहलू पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह संस्था राज्य भर में जमींदारों पर निर्भर थी। जमींदार तथा पैसे वाले लोग ही जिला संघचालक तथा राज्य संघचालक हुआ करते थे। विभाजन के समय वर्ष 1947 में जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर आक्रमण किया, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा राज्य भर में विशेषतः जम्मू क्षेत्र में सम्प्रदायिक दंगे भड़काये गये। एक समय इनकी गतिविधियां इतनी आपत्तिजनक हो गई थी कि जम्मू तथा काशमीर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर

प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की इस प्रकार की गतिविधियां हमारे आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

इस संगठन की आय के स्त्रोत तथा खर्च के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। सरकार सम्भवतः इस बारे में अधिक जानकारी रखती हो। संघ के अध्यक्ष की भूमिका भी उल्लेखनीय है। उसका चुनाव लोकतन्त्रात्मक प्रणाली द्वारा नहीं किया जाता। अध्यक्ष का चुनाव संगठन नहीं करता बल्कि उसे पूर्ववर्ती अध्यक्ष मनोनीत करता है। वर्तमान अध्यक्ष अपने आगामी उत्तराधिकारी को मनोनीत करते हैं। यह एक प्रकार की तानाशाही ही है जिसमें एक तानाशाह के स्थान पर दूसरा तानाशाह आ जाये।

एक अन्य संगठन जमायते इस्लामी से भी देश की साम्प्रदायिक एकता को गम्भीर खतरा है। जमायते इस्लामी की अनेक वर्षों से यह विचारधारा रही है कि वह मुसलमानों के सम्बन्ध में इस्लाम के सिद्धान्तों को प्रोत्साहन दें हम नहीं समझते कि हमारे जैसे धर्म निरपेक्ष देश में ऐसे संगठन की कोई आवश्यकता है। इस संगठन की भूमिका काशमीर घाटी में बहुत आपत्तिजनक रही है। अनेक वर्षों से यह साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कार्य करता रहा है। लेकिन केवल गत लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के दौरान ही यह दल प्रकट हुआ और इसने चुनाव में प्रवेश किया अतीत में इस संगठन के अनेक सदस्य राज्य में राष्ट्रीय विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों के कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ सदस्य ऐसे भी हैं, जो अलफतह जैसे संगठनों से भी सम्बन्धित रहें हैं। हमें विश्वास है कि सब मिलकर जम्मू तथा काशमीर की जनता के समर्थन से और राज्य में धर्म निरपेक्षता के विचार की जड़ें मजबूत करने हेतु अतीत की तुलना में अधिक शक्ति के साथ इस संगठन के खतरे का मुकाबला किया जाएगा।

शिवसेना का प्रादेशिक दृष्टिकोण एक प्रदेश तथा अन्य प्रदेश के लोगों के बीच भेद-भाव पैदा कर रहा है। यद्यपि यह संगठन आर्थिक शोषण से युद्ध करने के नाम पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है, तो भी इसके दृष्टिकोण समान रूप से निन्दनीय है।

सभापति महोदय : प्रस्ताब प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश में साम्प्रदायिक अर्ध सैनिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तुरन्त कदम उठाये।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में अन्त में यह जोड़ा जाये—

"वशर्ते कि इन संगठनों की गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हों"

(संशोधन संख्या 3)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The ruling group wants to suppress these organisations with the force of law. In a democratic form of Govt., it can be achieved through the public platform.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

(इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 10 अप्रैल, 1972/21 चैत्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned till elven of the Clock on Monday, 10th April, 1972 Chaitra 21, 1894 (Saka)